Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 अगस्त, 2009

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 3 अगस्त, 2009

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(2)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)2
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)57
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)63
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(2)64
विभिन्न मामले उठाना	(2)65
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	(2)67
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)67
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)67
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(2)68

मूल्य :

229

यमुना समझौतों पर हरियाणा विधान सभा की समिति का दूसरा अंतरिम/प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(2)68
विधान कार्य	(2)69
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3), बिल, 2009	(2)69
दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)71
दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शन्ज) अमैंडमैंट बिल, 2009	(2)72
दि प्रि-कन्सैप्शन एण्ड प्रि-नेटरल डायग्नोस्टिक टैस्नीक्स (प्रोहीबिशन ऑफ सैक्स सिलेक्शन) हरियाणा, वैलिडेशन बिल, 2009	(2)74
दि हरियाणा फिस्कल रिस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)75
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)77
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)76
दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी मुरथल (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)83
दि हरियाणा को-ओपरेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)85
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)95
नि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)97
दि कोर्ट फीस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)98
दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)99
वाई.एम.सी.ए. यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी फरीदाबाद बिल, 2009	(2)101
राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई	(2)106
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं/सदस्यों द्वारा धन्यवाद	(2)108
विशेषाधिकार समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा का पुनरारम्भण	(2)113
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(2)114
राज्य के कुछ क्षेत्रों में सूखा स्थिति	(2)114
अध्यक्ष महोदय/मुख्यमंत्री द्वारा धन्यवाद	(2)124

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 3 अगस्त, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की पिछली बैठक और आज की बैठक के बीच में हमारी कुछ महान् विभूतियां हमें छोड़कर चली गई हैं। मैं उनका शोक प्रस्ताव सदन में रखता हूं :-

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व सांसद सदस्य श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, के 1 अगस्त, 2009 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

उनका जन्म 1 जुलाई, 1936 को हुआ। वह 1974 में राज्य सभा के लिए चुने गए। उन्हें हाल ही में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया था, परन्तु पद ग्रहण करने से पहले ही वे हमें छोड़ कर चले गए। वे अपनी विद्वता और भारतीय राज शासन की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। वह सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता के साथ-साथ कुछ समय के लिये भारत के अतिरिक्त सालीसिटर जनरल भी रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री रोहताश राम, स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन जिला भिवानी के गांव चिड़िया के स्वतंत्रता सेनानी श्री रोहताश राम, के 31 जुलाई, 2009 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है :

हवलदार राजेश, गांव लाठ, जिला सोनीपत।

सिपाही मंजीत, गांव बापड़ौदा, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत्-शत् नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आत्मा के प्रति जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता थे। वह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थे और कुछ समय तक उन्होंने Additional Solicitor General of India के रूप में देश की सेवा की। वह 1974 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। कुछ ही दिन पहले उनकी नियुक्ति गुजरात के राज्यपाल के उच्च पद पर हुई थी और उन्होंने अभी शपथ ग्रहण करनी थी। लेकिन इससे पहले वे स्वर्ग सिधार गये।

मैं रोहताश राम स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिनका नाम मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिया है। मैं उन सभी शहीदों को शत्-शत् प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए अपनी जान गवां दी। हरियाणा के इन वीर सैनिकों के दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Question hour, please.

(इस समय माननीय सदस्य डॉ० शिव शंकर भारद्वाज सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Construction of Separate Water Ponds

*** 1275. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct separate ponds for clean and dirty water; and

(b) If so, the districtwise details of villages where such ponds will be constructed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes. Sir.

(b) A Statement is laid on Table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of District	Total Ponds
1	2	3
1.	Ambala	50
2.	Panchkula	37
3.	Yamuna Nagar	62
4.	Sonepat	66
5.	Faridabad	9
6.	Gurgaon	30
7.	Mewat	19
8.	Palwal	26
	Total	**299**
1.	Hisar	44
2.	Fatehabad	44
3.	Sirsa	21
4.	Bhiwani	69
5.	Kaithal	130
6.	Kurukshetra	49
7.	Karnal	108
8.	Panipat	40
9.	Rewari	86
10.	Rohtak	37
11.	Jhajjar	32
12.	Jind	48
13.	Mohindergarh	62
	Total	**770**

The district wise lists of villages are attached.

SYL water services circle, Ambala

Sr. No.	Name of village Ponds	Name of Block
1	2	3
1	Dudanpur	Ambala
2	Panjola	Ambala
3	Khurchanpur	Ambala
4	Nadiyali	Ambala
5	Himayunpur	Ambala

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
6	Segta	Ambala
7	Dhurali	Ambala
8	Ballana	Ambala
9	Ladana	Ambala
10	Teja	Ambala
11	Gobindgarh	Ambala
12	Anandpur Jalbera	Ambala
13	Bara	Ambala
14	Ugara	Ambala
15	Megamajra	Ambala
16	Behbalpur	Ambala
17	Lakhnaur Sahib	Ambala
18	Baknour	Ambala
19	Mehmadpur	Ambala
20	Naggal	Ambala
21	Bishangarh	Ambala
22	Nakatpur	Ambala
23	Naneola	Ambala
24	Batrohan	Ambala
25	Khaira	Ambala
26	Matehri Shekhon	Ambala
27	Mohra	Ambala
28	Mehln	Ambala
29	Bhuni	Ambala
30	Malour	Ambala
31	Bharangpur	Ambala
32	Daudpur	Ambala
33	Lotan	Ambala
34	Sakraon	Ambala
35	Kanwala	Ambala
36	Begomajra	Ambala
37	Mujaifra	Ambala
38	Tharwa	Ambala
39	Tharwa Babaheri	Ambala
40	Sullar	Ambala

1	2	3
41	Ahma	Ambala
42	Quarbanpur	Ambala
43	Bahnpur	Ambala
44	Mirjapur	Ambala
45	Ismailpur	Ambala
46	Bahapur	Ambala
47	Niharsi	Ambala
48	Jansua	Ambala
49	Sounta	Ambala
50	Sounti	Ambala
	List of Ponds of Distt. Panchkula.	
1	Barsola	Pinjore
2	Chandimandir	Pinjore
3	Kandiyala	Pinjore
4	Baksiswala	Pinjore
5	Bavana	Pinjore
6	Dhamala	Pinjore
7	Garida Jattan	Pinjore
8	Madwala	Pinjore
9	Majra Mehtab	Pinjore
10	Vasudevpura	Pinjore
11	Barwala	Barwala
12	Batoda	Barwala
13	Khatoli	Barwala
14	Manak Tabra	Barwala
15	Ramgarh	Barwala
16	Hangola	Raipur Rani
17	Haryoli	Raipur Rani
18	Natwal	Raipur Rani
19	Nayagaon	Raipur Rani
20	Raipur Rani	Raipur Rani
21	Bagwala	Raipur Rani
22	Garhi Kotahan	Raipur Rani
23	Khadi	Raipur Rani
24	Moli	Raipur Rani
25	Bereli	Barwala

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
26	Rattewali	Barwala
27	Kalka	Pinjore
28	Bitna	Pinjore
29	Dhra Kroni	Pinjore
30	B.S.W. Surajpur	Pinjore
31	Jabrot	Pinjore
32	Rampur Jangi	Pinjore
33	Saketri	Pinjore
34	Surajpur	Pinjore
35	Tigra Hansua	Pinjore
36	Mandawala	Pinjore
37	Tipra	Pinjore

List of Ponds of District Yamuna Nagar

1.	Harewa	Chhachhrauli
2.	Khadri Ram	Chhachhrauli
3.	Mansurpur	Radaur
4.	Tehi	Bilaspur
5.	Deodhar	Chhachhrauli
6.	Aluwala	Jagadhri
7.	Khanpur	Chhachhrauli
8.	Shadipur	Yamuna Nagar
9.	Sandhala	Radaur
10.	Mandi	Jagadhri
11.	Mandebari	Jagadhri
12.	Topra Kurd	Bilaspur
13.	Khurdhan	Radaur
14.	Jaipur	Jagadhri
15.	Nathanpur	Chhachhrauli
16.	Hiassanpur	Chhachhrauli
17.	Sasoli	Jagadhri
18.	Rulakheri	Jagadhri
19.	Ratoli	Jagadhri
20.	Kail	Jagadhri
21.	Haripur Jattan	Bilaspur
22.	Guglon	Mustafabad

1	2	3
23.	Faridpur	Mustafabad
24.	Mundhar	Radaur
25.	Jihiverheri	Radaur
26.	Kishanpura	Chhachhrauli
27	Khizrabad	Chhachhrauli
28.	Tugaipur	Chhachhrauli
29.	Jaidhar	Chhachhrauli
30.	Basantpur	Radaur
31.	Masana Rangra	Radaur
32.	Bhilipura	Chhachhrauli
33.	Kotra	Bilaspur
34.	Sandhey	Bilaspur
35.	Mujafat	Bilaspur
36.	Milakpur Banger	Chhachhrauli
37.	Milk	Bilaspur
38.	Darpur	Chhachhrauli
39.	Harnaul	Jagadhri
40.	Nandgarh	Chhachhrauli
41.	Haider Pur	Chhachhrauli
42.	Jathiana	Radaur
43.	Sandhala	Radaur
44.	Damla	Jagadhri
45.	Dofera	Radaur
46.	Bapali	Radaur
47.	Bakhana	Radaur
48.	Radauri	Radaur
49.	Hafji	Chhachhrauli
50.	Chhachhrauli	Chhachhrauli
51.	Damoli	Chhachhrauli
52.	Kheri	Jagadhri
53.	Khanpur	Mustafabad
54.	Janjhera	Mustafabad
55.	Darajpur	Mustafabad
56.	Kajibans	Mustafabad
57.	Gandapra	Mustafabad
58.	Daulatpur	Mustafabad
59.	Kanri Kalan	Mustafabad
60.	Siyalwa	Mustafabad

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
61.	Badanpuri	Mustafabad
62.	Chhori Majra	Radaur
	District Sonepat	
1.	Farmana	Kharkhoda
2.	Dodwa	Gohana
3.	Tihar Malik	Gohana
4.	Bhainswal Mithan	Gohana
5.	Bhainswal Bawla	Gohana
6.	Katwal	Gohana
7.	Bidhal	Gohana
8.	Teori	Ganaur
9.	Butana	Mudlana
10.	Ishapur Khri	Mundlana
11.	Busana	Mundlana
12.	Baroda	Mundlana
13.	Rindhana	Kathura
14.	Kathura	Kathura
15.	Chhichrana	Kathura
16.	Chhapra	Kathura
17.	Bhainswan	Gohana
18.	Bajana Khurd	Ganaur
19.	Bajana Kalan	Ganaur
20.	Lath	Gohana
21.	Jauli	Gohana
22.	Moi Hooda	Gohana
23.	Rewara	Gohana
24.	Bali	Gohana
25.	Khandari	Mundlana
26.	Bichpari	Mundlana
27.	Sargthal	Gohana
28.	Mahra	Gohana
29.	Rukhi	Gohana
30.	Rabhra	Gohana
31.	Kheri Damkan	Gohana
32.	Niyat	Gohana
33.	Kakana	Gohana

1	2	3
	District Sonepat	
1.	Ahulana	Ganaur
2.	Khari Gujar	Ganaur
3.	Atail	Ganaur
4.	Pipli Khera	Ganaur
5.	Lalheri	Ganaur
6.	Hasanpur	Ganaur
7.	Bhagan	Ganaur
8.	Pipli	Kharkhoda
9.	Jatola	Kharkhoda
10.	Kundal	Kharkhoda
11.	Thana Khurd	Kharkhoda
12.	Sehoti	Kharkhoda
13.	Purkhas	Ganaur
14.	Agwanpur	Ganaur
15.	Khubru	Ganaur
16.	Panchi Jattan	Ganaur
17.	Ganaur	Ganaur
18.	Ahirpur Majra	Ganaur
19.	Shekhpura	Ganaur
20.	Rohat	Kharkhoda
21.	Thana Kalan	Kharkhoda
22.	Jharot	Kharkhoda
23.	Khanda	Kharkhoda
24.	Shalimar Majra	Sonepat
25.	Sitawali	Sonepat
26.	Bhatgam	Sonepat
27.	Silana	Sonpat
28.	Kheri Dahiya	Sonepat
29.	Nakloi	Sonepat
30.	Farmana	Sonepat
31.	Kakroi	Sonepat
32	Bidhlan	Sonepat
33.	Mahlana	Sonepat

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
	District Faridabad	
1.	Fatehpur Tagga	Ballabgarh
2.	Shahpur Khurd	Ballabgarh
3.	Moncla	Ballabgarh
4.	Nangla Jogian	Ballabgarh
5.	Atali	Ballabgarh
6.	Heerapur	Ballabgarh
7.	Nariala	Ballabgarh
8.	Dhainkola	Ballabgarh
9.	Sadpura	Ballabgarh
	District Gurgaon	
1	Khalipur	Pataudi
2	Inchhapuri	Pataudi
3	Pahari	Pataudi
4	Rahnawa	Pataudi
5	Khod	Pataudi
6	Nanu	Pataudi
7	Basspadamka	Pataudi
8	Dadawas	Pataudi
9	Lokara	Pataudi
10	Jasat	Pataudi
11	Närehda	Pataudi
12	Jataula	Pataudi
13	Patli	Pataudi
14	Sanpka	Pataudi
15	Kuni	Pataudi
16	Chhawan	Pataudi
	District Gurgaon	
1	Loh Singhani	Gurgaon
2	Sancholi	Gurgaon
3	Harchandpur	Gurgaon
4	Daula	Gurgaon
5	Baluda	Gurgaon
6	Nimodh	Gurgaon
7	Sarmaphala	Gurgaon

1	2	3
8	Lalakheri	Gurgaon
9	Bai Khera	Gurgaon
10	Gagola	Gurgaon
11	Hazipur	Gurgaon
12	Silani	Gurgaon
13	Golka	Gurgaon
14	Mandaur	Gurgaon
	District Mewat	
1	Akera	Nuh
2	Chhachhera	Nuh
3	Meenali	Nuh
4	Dhiana	Nuh
5	Firozpur Nanak	Nuh
6	Naiod	Nuh
7	Salada	Nuh
8	Salaheri	Nuh
9	Muithan	Nigana
10	Kahan Mohhammiadpur	Nigana
11	Uleta	Nigana
12	Kalteri	Nigana
13	Ganduri	Nigana
14	Gurbri	Punhana
15	Lalpuri	Punhana
16	Hinganpur	Punhana
17	Raipur	Punhana
18	Gulata	Punhana
19	Ter	Punhana
	District Palwal	
1	Bhiduki	Hasanpur
2	Bammi Khera	Palwal
3	Dhatir	Palwal
4	Janouli	Palwal
5	Mandkola	Hathin
6	Maheshpur	Palwal
7	Nangal Jat	Hathin

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
8	Prithla	Palwal
9	Reebar	Hathin
10	Yadupur	Palwal
11	Alawalpur	Palwal
12	Ferozpur	Palwal
13	Kheria	Palwal
14	Kushak	Hasanpur
15	Lohina	Hodel
16	Bahin	Palwal
17	Sondh	Hathin
18	Manpur	Hodel
19	Aurrangabad	Hathin
20	Darana	Hasanpur
21	Bamchari	Hodel
22	Badha	Palwal
23	Dhamka	Palwal
24	Momolka	Hathin
25	Rehrana	Palwal
26	Bichore	Punhana
	Hisar District	
1.	Bhagana	Hisar-I
2.	Bhagana	Hisar-I
3.	Harita	Hisar
4.	Kanoh	Agroha
5.	Siwani Bolan	Agroha
6	Jakhod	Hisar
7	Muklan	Hisar-II
8	Bado Patti	Ghiral
9	Barwala	Barwala
10	Datta	Barwala
11	Datta Dairy Gaushala	Hansi
12	Depal	Hansi
13	Dhani Garan	Barwala
14	Dhani Mirdad	Barwala

1	2	3
15	Faridpur	Uklana
16	Hajampur	Bawani Khera
17	Harita	Hisar-I
18	Kaimire	Hisar-I
19	Khedar	Barwala
20	Kirodi	Barwala
21	Kundanpura	Uklana
22	Ladwa	Hansi
23	Litani	Barwala
24	Madanpura	Uklana
25	Masudpur	Hansi-I
26	Mingni Khera	Hisar
27	Neoli Khurd	Hisar-II
28	Pabra	Uklana
29	Panihari	Barwala
30	Parbhuwala	Uklana
31	Ramayan	Hansi
32	Ramayan	Hansi
33	Saharwa	Bawani Khera
34	Sandlana	Barwala
35	Sarsod	Barwala
36	Siwani Bolan	Agroha
37	Thurana	Hansi
38	Bhagana	Hisar-I
39	Bhagana	Hisar-I
40	Bobuwa	Barwala
41	Datta	Hansi-I
42	Umra	Hansi
43	Shahpur	Hisar
44	Salemgarh	Hisar
	Fatehabad District	
1	Akanwali	Tohana
2	Baijalpur	Bhuna
3	Bhirrana	Fatehabad
4	Bhuna	Bhuna
5	Bhuthan Kalan	Fatehabad

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
6	Chinder	Fatehabad
7	Dayyer	Bhattu
8	Dhand	Bhattu Kalan
9	Dhani Sanchla	Bhuna
10	Dhinsara	Bhattu
11	Dulat	Bhuna
12	Gorakhpur	Bhuna
13	Hizrawan Kalan	Fatehabad
14	Jamalpur Shekhon	Tohana
15	Jandli Kalan	Bhuna
16	Kanheri	Tohana
17	Khabra Kalan	Bhattu Kalan
18	Kukranwali	Bhattu Kalan
19	Mehuwala	Bhattu Kalan
20	Mussa Ahli	Fatehabad
21	Nakta	Ratia
22	Nangli	Tohana
23	Phullan	Ratia
24	Pilchan	Ratia
25	Pirthla	Tohana
26	Rehankheri	Bhuna
27	Thuian	Bhattu
28	Lehrian	Bhuna
29	Karnoli	Fatehabad
30	Ratta Khera	Ratia
31	Madh	Ratia
32	Alika	Ratia
33	Tharwa	Tohana
34	Khundan	Ratia
35	Salam Khera	Fatehabad
36	Jandwala Sottar	Fatehabad
37	Dadupur	Ratia
38	Hukmanwali	Ratia
39	Jallopur	Ratia
40	Nagpur	Ratia

1	2	3
41	Dhollu	Bhuna
42	Ganda	Ratia
43	Buwan	Ratia
44	Dharnia	Fatehabad
	Sirsa District	
1	Assa Khera	Dabwali
2	Bhamboor	Sirsa
3	Chalkka	Rania
4	Charnel	Sirsa
5	Gidder Khera	Dabwali
6	Jottanwali	Dabwali
7	Lohgarh	Dabwali
8	Modi	Dabwali
9	Narel Khera	Sirsa
10	Rangri Khera	Sirsa
11	Resulpur Their	Sirsa
12	Sadewala	Rania
13	Sukhera Khera	Dabwali
14	Bharu Khera	Dabwali
15	Shahpur Begu	Sirsa
16	Vaidwala	Sirsa
17	Mushibwala	Sirsa
18	Baruwali - 2 No	Sirsa
19	Ghoranwali	Rania
20	Balasar	Rania
21	Alimohamed 2 No	N. Chopta
	Bhiwani District	
1	Badalu	Bhiwani
2	Banga	Bhiwani
3	Devsar	Bhiwani
4	Dhanana III	Bhiwani
5	Dhani Mahu	Tosham
6	Dharara	Bhiwani
7	Hindol	Dadri
8	Jatal	Bhiwani
9	Jhanwari	Tosham

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
10	Jui	B. Khera
11	Lal Rewari	Bhiwani
12	Madhmoorvi	Dadri
13	Misri	Dadri
14	Paintawas Khurd	Dadri
15	Pur	B. Khera
16	Ranila	Dadri
17	Sankroad	Bhiwani
18	Sui	B. Khera
19	Talu	Bhiwani
20	Sanjawas	Dadri I
21	Sanwar	Ch. Dadri
22	Sordha Kadirn	Behal
23	Tigrana	Bhiwani
24	Alampur	Tosham
25	Baliyali	Khera
26	Balkara	Dadari II
27	Bamla	Bhiwani
28	Bapora	Bhiwani
29	Baral	Khera
30	Bhurtana	Bawani Khera
31	Biran	Tosham
32	Birhi Kalan	Dardi II
33	Chang	Bhiwani
34	Chhappar	Dardi II
35	Devrala	Kairu
36	Dhadhi Chhillar	Dadari II
37	Dhanana	Bhiwani
38	Dhanana I	Bhiwani
39	Dhani Hunat	Siwani
40	Garwa	Siwani
41	Gokalpura	Behal
42	Gurera	Siwani
43	Jamalpur	Bawani Khera
44	Jatu Luhari	B. Khera

1	2	3
45	Jui Katan	Kairu
46	Jui Khurd	Kairu
47	Kairu	Kairu
48	Kaluwas	Bhiwani
49	Kariu II	Kairu
50	Katwar	Tosham
51	Kayla	Ch. Dadri
52	Khark Kalan	Bhiwani
53	Kungar	Bawani Khera
54	Lamba	Dadri I
55	Lohani	Kairu
56	Mahrana	Dadri I
57	Mandholi Khurd	Siwani
58	Mithathal	Bawani Khera
59	Naloi	Siwani
60	Noonsar	Behal
61	Obera	Behal
62	Paintawas Kalan	Ch. Dadri
63	Palri	Dadri II
64	Paluwas	Bhiwani
65	Phogat	Dadri I
66	Ratera	Siwani
67	Sippar	Bawani Khera
68	Siwana	Bawani Khera
69	Surpura Kalan	Behal
	Kaithal District	
1	Balbhera	Ghula
2	Balu	Kalayat
3	Bata	Kalayat
4	Budha Khera	Kaithal
5	Chuhar Majra	Pundri
6	Dhundheri	Kaithal
7	Fetehpur	Pundri
8	Geong	Kaithal
9	Ghuna	Kaithal
10	Guliana	Rajound

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
11	Harsola	Kaithal
12	Jakhouli	Rajound
13	Kasan	Rajound
14	Kithana	Rajound
15	Kultaran	Kaithal
16	Malikpur Samana	Guhla
17	Manas	Kaithal
18	Mandi Kalan	Kalayat
19	Naina	Kaithal
20	Ramgarh	Kalayat
21	Rohera	Rajound
22	Sismor	Kaithal
23	Ahun	Pundri
24	Balbehra	Guhla
25	Balu Rapria	Kalayat
26	Baupur	Guhla
27	Baupur	Guhla
28	Bhagal	Guhla
29	Bhatian	Guhla
30	Bhuna	Guhla
31	Bhunsla	Guhla
32	Sir Bangra	Rajound
33	Birthe Bahari	Rajound
34	Bucchi	Pundri
35	Chaba	Guhla
36	Chausala	Kalayat
37	Chur Majra	Pundri
38	Danoota	Guhla
39	Dhundwa	Kalayat
40	Dohar	Siwan
41	Dubbal	Kalayat
42	Dumara	Kalayat
43	Duserpur	Guhla
44	Fatehpur	Pundri
45	Gaggarpur	Guhla

1	2	3
46	Gaggarpur	Guhla
47	Garhi	Kaithal
48	Guhna	Kaithal
49	Hamumajra	Guhla
50	Haripura	Kalayat
51	Harnola	Siwan
52	Janedpur	Siwan
53	Kailram	Kalayat
54	Kailram	Kalayat
55	Kakeor Majra	Siwan
56	Kekeor Majra	Siwan
57	Kakheri	Siwan
58	Kalasar	Kalayat
59	Kangthali	Siwan
60	Kasouli	Guhla
61	Kasouli	Guhla
62	Kasour	Siwari
63	Kathwar	Kaithal
64	Kaul	Pundri
65	Kaul	Pundri
66	Kemheri	Guhla
67	Kemheri	Guhla
68	Khambera	Guhla
69	Kharkan	Siwan
70	Kharkara	Guhla
71	Kharkara	Guhla
72	Kheri Daban	Guhla
73	Kheri Rai Wali	Kaithal
74	Kheri Sher khan	Kalayat
75	Kheri Sheru	Kaithal
76	Khushal Majra	Guhla
77	Khushal Majra	Guhla
78	Kithana	Rajound
79	Kotra	Rajound
80	Kotra	Rajound
81	Kurar	Kalayat

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
82	Kutabpur	Kaithal
83	Ladana Chakku	Siwan
84	Lalpur	Guhla
85	Lander Pirjada	Siwan
86	Majri	Guhla
87	Malikpur	Siwan
88	Malikpur Samana	Guhla
89	Mandi Sadra	Siwan
90	Mandi Sadra	Siwan
91	Mundwal	Rajound
92	Nanakpur	Guhla
93	Nand Singh Wala	Kaithal
94	Nandgarh	Guhla
95	Neemwala	Rajound
96	Pabnawa	Pundri
97	Paharpur	Siwan
98	Paharpur	Siwan
99	Pai	Pundri
100	Paprala	Guhla
101	Pharal	Pundri
102	Pinjupura	Kalayat
103	Polar	Siwan
104	Polar	Siwan
105	Rajound	Rajound
106	Ramda pur	Siwan
107	Ramgarh Pandwa	Kalayat
108	Ramthalli	Siwan
109	Rasina	Pundri
110	Rawanhera	Pundri
111	Sair	Siwan
112	Sajuma	Kaithal
113	Sakra	Pundri
114	Salimpur Mehmood	Pundri
115	Salimpur Mehmood	Pundri
116	Sanghan	Kaithal

1	2	3
117	Santokh Majra	Rajound
118	Seon Majra	Guhla
119	Seon Majra	Guhla
120	Simla	Kalayat
121	Sinh	Guhla
122	Sisla	Kaithal
123	Sotha	Siwan
124	Sultania	Guhla
125	Taranwali	Siwan
126	Tatiana	Guhla
127	Tatiana	Guhla
128	Teek	Kaithal
129	Then Mukerian	Guhla
130	Wazir Nagar	Kalayat
	Kurukshetra District	
1	Bakhali	Pehowa
2	Mandi	Pehowa
3	Sandholi	Pehowa
4	Batehri	Pehowa
5	Harigarh Borakh	Pehowa
6	Bodha	Pehowa
7	Malikpura	Pehowa
8	Galedwa	Pehowa
9	Bachki	Pehowa
10	Jalbehra	Pehowa
11	Naisi	Pehowa
12	Jakhwala	Pehowa
13	Lotani	Pehowa
14	Shahapura	Pehowa
15	Mohanpura	Pehowa
16	Morthali	Pehowa
17	Kainthala	Pehowa
18	Chhailon	Pehowa
19	Rohti	Shahabad
20	Ajrawar	Shahabad
21	Hassanpura	Thanesar

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
22	Indbari	Thanesar
23	Khidarpura	Thanesar
24	Jhinjarpur	Thanesar
25	Bachki	Thanesar
26	Balahi	Pehowa
27	Barna-II	Thanesar
28	Bhansi Majra	Thanesar
29	Bhusthala	Pehowa
30	Bibipur-II	Pehowa
31	Bilochpura	Pehowa
32	Bodhani	Pehowa
33	Chanalheri	Pehowa
34	Chhajupur	Pehowa
35	Jorasi Kalan	Pehowa
36	Kaithala Khurd	Thanesar
37	Kalsa	Pehowa
38	Kamoda	Pehowa
39	Lohar Majra	Pehowa
40	Lukhi	Thanesar
41	Malikpur	Pehowa
42	Morthala	Thanesar
43	Murtzapur	Pehowa
44	Saina Saidan	Pehowa
45	Samsipur	Pehowa
46	Sandhola	Pehowa
47	Sarsa	Pehowa
48	Surmi	Pehowa
49	Telheri	Pehowa
	Karnal District	
1	Amupur	Nissing
2	Baldi	Karnal
3	Ballah	Assandh
4	Barsat	Gharaunda
5	Basthali	Nissing
6	Sirchpur	Nissing

1	2	3
7	Brass	Nissing
8	Dadupur	Nissing
9	Dupedi	Assandh
10	Furlak	Gharaunda
11	Garhi Birbal	Indri
12	Gogripur	Nissing
13	Gumato	Indri
14	Kabulpur Khera	Assandh
15	Kalsora	Indri
16	Kheri Man Singh	Indri
17	Majra Roran	Nilokheri
18	Rahara	Assandh
19	Raipur Roran	Nilokheri
20	Ramana Ramani	Nilokheri
21	Ramba	Karnal
22	Rishalwa	Assandh
23	Satroo	Karnal
24	Sheikhpur Khadar	Indri
25	Sheikhpura	Gharaunda
26	Shergarh Rathodi	Indri
27	Sultanpur	Nilokheri
28	Thari	Assandh
29	Uchana	Karnal
30	Alawla	Assandh
31	Bambheri	Assandh
32	Chorkarsa	Assandh
33	Dupedi	Assand h
34	Jabala	Assandh
35	Kolkhera	Assandh
36	Manchuri	Assandh
37	Manchuri	Assandh
38	Padha	Assandh
39	Thari	Assandh
40	Chorkarsa	Assandh
41	Jabala	Assandh
42	AIwala	Assandh

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
43	Manchuri	Assandh
44	Jainpur Sadhan	Indri
45	Bibipur Jattan	Indri
46	Khera	Indri
47	Mank Majra	Indri
48	Badson	Indri
49	Buttan Kheri	Indri
50	Kalri Jagir	Indri
51	Chhaper Mustka	Indri
52	Bir-Badson	Indri
53	Nagla Roran	Indri
54	Bhoji Khalsa	Indri
55	Dhanokheri	Indri
56	Sayed Chhapra	Indri
57	Hansu Majra	Indri
58	Sarwan Majara	Indri
59	Manhorpur	Indri
60	Chandsmad	Indri
61	Garh Gujran	Indri
62	Kadrabad	Indri
63	Ilinori	Indri
64	Randoli	Indri
65	Bibipur Jattan	Indri
66	Kalri Jagir	Indri
67	Sayed Chhapra	Indri
68	Bhusali	Karnal
69	Chhapra Jagir	Karnal
70	Dabarki	Karnal
71	Daha Jagir	Karnal
72	Daniyalpur	Karnal
73	Douigarh	Karnal
74	Mainmati	Karnal
75	Mangal pur	Karnal
76	Manglora	Karnal
77	Mirghain	Karnal

1	2	3
78	Nalvi Par	Karnal
79	Nasirpur	Karnal
80	Phusgarh	Karnal
81	Subhri	Karnal
82	Uchana	Karnal
83	Barani	Nilokheri
84	Barthal	Nilokheri
85	Bursham	Nilokheri
86	Haibatpur	Nilokheri
87	Jambha	Nilokheri
88	Kalsi	Nilokheri
89	Kamalpur	Nilokheri
90	Keor	Nilokheri
91	Lathron	Nilokheri
92	Majra Rodan	Nilokheri
93	Pujam	Nilokheri
94	Sambhi	Nilokheri
95	Sitarnai	Nilokheri
96	Augondh	Nissing
97	Brass	Nissing
98	Brass	Nissing
99	Dacher	Nissing
100	Gobindgarh	Nissing
101	Gullarpur	Nissing
102	Jani	Nissing
103	Peon	Nissing
104	Picholia	Nissing
105	Zarifabad	Nissing
106	Ghari Khajoor	Gharaunda
107	Panauri	Gharaunda
108	Shiekpura	Gharaunda
	Panipat District	
1	Adyana	Madlauda
2	Ahar	Israna
3	Alupur	Madlauda
4	Atawla	Madlauda

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
5	Babail	Bapoli
6	Balana	Israna
7	Barahman Majra	Israna
8	Biholi	Samalkha
9	Buana Lakhu	Israna
10	Bursham	Israna
11	Chamrara	Israna
12	Chandoli	Panipat
13	Didwari	Israna
14	Didwari	Israna
15	Dumiana	Madlauda
16	Gawalra	Samalkha
17	Goela Kalan	Bapoli
18	Jondhan Khurd	Israna
19	Kaith	Israna
20	Kakoda	Israna
21	Kurar	Bapoli
22	Lohari	Madlauda
23	Nain	Israna
24	Naraina	Samalkha
25	Palri	Israna
26	Urlana Khurd	Israna
27	Vaiser	Madlauda
28	Buwana Lakhu	Israna
29	Dariyapur	Madlauda
30	Hartari	Israna
31	Kaith	Israna
32	Lohari	Madlauda
33	Manana	Samalkha
34	Naraina	Samalkha
35	Pardhana	Israna
36	Pathri	Israna
37	Rairkalan	Madlauda
38	Seenkh	Israna
39	Simla Molana	Panipat
40	Urlana Khurd	Madlauda

1	2	3
	Rewari District	
1	Berlikalan	Jatusana
2	Buroli	Khol
3	Gokalgarh	Rewari
4	Jat Sayarwas	Rewari
5	Jatusana	Jatusana
6	Katopuri	Jatusana
7	Kishan Garh Balawas	Rewari
8	Modinpur	Jatusana
9	Saharanwas	Rewari
10	Tatarpur	Rewari
11	Bhagwanpur	Rewari
12	Bhudla	Rewari
13	Bolni	Bawal
14	Budani	Rewari
15	Dawana	Rewari
16	Fideri	Rewari
17	Ghasera	Rewari
18	Jailpur Sekhpur	Rewari
19	Kumbhawas	Rewari
20	Ladhuwas Gujar	Rewari
21	Lala	Jatusana
22	Lisana	Rewari
23	Majra Swaraj	Rewari
24	Mamadia Asampur	Khol
25	Mundi	Khol
26	Panchor	Bawal
27	Parla	Khol
28	Pathanwas	Bawal
29	Ramgarh	Rewari
30	Sampli	Bawal
31	Surriakhera	Jatusana
32	Ahmedpur	Nahar
33	Ahrod	Khol
34	Balwari	Khol
35	Bawana Gujjar	Khol

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
36	Berli Khurd	Jatusana
37	Bhalkhi	Khol
38	Bhurthal	Rewari
39	Bikaner	Rewari
40	Bithwana	Bawal
41	Bitori	Jatusana
42	Boria Kamal Pur	Rewari
43	Budana	Rewari
44	Budhpur	Rewari
45	Chitadungra	Khol
46	Dadani	Rewari
47	Dohki	Rewari
48	Dungarwas	Rewari
49	Gagi Gopal pur	Jatusana
50	Gangayacha Ahir	Rewari
51	Gobindpuri	Khol
52	Gothra Tappa Khori	Khol
53	Gumina	Khol
54	Hansawas	Jatusana
55	Hanska	Rewari
56	Jadra	Rewari
57	Jarthal	Bawal
58	Jonawas	Rewari
59	Kadub	Khol
60	Kalpur	Bawal
61	Kaluwas	Rewari
62	Khera Alampur	Jatusana
63	Khol	Khol
64	Khori	Khol
65	Kundal	Khol
66	Majra	Khol
67	Majra	Khol
68	Majra Gurdash	Rewari
69	Mamdia Ahir	Khol
70	Mamdia Thaher	Khol

1	2	3
71	Mandola	Jatusana
72	Masani	Rewari
73	Mayan	Khol
74	Meerpur	Rewari
75	Nangal	Jatusana
76	Nangal Sahbajpur	Bawal
77	Nangal Teju	Bawal
78	Nangla	Khol
79	Nikhri	Rewari
80	Pali	Khol
81	Pehrajwas	Jatusana
82	Rajgarh	Bawal
83	Rajiyaka	Khol
84	Roliwas	Khol
85	Sundroj	Khol
86	Tankri	Bawal
	District Rohtak	
1	Aasan	Rohtak
2	Ajayab	Meham
3	Ajayab	Meham
4	Ajayab	Meham
5	Bahu Akbarpur	Rohtak
6	Bakheta	Rohtak
7	Balland	Rohtak
8	Behlba	Meham
9	Dataur	Rohtak
10	Charnariya	Rohtak
11	Chullana	Rohtak
12	Dhamer	Rohtak
13	Dhoo	Rohtak
14	Farmana Khas	Meham
15	Gharonthi	L/Majra
16	Gharornihi	L/Majra
17	Girawar	Meham
18	Ismaila	Sampla
19	Kakrana	Kalanaur

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
20	Kanehli	Rohtak
21	Kansala	Rohtak
22	Karontha	Rohtak
23	Kasranti	Rohtak
24	Kheri Sad	Rohtak
25	Kiloi	Rohtak
26	Madina	Rohak
27	Masudpur	Kalanaur
28	Makhroli	Rohak
29	Mungan	Rohtak
30	Rithal	Rohtak
31	Ritoli	Rohtak
32	Ritoli	Rohtak
33	Shimli	Rohtak
34	Singh Pura Kalan	Rohtak
35	Sudana	Kalanaur
36	Sunaria Khurd	Rohtak
37	Samchana	Rohtak
	Jhajjar District	
1	Bahu	Matanhail
2	Bhurawas	Salhawas
3	Chhapaar	Salhawas
4	Chhara	Bahadurgarh
5	Dawla	Jhajjar
6	Dubaldhan	Beri
7	Girawar	Jhajjar
8	Hamanyunpur	Matanhail
9	Jamalpur	Matanhail
10	Jhanswa	Matanhail
11	Neola	Salhawas
12	Nilaheri	Salhawas
13	Bakra	Beri
14	Chhabili	Jhajjar
15	Gudha	Jhajjar
16	Gwalishan	Matanhail

1	2	3
17	Jhakhoda	Bahadurgarh
18	Matanhail	Matanhail
19	Mubarakpur	Salhawas
20	Nilothi	Bahadurgarh
21	Seria	Beri
22	Tumabaheri	Salhawas
23	Badsa	Bahadurgarh
24	Chamanpura	Beri
25	Chandhwana	Matanhail
26	Dhania	Salhawas
27	Dhanirwas	Salhawas
28	Lakria	Beri
29	Majri	Bahadurgarh
30	Maliawas	Matanhail
31	Nimana	Jhajjar
32	Rampura	Jhajjar
	Jind District	
1	Bhambewa	Pilukhera
2	Bhuran	Pilukhera
3	Dariyawala	Jind
4	Dharauli	Pilukhera
5	Hatt	Safidon
6	Kalawali	Pilukhera
7	Kalwa	Pilukhera
8	Karsindo	Uchana
9	Karsola	Julana
10	Kilazafar Garb	Julana
11	Malshree Khera	Pilukhera
12	Morkhi	Pilukhera
13	Padana	Julana
14	Raichandwala	Alewa
15	Ramrai	Jind
16	Ritoli	Pilukhera
17	Shamdo	Alewa
18	Siwaha	Pilukhera
19	Siwanmal	Pilukhera

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
20	Dohana Khera	Narwana
21	Kheri Masanian	Narwana
22	Pegha	Rajaund
23	Sirsakheri	Julana
24	Alewa	Alewa
25	Badhana	Alewa
26	Belerkha	Narwana
27	Bhikhewala	Narwana
28	Bohatwala	Jind
29	Brar Khera	Jind
30	Fatehgarh	Julana
31	Frain Kalan	Narwana
32	Frain Khurd	Narwana
33	Ghaso Kalan	Uchana
34	Gulkani	Jind
35	Hadwa	Safidon
36	Igrah	Jind
37	Ishmailpur	Narwana
38	Jhamola	Julana
39	Kandela	Jind
40	Kheri Safa	Uchana
41	Ludana	Pilukhera
42	Mandi Kalan	Uchana
43	Mehrara	Julana
44	Pokri Kheri	Jind
45	Rajpura	Jind
46	Shahpur	Jind
47	Surja Khera	Narwana
48	Uchana Kalan	Uchana
	Mohindergarh District	
1	Kanwi	Nagalchaudheri
2	Neerpur	Ateli
3	Naheri	Narnaul
4	Jatwas	Mohindergarh
5	Jasawas	Mohindergarh

1	2	3
6	Nangal Soda	N/CH.
7	Bagdana	Mohindergarh
8	Azamnagar	Narnaul
9	Palh	Mohindergarh
10	Nagawas	Mohindergarh
11	Karoli	Narnaul
12	Tobra	Ateli
13	Bhankhre	Narnaul
14	Kurthal Kalan	Mohindergarh
15	Mohamadpur	NNL
16	Nimhahera	Mohindergarh
17	Piaga	Mohindergarh
18	Gadaniya	Mohindergarh
19	Dochana	Narnaul
20	Guwani	Ateli
21	Hudeena	NNL
22	Hazipur	Narnaul
23	Budeen	Mohindergarh
24	Kunjpura	Ateli
25	Bocheriya	Ateli
26	Bhahgot	Kunina
27	Kamaniya	N/CH.
28	Lehrodha	Narnaul
29	Bhungarka	N/CH.
30	Balha Khurd	Narnaul
31	Sirohi Bahli	N/CH.
32	Akbarpur Ramu	Ateli
33	Bocheriya	Kanina
34	Beghpur	Ateli
35	Bhojawas	Kanina
36	Chandpura	Ateli
37	Chealwas	Kanina
38	Dhanunda	Kanina
39	Dholera	N/CH
40	Dulana	Mohindergarh
41	Ghara	Kanina

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
42	Goad	Narnaul
43	Jatguwana	Ateli
44	Jorashi	Narnaul
45	Kanti	Ateli
46	Khariya	Mohindergarh
47	Kharkhara Bas	Kanina
48	Khaspur	Narnaul
49	Khatodra	Mohindergarh
50	Khatoli Kalan	Narnaul
51	Khodma	Narnaul
52	Khorki	Mohindergarh
53	Lawan	Mohindergarh
54	Mulodhi	N/CH.
55	Pathera	Kanina
56	Pota	Kanina
57	Salimpur	Ateli
58	Sayana	Kanina
59	Sheoramnatha pura	N/CH.
60	Sujapur	Ateli
61	Talwana	Kanina
62	Unhani	Kanina

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा की इकोनॉमी में पशुधन का भी अहम रोल है। मंत्री जी ने जो नये तालाबों की बात कही है क्या मंत्री जी पुराने तालाबों का साईज़ बढ़ायेंगे और जो नये तालाब बनाये जायेंगे क्या उनको भी बड़ा बनाया जायेगा क्योंकि पहले गांव छोटे थे लेकिन अब आबादी बढ़ने से गांवों का आकार भी बड़ा हो चुका है। इसके अलावा क्या माननीय मंत्री जी गांवों में साफ पानी और गंदे पानी के लिए अलग-अलग तालाब बनाये जाने का कोई प्रावधान है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी गांवों में यह पोजीशन थी कि जितने भी गांवों में तालाब थे एक तो उन सभी में बड़ी भारी मात्रा में सिल्ट हो गई थी दूसरा गांवों की जो नालियां थी वे लगभग सभी तालाबों से जोड़ दी गई थी जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनमें पॉल्यूशन का लैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तालाबों में पशुओं द्वारा पानी पिया जाना तो दूर वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकोनॉमिक्स स्टैमुल्स नाम से एक पैकज अनाऊंस

किया जिसके तहत सर्वप्रथम हरियाणा के तकरीबन 100 पुराने तालाबों को लिया गया है। इनमें हम बेसीकली बीच में पार्टीशन वॉल बनायेंगे। पार्टीशन वॉल बनाने के बाद जो लोअर पोर्शन होगा उसमें हम गांव का गंदा पानी रखेंगे और जो थोड़ा हायर पोर्शन होगा उसमें हम बिल्कुल साफ पानी रखेंगे जिसे पशु पी सकेंगे। ऐसा करने से पशुओं को पीने के पानी की होने वाली दिक्कत से निजात मिलेगी। यह स्कीम हमने नरेगा के तहत लांच की है। इसमें 732 तालाबों का निर्माण नरेगा और काडा मिलकर करेंगे और 268 तालाबों का निर्माण नरेगा और इरीगेशन डिपार्टमैंट मिलकर करेंगे। अब तक हमने तकरीबन 59 तालाबों पर काम शुरू कर दिया है। इस समय कैथल जिले में चार तालाबों पर काम शुरू कर दिया है, टैण्डर हो चुके हैं। इससे ग्राऊण्ड वाटर टैल की रिचार्जिंग भी होगी और यह सिस्टम सैनीटेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसके अतिरिक्त विलेज ड्रेनेज का जो गंदा पानी होगा वह भी गंदे तालाब में गिर सकेगा और उस गंदे पानी को अगर गांव का कोई किसान चाहेगा तो धम्भ करके इरीगेशन परपज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। जहां तक नये तालाबों के निर्माण का सम्बन्ध है इस बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अभी हम नये तालाब नहीं बना रहे हैं अभी तो जो गांवों में पुराने तालाब थे और जिनका पानी सड़ने से गांवों में दिक्कत आ रही थी हमने सबसे पहले उनको ही इस स्कीम के तहत लिया है ताकि अच्छे तरीके से हमारे गांवों के पशुधन को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह कार्य किया है। इसके अलावा भी अगर कोई और माननीय सदस्या चाहे वह हमें सम्बंधित स्थान के बारे में लिखित में सूचित करे तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम वहां की रिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए भी उचित कार्यवाही करेंगे। अब तक हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में 1059 तालाब आईडैंटीफाई किए हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हर गांव में पर्याप्त वाटर सप्लाई देने का प्रयास किया है जिससे लगभग प्रदेश के सभी गांवों में पानी की उपलब्धता काफी बढ़ गई है इससे जो पानी के तालाब हैं वे बहुत जल्दी ओवर फ्लो हो जाते हैं, इसलिए जो तालाबों का स्वरूप बदला जा रहा है क्या उनमें साफ पानी भरने के लिए भी सरकार द्वारा नये खाले बनाने जैसी कोई अलग से व्यवस्था की जा रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि नये तालाब ए०डी०सी० द्वारा डी०आर०डी०ए० में जो वैरियस स्कीम्ज़ हैं उनके तहत खुदवाया जाता है। ए०डी०सी० को हमारे द्वारा ये निर्देश दिये जाते हैं कि वे ज्यादातर तालाब जहां पर नहरों की उपलब्धता है, वहां नहरों के नज़दीक खोदें ताकि वहां से उनमें पानी डाला जा सके। जो वाटर चैनल होते हैं वे भी डी०आर०डी०ए० के तहत बनते हैं इसलिए जहां-जहां चैनल तालाबों में पानी देंगे उनको हम अपने इरीगेशन डिपार्टमैंट से भरवा देंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां पर नहरों का प्राविज़न नहीं है वहां पर जो तालाब खोदे गये हैं उनको पानी से कैसे भरा जायेगा ? जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में नांगल सोडा, कारोली और दौता इन 3 जगहों पर तालाब खोदे गये हैं वहां पर नहर का प्रोविज़न नहीं है इनमें पानी कैसे पहुंचाया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर नहर से पानी पहुंचने का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर तो केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । बेसिकली हम जो पार्टीशन कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि आधे हिस्से में साफ पानी रहे और दूसरे आधे हिस्से में गंदा पानी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

रहे। दूसरी बात यह है कि हम तालाबों के पार्टीशन का काम नरेगा स्कीम के तहत न करवा कर मशीनों से करवायेंगे क्योंकि आपको पता है कि कई जगह मजदूर नहीं मिलते।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि घरों के कनैक्शन के पाईप टूट जाने और उसमें खराब पानी मिलने से नलों में दूषित पानी आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हांसी में मालिया मंडी एक बहुत बड़ा मौहल्ला है उसमें सप्लाई का पानी जो आता है वह दूषित आता है। इस बारे में कई बार महकमे को कहा भी गया है कि जो सरकारी वाटर टैंक लगे हैं उनमें दूषित पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, उसका कारण है हांसी के टैंकों की सफाई नहीं हो रही है। हांसी में टैंकों में रेत भरी हुई है और उसमें पानी बहुत कम मात्रा में है। क्या मंत्री जी दूषित पानी की समस्या का कोई निदान करेंगे और उसकी सफाई का कोई प्रावधान शीघ्र करवायेंगे ताकि जनता को स्वच्छ जल मिल सके ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं उसका तारांकित प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये टाऊन्स की बात कर रहे हैं। टाऊन्स में वाटर सप्लाई का काम पब्लिक हैल्थ विभाग का है।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो यह काम कलैक्टिव है, लेकिन आप इस बारे में सैप्रेट क्वैश्चन पूछें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से लिखकर प्रश्न पूछें।

श्री सुखबीर सिंह फरमाणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गाँवों में जो तालाब खोदे जाते हैं उनमें नहाने के लिए छोटे बच्चे चले जाते हैं और इस प्रकार के कई हादसे हुए हैं जहाँ छोटे बच्चे तालाबों में डूबे हैं । क्या मंत्री जी इसके लिए भी कोई प्रावधान करेंगे ताकि बच्चे वहाँ पर ठीक ढंग से नहा सकें और इस प्रकार के हादसे न हों। कई गाँवों में छोटे बच्चे डूबे हैं इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाये ताकि बच्चे डूबने से बच सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम तालाबों में घाट बनवायेंगे ताकि छोटे बच्चे वहाँ पर नहा सकें और डूबने से बच सकें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस में भी लाना चाहूँगा और उनसे यह पूछना चाहूँगा कि उनके विभागों में काडा और नरेगा के बीच क्या आपस में स्कीम के बारे में तालमेल ठीक है ? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में आपस में कोई तालमेल है । इन्होंने इस सीजन के शुरू में काडा के माध्यम से काम शुरू किया है लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए था उस गति से काम नहीं चल पा रहा है । यह तो इस बार इत्तफाक से बारिश देर से आई है अगर समय पर बारिश आ जाती तो यह काम बिल्कुल ही नहीं हो पाता और हम उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि एक स्कीम के तहत हर गाँवों के जोहड़ों की खुदाई की जानी चाहिए। मेरा तो आपसे अनुरोध है खास तौर से हमारे इलाके में, आपके इलाके में जहाँ पर नीचे एरिड वाटर है वहाँ पर जोहड़ों की ठीक ढंग से खुदाई करवा कर, उनकी रिटेनिंग वाल बनवाकर और जानवरों के पीने के पानी के लिए घाट भी

बनवाये जायें। यह ठीक है कि इन्होंने कैथल में 130 तालाबों को चुना है लेकिन किसी पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है इसीलिए हमारा यह सीजन वेस्ट हो गया । यह सिर्फ इसलिए हुआ कि इनका काड़ा और नरेगा के बीच तालमेल नहीं है । ये नरेगा के तहत यह काम कभी नहीं करवा पायेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है । हमने उपायुक्त के साथ बैठकर जिन तालाबों को आइडैंटीफाई किया है उनकी खुदाई नरेगा के तहत करवाने का फैसला लिया है । लेकिन नरेगा स्कीम के तहत जो लेबर काम पर लगाई जाती है वह उसी गाँव की होनी चाहिए जिस गाँव का काम होता हो । लेकिन विभाग को इस काम में दिक्कत आ रही है कि उन गाँवों से लेबर नहीं मिल रही है जिसकी वजह से यह समस्या आई है । स्पीकर सर, जहाँ-जहाँ इस प्रकार की समस्या आयेगी वहाँ पर काड़ा और सिंचाई विभाग मिलकर अपने लेवल पर विचार करेगा।

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा है कि जहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुंच पायेगा वहाँ पर तालाबों को बारिश के पानी से भरा जायेगा। लेकिन जिस प्रकार से इस साल बारिश नहीं हुई है अगर इसी प्रकार से किसी साल बारिश न हुई तो इस प्रकार के जोहड़ों को खोदने का कोई फायदा नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जोहड़ वहीं पर खोदने चाहिएं जहाँ पर इन जोहडों को नहर के साथ जोड़ा जा सके तभी इनका फायदा उठाया जा सकता है तथा पशुओं को पानी मिल सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर इन जोहड़ों की कनैक्टिविटी नहरों के साथ है वहाँ पर तो इनको नहरों से भरा जा सकता है और जहाँ पर नहरों से भरना सम्भव नहीं है वहाँ तो बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बारिश का पानी इकट्ठा हो कर तालाब भर जाते हैं।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, भाण्डौर गांव को मन्त्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हरजीपुर नदी उसके नजदीक पड़ती है। गांव के सभी लोगों ने मिल कर वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब खोदा है। इसके अलावा एक तालाब लोगों ने मनीठी गांव में भी खोदा है। महलावास गांव का पानी भी बहुत गन्दा है। हमारे प्रयास से पब्लिक हैल्थ ने एक बार वहां से सारा गन्दा पानी निकलवा दिया था। इस गांव का सारा गन्दा पानी इस तालाब में जाता है। जिसकी वजह से वहां की हालत बहुत खराब है। इसके कारण ही वहां पर हरिजनों के घर गिरने को हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन तीनों गांवों के लिए क्या मन्त्री जी ऐसा कोई प्रावधान करेंगे जिससे दो गांवों में पानी आ जाए और एक गांव में गन्दा पानी ठीक ढंग से निकल जाए क्या वे इस तरह की कार्यवाही करवाने की कृपा करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर महलावास गांव के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको हम पानी साफ करने वाली स्कीम में ले लेंगे और उसमें बाकायदा पार्टिशन करवा देंगे ताकि हाफ हिस्से में साफ पानी आ जाए। (विघ्न) यह छोटा हो या बड़ा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह गांव नहर के नजदीक है तो हम इस पौण्ड में एक बड़ी दीवार की कंस्ट्रक्शन करवा देंगे जिससे आधे हिस्से में साफ पानी और आधे हिस्से में गन्दा पानी रहेगा। भाण्डौर गांव की जो नहर है यह अभी अण्डर कंस्ट्रक्शन है इसलिए अभी उसमें पानी नहीं आया है। जिस वक्त उसमें पानी आएगा उस वक्त हम इसका काम भी करवाएंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मन्त्री जी ने यह जो परियोजना की चर्चा की है यह बहुत ही लाभदायक होगी। इस परियोजना के तहत एक हजार गांव लिये गये हैं। तालाबों में जो गन्दा पानी है वह सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गांव के घरों का जो गन्दा पानी जोहड़ों में जाता है वह हम सिंचाई के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पशुओं के लिए साफ पानी का इस्तेमाल हो सके, इसका मकसद यही है।

Release of sufficient quantity of water

***1269. Shri Naresh Sharma** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release the sufficient quantity of water in Drain No. 8 from Bhakra Head in Beri Constituency ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री नरेश शर्मा : सर, भाखड़ा हैड से ड्रेन नं० 8 में पानी छोड़ने से झज्जर और बादली विधान सभा क्षेत्र के करीब 50 गांवों को लाभ होगा। वहां पर बारिश नहीं होती है और पिछले 30 साल से वहां पर कभी पानी नहीं आया। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी और आपसे रिक्वैस्ट करके कुछ पानी छुड़वा लिया जिससे फसलें सूखने से बच गई। अगर इसमें थोड़ा-बहुत ध्यान रख लिया जाए तो 50-60 गांवों का काम चल सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो जे०एल०एन० फीडर कैपेसिटी 3541 क्यूसिक है। हमारी सरकार आने से पहले जो सरकार थी उसके समय में 1500 क्यूसिक पानी उसके अन्दर चलता था जब कि हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमें 2500 क्यूसिक पानी चलाया है इसमें भिवानी, भारनौल रिवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव के इलाकों की इरिगेशन की जाती है। बेसिकली जवाहर लाल नेहरू की ड्राइंग कैपेसिटी 927 क्यूसिक है और इसमें 600 क्यूसिक पानी हम देते हैं। लोहारू कैनाल की ड्राइंग कैपेसिटी 1379 क्यूसिक है इसमें 650 क्यूसिक पानी हम देते हैं क्योंकि अवेलेब्लिटी ऑफ वाटर हमारे पास इतनी ही है। एस०वाई०एल० कैनाल अभी तक बन नहीं पाई है। जो ड्रेन नं० 8 है यहां पर हमने दो ऐस्केप बना रखे हैं एक 83000 आर०डी० पर और दूसरी ऐस्केप आर०डी० 31000 जे०एल०एन० पर बना रखे हैं जहां पर एक डाईवर्शन ड्रेन नं० 8 है और जब ब्रेक डाउन होता है तो पानी उसमें चला जाता है। स्पीकर सर, क्योंकि बरसात नहीं हुई है और पानी की बड़ी भारी मात्रा में कमी है इसलिए अब हम कहें कि ड्रेन नं० 8 में हम पानी छोड़ दें वह पॉसिबल नहीं है। वहां पर एक ऐस्केप है आर०डी० 31000, पर भिण्डावास में भी कई दफा पानी चला जाता है। आज पानी की किल्लत है इसलिए यह मुनासिब नहीं होगा कि हम उसमें पानी डाल सकें।

Widening and Repair of Roads

***1246 Sh. Naresh Yadav** : Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen and repair the road from Ateli to Kanina; and

(b) if so, the time by which the work of the above-said road will be completed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Widening of this road is not required at present. There is, however, proposal to repair the road.

(b) the work of repair is likely to be completed within 6 months.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो अटेली कनीना रोड है यह बहरोड तक जाती है। यहां पर जितनी भी पंजाब से गाड़ियां आती हैं उनमें से कुछ तो नारनौल से होकर जयपुर जा रही हैं और बहुत सी गाड़ियां अटेली कनीना से होकर जयपुर जाती हैं। स्पीकर सर, काटी खेड़ी का रोड खराब था, उसकी वाईडनिंग कर दी गई है उसी तरह से यह जो अटेली कनीना रोड बहरोड तक जाती है, उस पर भी बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है तो क्या उसकी भी वाईडनिंग की जाएगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह जो अटेली से कनीना रोड है यह 3.66 मीटर थी और हमने इसको बढ़ाकर के 5.50 मीटर चौड़ी कर दिया है तथा इस पर 8 करोड़ रूपए लगे हैं। स्पीकर सर, इसकी वाईडनिंग और स्ट्रैथनिंग 2004-06 के दौरान हुई थी। जहां तक इनका सवाल इस सड़क की वाईडनिंग करने का है कि इसको सात मीटर तक चौड़ा कर दें। स्पीकर सर, यह सड़क 5.50 मीटर चौड़ी है। यहां पर पर-डे पैसेंजर का यूनिट 6000 पी०यू०सी० है। स्पीकर सर, एक ट्रक में 3 यूनिट होते हैं और अब तक इस रोड पर कुल 5600 पी०यू०सी० है इसलिए यह बायबल नहीं है कि हम इसको 7 मीटर तक चौड़ा करें । जहां तक इसकी रिपेयर करने का सवाल है, हमने वर्क प्रोग्राम 2009-10 में इसको टी०एफ०सी० स्कीम में ले लिया है। इसमें 80 लाख रूपए खर्च होंगे । आज 3.8.2009 को इसके टैण्डर खुल जाएंगे। हम इस काम को अलॉट भी कर देंगे और इनकी सड़क रिपेयर भी हो जाएगी।

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I want to bring to your kind notice कि नरेश जी हमेशा कैप्टन साहब से प्रश्न पूछते हैं और वे इनकी मांग स्वीकार कर लेते हैं । मंत्री जी, अब सदन में यह कहकर कि वहां पर पैसेंजर्ज का यूनिट सफिसैंट नहीं है इसलिए वाईडनिंग नहीं कर सकते हैं। पहले भी 'न' कह कर इन्होंने उन सड़कों का काम कर दिया और आगे वाली भी एक्सपैंड कर दी। It is a new southern Haryana nexus that is emerging.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा एक और सुझाव है कि जितनी भी हमारी मेन सड़कें गांवों को जोड़ने वाली हैं उनमें कुछ पी०डब्ल्यू०डी० की, कुछ मार्किटिंग बोर्ड की और कुछ पंचायतों की बनाई हुई सड़कें हैं। उन सड़कों पर पिछले कुछ सालों से कार्य नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सड़कों पर भी कार्य करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मार्किटिंग बोर्ड की और पंचायतों की सड़कें मार्किटिंग बोर्ड और पंचायतें ही रिपेयर करवाएंगी और जो हमारे पास सड़कें हैं वे हम ही रिपेयर करवाएंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि हमने 2009-10 में सड़कों पर 242.68 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। हमने सड़कें वेरियस हैडज में रिपेयर की हैं। सर,

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

2008-09 में और 2009-10 में 259 किलोमीटर सड़कों की वाईडनिंग और 324 किलोमीटर सड़कों की स्ट्रैंथनिंग की है और हमने टोटल 1067 किलोमीटर सड़कों की वाईडनिंग और स्ट्रैंथनिंग करने का प्रोग्राम बनाया था । जहां-जहां तक जो सड़कें टूटी हुई हैं वहां वहां हम पैचिंग करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके इलाके में जो आ रही है वह क्वैरिज की है। वहां पर ट्रक 80-80 टन माल भरकर आते हैं जिसके कारण हमारी सड़कें खराब और टूट जाती हैं। कई जगह तो ट्रक वाले जैक लगा देते हैं जिससे सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं। इसके बारे में सरकार विचार कर रही है कि जो ओवर लोडिंग है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। स्पीकर सर, जब तक ओवर लोडिंग का मामला खत्म नहीं होगा तब तक हमारी सड़के सुरक्षित नहीं रह सकती है । यह जो यमुनानगर, करनाल और नारनौल का एरिया है वहां पर बहुत क्वैरिज चलती हैं और वहीं पर यह समस्या आ रही है।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जब शहरों में मेन बाजार के अंदर इनका डिपार्टमैंट सड़कें बनाता है तो क्या ऐसी हिदायतें दी जाती हैं कि जो शॉप्स कीपर्स द्वारा इन्क्रोचमैंट की हुई हैं उन इन्क्रोचमैंट को हटाकर सड़कें बनायी जाएं ? अगर इस तरह की हिदायतें दी हुई हैं तो क्या उसको कोई चैक भी करता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जो हमारे विभाग के लोग हैं नार्मली तो वह ऐसे मामलों में पूरी निगाह रखते हैं लेकिन फिर भी यदि इनके नोटिस में कहीं पर इनके एरिया में इस प्रकार की इन्क्रोचमैंट है तो यह बता दें, हम उसको हटवा देंगे। स्पीकर साहब, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की इन्क्रोचमैंट न हो।

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब, तावडू से एक सड़क वाया मोहम्मदपुर-नारंगपुर-नरसिंगपुर तक जाती है। यह सड़क पहले प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना में चौड़ा करने और बनाने के लिए सैंक्शन हो गयी थी लेकिन किसी वजह से या सरकार की मंशा ठीक न होने के कारण उस सड़क का नाम काट दिया गया। स्पीकर साहब, यह सड़क राजीव चौक गुड़गांव से सीधी 30 किलोमीटर तक जाती है। वहां पर कंट्री क्लब भी है और क्लासिक गोल्फ क्लब भी है । इस तरह से वह सड़क एक अहम सड़क है इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस सड़क को चौड़ा भी किया जाए और इसको बनवाया भी जाए। स्पीकर साहब, कई सड़कें और भी हमारे एरियाज में खस्ता हालत में हैं ।

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान जी, आपका स्पैसिफिक सवाल क्या है ?

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब, सड़कों को बनाने के बारे में बात हो रही है इसलिए मैं भी इसी बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा सवाल लगा नहीं था । मैं पिछले चार-साढ़े चार साल से अपने सवाल लगाते लगाते थक गया हूं लेकिन मेरा सवाल नहीं लगा है ।

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान जी, आपको सप्लीमैंट्री पूछने के लिए एलाऊ किया गया है, मंत्री जी से आपकी स्पैसिफिक सप्लीमैंट्री क्या है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में लाना

चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं दिया है। इनफैक्ट अगर आप विधान सभा सैक्रेटेरिएट से चैक करें तो आपको पता चलेगा कि आज जो भी सवाल लगे हैं उनके अलावा हमारे पास कोई भी सवाल विपक्ष के द्वारा नहीं दिये गये हैं। दो दिन के अंदर हमने मुश्किल से ये सवाल लगाए हैं। विपक्ष ने कोई भी प्रश्न नहीं दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आज के बाद अगर विधान सभा का सैशन चलाना पड़ा तो हमारे पास कोई भी सवाल लगाने के लिए नहीं हैं। इस तरह से यह इनकी हालत है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, हमने अपने सवाल दिए हुए हैं मेरे पास इस बारे में लिखा हुआ है। क्या यह झूठ है ? हमारे सवाल लगाए ही नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, हर मैम्बर के दो सवाल ही लग सकते हैं । आपके दो सवाल पहले थे और दो सवाल आज हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते ।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, ये गुमराह नहीं कर सकते कि हमने सवाल नहीं दिए हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी का भी बयान पढ़ा था कि हमने कोई काल अंटेशन मोशन नहीं दिया, कोई क्वैश्चन नहीं दिया । हमने सैशन से पहले अपने क्वैश्चन भी दिए थे और काल अंटेशन मोशन भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : डा०साहब, आप अपने सवालों पर इनका नाम लिख देते तो इनके नाम से वह सवाल लग जाता ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं आपकी अनुमति से यह बात भी सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह पहला मौका है जब सदन शुरू होने तक विपक्ष की तरफ से न तो कोई ऐडजर्नमैंट मोशन आया है, न कोई काल अंटेशन मोशन आया है और न ही कोई और प्रस्ताव आया है ।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, मैं खुद सैशन शुरू होने से पहले अपने क्वैश्चंज और काल अंटेशन मोशन देकर आया हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जब सत्र चालू हो गया और जब इनके नेता आये थे तो ये उस वक्त हाथ से कागज पर चार लाईन लिखकर देकर आए थे । इस तरह से यह इनकी हालत है ।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, अगर ये हेराफेरी करके हमारे क्वैश्चन न लगाएं तो मैं क्या कर सकता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपने कौन सी तारीख को अपने क्वैश्चन दिए हैं ?

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मैंने अपने क्वैश्चन टाईम पीरियड के अंदर दिए हैं । मैंने 31 तारीख को ये दिए थे ।

श्री अध्यक्ष : 31 तारीख को तो सैशन था ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब 31 तारीख को सैशन था तो ये सदन शुरू होने के बाद अपना काल अंटेशन मोशन देकर आए हैं।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, सैशन शुरू होने से पहले मैंने यह काल अंटेशन मोशन दिया था ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Dr. Sahib, is that the way ? You should have to come in advance if you want to give your motion. Give us some time to prepare the reply. You are not serious at all.

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, जो क्वैश्चन दिए हैं उनको लगाया नहीं गया है ।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. Hon'ble Member from the opposition benches asking the question. आप इनको क्वैश्चन पूछने दें।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, अगर ये गलत बात कहेंगे तो मैं उसका खण्डन तो करूंगा ही। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए ।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस रोड को चौड़ा करने या ठीक करने का प्रावधान नहीं है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में ये मुझे लिखित में दे दें। हम उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत लेकर आगे भेजेंगे। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर स्पेशल पैकेज 600 करोड़ रुपये का इनकी दो मेन रोडज़ के लिए दिया है। इनकी एक सड़क गुड़गांव से राजस्थान बॉर्डर तक ली है और दूसरी सड़क नूंह से लेकर आगे तक ली हैं। इनके हल्के की दो सड़कें 600 करोड़ रुपये के बजट में से नेशनल हाइवे और एन०सी०आर० के तहत ली हैं और जो सड़कें हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ली हैं उनमें 932 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इनके समय में इस मद में मात्र 129 करोड़ रुपये की राशि पांच साल की अवधि में खर्च की गई थी। पिछले दिन भी अध्यक्ष महोदय, साहिदा खान जी ने रैस्ट हाउस का मसला उठाया था और कहा था कि तावडू में इरीगेशन का जो कैनाल रैस्ट हाउस है वहां बिजली का कनैक्शन तक नहीं है। जबकि अध्यक्ष महोदय, वहां पर 70 लाख रुपये की लागत से रिपेयर वर्क चल रहा है। यह ठीक है कि वह रैस्ट हाउस बुरी हालत में था । रिपेयर चल रही है बिजली का कनैक्शन वहां बाकायदा इंस्टाल्ड है। वहां दूसरा रैस्ट हाउस है उसमें भी 60 लाख रुपये की लागत से रिपेयर का काम चल रहा है। डी०पी०सी० तक काम कर दिया है । मुख्यमंत्री जी ने नूंह में सर्किट हाउस भी सैंक्शन किया है। अध्यक्ष महोदय, साहिदा खान जी के क्षेत्र में काम तो बहुत हो रहे हैं लेकिन ये अपने एरिया में जाकर, फील्ड में जाकर काम देखते ही नहीं है इनके पास इन कामों को देखने का समय ही नहीं है। नूंह के रैस्ट हाउस में अभी भी काम चल रहा है और डी०पी०सी० तक काम हो गया है।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी वहां गए थे 4 लेन का रोड वहां बनना था लेकिन अब वह 2 लेन का बन रहा है। आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर भिजवा दें तो अब जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ली जाएंगी, उनमें उनके नाम भिजवा देंगे।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के सढौरा में सोम नदी है क्या उस पर पुल बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल सड़कों के बारे है न कि पुलों के बारे में है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुल भी उसी में आ जाते हैं।

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैसे तो मेरा सवाल ओवरलोड से संबंधित ही है और मंत्री जी ने ओवरलोड के बारे में जवाब दे दिया है। स्पीकर सर, मेरे हल्के में जो सड़कें बनी हैं उनको बनाने में तो बहुत समय लग जाता है लेकिन तोड़ने में दो घंटे का समय भी नहीं लगता है। इतना ज्यादा वहां ओवरलोड है। ओवरलोड की वजह से ही समस्या है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने ओवरलोडिंग के बारे में अपने जवाब में बता दिया है। यह क्वैश्चन ऑवर है, बीच में मरमरिंग न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में थानेसर और लाडवा हल्के की सड़कों की पी०डब्लू०डी० द्वारा मरम्मत होनी बाकी है। ये सड़कें काफी खस्ता हालत में हैं स्पैशली लाडवा से मुस्तफाबाद रोड पर तो चलना भी मुश्किल है और कुरुक्षेत्र से डांड रोड बहुत ही बुरी हालत में है। इन सड़कों की रिपेयर कराने का क्या कोई प्रावधान है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र से डांड रोड को तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नाबार्ड में ले लिया है। बाकी की जो सड़कें बताई हैं उनके बारे में माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस दे दें तो ऐग्जामिन करके जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, गुप्ता जी का सड़कों की रिपेयर के बारे में जनरल क्वैश्चन है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस साल 2009-10 में सड़कों की जनरल रिपेयर के लिए हमने बजट में बाकायदा 1540 करोड़ रुपये का बजट ऐलोकेशन रखा है और इस राशि से सड़कों की रिपेयर का काम कर रहे हैं और जहां-जहां सड़कें खराब हैं वहां रिपेयर करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, गुप्ता जी के हल्के की सड़कों की हालत वाकई काफी खस्ता है इसलिए इनको प्रायोरिटी पर रिपेयर करवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : ठीक है स्पीकर सर।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोहारू के अंदर पंचायत डिपार्टमैंट के द्वारा दस साल पहले लोहारू से ढाणी अकबरपुर तक रोड बनाई गई थी उसकी हालत खराब है क्या इनकी पी०डब्लू० डी० द्वारा दोबारा से रिपेयर का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी सड़कें पंचायत डिपार्टमैंट ने बनवाई थी उसमें से ज्यादातर सड़कें अब हमने ले ली हैं कुछ हमने रिपेयर कर दी हैं और कुछ के ऐस्टीमेट्स बनवा रहे हैं । एकदम से सारा काम इकट्ठा नहीं हो सकता । इनके एरिया में इस प्रकार की सड़कें ले लेंगे । ये हमें लिखकर दे दें तो हम रिपेयर करवा देंगे। लाडवा के बारे में जो रमेश गुप्ता जी ने कहा था उसके लिए 100 करोड़ रुपये ऐलोकेट कर चुके हैं और उन सड़कों की रिपेयर भी करवा देंगे।

श्री हरि राम बाल्मीकि : अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की रिपेयर करवाई गई है मंत्री जी ने उनकी लिस्ट बताई है। हमारी कैमलगढ़ बाया भदाणी एक सड़क है जो काफी टूटी पड़ी है। कैमलगढ़ झज्जर से 7 किलोमीटर पड़ता है और बाया रासलवाला से 10 किलोमीटर पड़ता है। 14 गांवों का खेड़ी आसरा में काज था, कल जब मैं वहां गया था तो मैंने उस सड़क की हालत देखी थी। उस सड़क की हालत बहुत खराब थी । जब झज्जर से भदाणी जाते हैं तो 3 किलोमीटर कम का सफर पड़ता है और बाया रासलवाला वाले रास्ते से जाते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां की इस सड़क को कब तक रिपेयर करवा देंगें ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया है इस सड़क की हम रिपेयर करवा देंगें। मैं यह तो नहीं कहता कि सारी सड़कों की रिपेयर हो गई है। कुछ सड़कों की रिपेयर हो गई है और कुछ सड़कों की रिपेयर का काम प्रोसैस में है। सड़कें समय-समय पर टूटती रहती हैं लेकिन हमने प्रदेश में ज्यादातर सड़कों की रिपेयर करवा दी है। (विघ्न)

सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सोहना घाटी है और उस घाटी में सड़क की वाइडनिंग न होने के कारण वहां जाम लगा रहता है। उस सड़क को चौड़ा करने की प्रपोजल हमने यहां कई बार रखी है लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। अभी यहां तावडू के रैस्ट हाउस में बिजली का कनैक्शन न होने का जिक्र आ रहा था तो उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तावडू के रैस्ट हाउस में बिजली का कनैक्शन भी है और वहां एक ट्यूबवैल के लिए बोरिंग भी हो गई है। तावडू में अभी 3 दिन पहले मार्किटिंग बोर्ड के एक रैस्ट हाउस का भी शिलान्यास कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोडस की बात है तो तावडू में पिछले 6 महीनों से 238 करोड़ रुपये की लागत से तावडू से नूंह-पटौदा-पटौदी तक सड़क बन रही है। 90 करोड़ रुपये की लागत से 71 बी० सड़क बन रही है जो सोहना तावडू और भिवाडी जाती है । अध्यक्ष महोदय, कोटा सिराय रोड की यहां बात आई। मंत्री जी शायद देख नहीं पाए इसलिए इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसकी 20 किलोमीटर रोड पहले सैंक्शन कर दी गई थी और उसके लिए 19 करोड़ 80 लाख रुपये सैंक्शन हो गए हैं। कोटा सिराय से तावडू तक की एक और सड़क के लिए 20 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए हैं। इस प्रकार टोटल 40 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गया। मंत्री जी शायद देखेंगें तो इस बारे में बता देंगें कि ये रोडस भी बहुत जल्दी बनने जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे साहिदा साहब फील्ड में नहीं रहते इसलिए इनको नहीं पता कि तावडू में कितने काम हो रहे हैं जैसा कि जौनपुरिया जी ने जिक्र किया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please maintain the silence क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वैश्चन आवर चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष जी, जौनपुरिया जी ने सोहना घाटी की बात की है कि वहां काफी कंजैशन होता है। यह सड़क नैशनल हाइवे के अंदर आती है । इस सड़क को चौड़ा करने के लिए हमने केस नैशनल हाइवे अथोरिटी को भेज रखा है। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए पहाड़ को काटना पड़ेगा। सैंटर में इस सड़क को चौड़ा करने का प्रपोजल भेज रखा है। जैसे ही हमें यहां से सैंक्शन मिल जाएगी हम यह काम शुरू कर देंगें। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि घाटी की वजह से इस सड़क की वाइडनिंग नहीं हो पाई और दिक्कत रहती है । बाकी सड़क की वाइडनिंग का काम हो गया है और जो थोड़ा सा पोर्शन रहता है उसके लिए केस भेज दिया है । हमें जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी, यह काम शुरू करवा देंगें ।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे मुस्तफाबाद से लाडधा को एक सड़क जाती है उसको चौड़ा करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास है और इस सड़क को कब तक रिपेयर करवा देंगे ? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जिस सड़क का जिक्र किया है उस सड़क को किसी योजना के तहत लिया गया है या नहीं इसके आंकड़े मेरे पास इस समय एवेलेबल नहीं हैं क्योंकि यहां जितनी सड़कों के बारे में पूछा जा रहा है ये सारे इस सवाल से रिलेटिड नहीं हैं। इस सड़क को अगर किसी योजना के तहत नहीं लिया गया है तो अगली बार जब हम प्रपोजल भेजेंगें तो हम किसी न किसी स्कीम के अंदर चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या फिर किसी और योजना के तहत ले लेंगें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रश्न मुखतलिफ सड़कों के बारे में माननीय सदस्य यहां लेकर आए हैं। वाजिब है कि मंत्री जी सारी इन्फर्मेशन एक दिन में लेकर नहीं आ सकते। कई सौ गुना बजट माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सड़कों के लिए बढ़ाए हैं। फिर भी किसी की कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो बेहतर रहेगा कि माननीय सदस्य लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें और मंत्री जी समय सीमा के अंदर लिखकर सूचित कर देंगे कि हम कब तक सड़कों की रिपेयर कर पाएंगे।

Deaths due to Accidents

*1252 **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the Districtwise, monthwise details of deaths occurred due to road accidents in the State since April, 2007 till date ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : A statement showing the districtwise/monthwise details of deaths occurred due to road accidents in the State from April, 2007 till date is laid on the Table of the House.

Statement

Sr. No.	Distt.	Year	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ambala	2007	-	-	-	19	23	24	31	26	22	29	16	18	208
		2008	24	15	16	26	9	19	13	18	30	25	18	26	239
		2009	15	12	17	20	18	24	13	-	-	-	-	-	119
2	Panchkula	2007	-	-	-	9	5	9	11	9	5	11	11	13	83
		2008	18	13	17	17	12	3	12	7	10	16	14	14	153
		2009	8	17	5	15	5	6	-	-	-	-	-	-	56
3	Kurukshetra	2007	-	-	-	21	19	7	13	13	14	28	26	19	160
		2008	19	23	25	13	17	17	26	12	27	14	14	22	229
		2009	22	21	11	25	19	15	11	-	-	-	-	-	124
4	Kaithal	2007	-	-	-	10	6	6	6	10	11	13	8	15	85
		2008	11	7	8	9	9	12	10	5	11	14	13	11	120
		2009	7	10	8	11	12	16	6	-	-	-	-	-	70
5	Yamunanagar	2007	-	-	-	19	12	12	9	15	17	12	20	23	139
		2008	24	11	12	10	20	10	8	8	16	17	17	11	164
		2009	20	16	17	20	10	16	2	-	-	-	-	-	101
6	Rohtak	2007	-	-	-	23	20	21	13	19	14	16	24	31	181
		2008	14	15	28	17	18	16	21	20	15	20	13	19	216
		2009	13	20	27	12	26	10	-	-	-	-	-	-	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	Panipat	2007	-	-	-	15	22	15	24	11	34	20	20	26	187
		2008	25	20	10	20	24	11	28	14	20	19	20	16	227
		2009	16	17	24	23	24	28	12	-	-	-	-	-	144
8.	Sonepat	2007	-	-	-	12	25	24	31	33	26	25	37	16	229
		2008	17	31	31	31	34	24	33	26	23	36	36	28	350
		2009	25	25	21	24	29	13	18	-	-	-	-	-	155
9.	Jhajjar	2007	-	-	-	16	14	13	11	15	15	10	12	21	127
		2008	14	6	16	14	20	18	7	18	15	15	15	23	181
		2009	15	13	14	15	15	14	9	-	-	-	-	-	95
10.	Karnal	2007	-	-	-	29	24	26	22	22	26	35	24	19	227
		2008	23	15	19	29	24	20	26	20	23	32	30	31	292
		2009	15	18	18	18	16	23	16	-	-	-	-	-	124
11.	Hisar	2007	-	-	-	16	13	11	24	19	15	23	16	19	156
		2008	9	11	22	16	14	17	6	22	10	41	17	15	200
		2009	18	19	22	12	21	19	9	-	-	-	-	-	120
12.	Sirsa	2007	-	-	-	9	12	8	3	6	13	6	11	12	80
		2008	7	17	12	22	12	11	18	7	12	10	25	12	165
		2009	2	9	15	21	10	7	7	-	-	-	-	-	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Jind	2007	-	-	-	10	11	14	21	11	17	16	20	15	135
		2008	20	22	15	18	16	4	11	12	11	23	10	11	173
		2009	12	5	18	18	17	26	11	-	-	-	-	-	107
14.	Bhiwani	2007	-	-	-	18	25	21	13	19	18	23	18	21	176
		2008	20	19	18	15	17	8	14	17	22	27	14	19	210
		2009	17	13	16	17	11	25	12	-	-	-	-	-	111
15.	Fatehabad	2007	-	-	-	8	7	10	9	12	11	14	8	13	92
		2008	9	7	9	7	8	7	8	8	12	8	8	11	102
		2009	7	15	6	10	13	13	-	-	-	-	-	-	64
16.	Faridabad	2007	-	-	-	20	18	23	30	30	26	21	25	26	219
		2008	24	21	22	29	34	32	17	14	26	22	25	21	287
		2009	19	19	23	30	30	27	18	-	-	-	-	-	166
17.	Narnaul	2007	-	-	-	5	22	18	6	10	11	13	12	15	112
		2008	11	10	22	18	15	6	9	8	11	20	13	13	156
		2009	8	8	19	8	12	26	12	-	-	-	-	-	93
18.	Rewari	2007	-	-	-	19	17	19	29	18	15	16	16	29	178
		2008	13	19	21	18	27	13	20	27	8	21	20	27	234
		2009	24	20	18	13	25	19	13	-	-	-	-	-	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	Mewat	2007	-	-	-	16	8	18	12	8	16	10	8	7	103
		2008	5	10	12	9	3	11	3	7	5	12	7	7	91
		2009	4	9	7	10	14	8	10	-	-	-	-	-	62
20.	Palwal	2007	-	-	-	23	13	14	24	17	12	17	18	20	158
		2008	13	25	17	21	18	14	21	14	14	25	14	19	215
		2009	12	13	15	16	33	22	10	-	-	-	-	-	121
21.	East GGN	2007	-	-	-	7	11	17	16	10	12	9	19	12	113
		2008	11	10	13	19	9	14	10	10	10	10	7	11	134
		2009	13	6	8	10	2	14	9	-	-	-	-	-	62
22.	West GGN	2007	-	-	-	18	14	8	7	18	11	13	8	8	105
		2008	12	10	16	14	10	12	16	10	7	13	7	5	132
		2009	7	12	9	9	7	5	5	-	-	-	-	-	54
23.	South GGN	2007	-	-	-	7	10	14	18	17	13	11	20	17	127
		2008	12	14	17	13	27	13	15	17	14	20	18	14	194
		2009	9	9	7	13	20	23	7	-	-	-	-	-	88
	Total		**663**	**677**	**743**	**1124**	**1134**	**1066**	**945**	**689**	**726**	**851**	**772**	**801**	**10191**

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक पिछले तीन साल में 10,191 लोगों की डैथ रोड एक्सीडैंट्स में हुई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आज के दिन सबसे ज्यादा डैथ्स रोड एक्सीडैंट्स के कारण हो रही हैं जो कि हमारे लिए चिंतनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि रोड एक्सीडैंट्स को कम करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से इफैक्टिव मैयर्ज उठाये हैं ताकि रोड एक्सीडैंट्स को कम किया जा सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको माननीय सदस्य की चिंता से जोड़ता हूं। यह बात वाजिब है कि फेटल और नॉन फेटल, रोड एक्सीडैंट्स में पिछले कई सालों से बढ़ौतरी हो रही है। मेरे पास 2001 से लेकर आज तक के सभी आंकड़े उपलब्ध हैं इनमें हर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह पूरे सदन के लिए एक चिंतनीय विषय है। रोड एक्सीडैंट्स को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पोलिसी डिसीजन लिये हैं और कुछ दूरगामी निर्णय भी लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, 22 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नैशनल हाईवेज पर स्थापित किए हैं ताकि ट्रैफिक को रैगूलेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक हाईवेज, हैडक्वार्टर करनाल में बनाया गया है जहां पर एस०पी० लैवल के अधिकारी को ए०आई०जी० ट्रैफिक लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इन्टीग्रेटिड स्टेट लैवल ट्रैफिक प्लान फाईनलाईज्ड किया गया है। जिसको हर जिले में लागू किया जायेगा। इस प्लान के कुछ फीचर्ज हैं जिनके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि --

(i) With the help of infusion of technology implementation of traffic rules on national and State highways, an effort is being made to regulate and also as to prevent accidents;

(ii) To identify accidents-prone areas and consequent remedial measures;

(iii) To regulate traffic, maintenance/ road widening work is in progress;

(iv) To remove road engineering defects;

(v) To curb menace of overloading of commercial and passengers vehicles;

(vi) To ensure quick response of concerned medical aid units;

(vii) To ensure quick spot-visits by the staff of the concerned police stations alongwith crane and ambulance and remove obstruction for smooth regulation;

(viii) To divert traffic through alternative routes when requires;

(ix) To make proper lightening arrangements in for and darkness situations;

(x) To initiate stimulus action;

(xi) To catch offenders of road accidents; and

(xii) To educate people regarding traffic rules.

और अध्यक्ष महोदय, 22 ट्रैफिक पुलिस स्टेशंज हैं, ट्रैफिक पुलिस पोस्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है उनमें ये सुविधाएं दी गई हैं -one ambulance with para-medical staff, cranes, gypsies, motor-cycles, alcohol-censors, speed radars, cameras, और कई बार एक्सीडैंट्स में गाड़ी को काटकर विक्टीम्ज को निकालना पड़ता है उसके लिए भी saw मशीनें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त हाई-स्पीड इंटरसैप्टर हमने भारत सरकार से भी लिये हैं और स्वयं भी प्रोवाईड किए हैं। इससे पहले दो हाई-स्पीड इंटरसैप्टर Ministry of Shipping and Road Transport, Government of India से 2006 में मुख्यमंत्री जी की इंटरवैंशन से परवेज किये थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 14 हाई स्पीड इंटरसैप्टरज़ लगाये हैं ताकि ओवर स्पीडिंग व्हीकल्ज़ को रोका जा सके। इसके अलावा 27 एम्बूलैंस भी प्रोवाईड की गई। ये भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ शीपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से ली हैं। इनमें से सात एम्बुलैंस हमारे पास आ भी गई हैं जो इस समय चालू हैं और पैरा-मैडीकल स्टाफ की सुविधा भी उसके अन्दर मौजूद है। एक स्टेट ट्रैफिक कंट्रोल रूम की भी हमने करनाल में स्थापना की है। जिसके फिक्स नम्बर्ज़ हैं। जैसे पहले मैंने आपको हैल्थ डिपार्टमैंट की रैफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसिज़ के बारे में बताया था, यह भी उसी प्रकार की फैसीलिटी है। स्टेट ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जो मोबाईल नम्बर्ज़ हैं वे हैं 9991066666, 1033, 1073. इसके अलावा लैंड लाईन नम्बर अलग से हैं। हम इन्हें पब्लिसाईज़ करते हैं कि कभी भी कोई एक्सीडैंट हो तो उस स्थिति में जिस सुविधा की एमरजैंसी में जरूरत होती है वह हम समय पर दे पायें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ स्कूलों से ही हमें रोड सैंस और ट्रैफिक सैंस और सिविक सोसायटी के नागरिकों के अन्दर इनकलकेट करने की आवश्यकता है क्योंकि आखिर में रोड पर चलने की जो सुव्यवस्था है वह सड़क पर चलने वाले यात्री और वाहन चलाने वाले व्यक्ति ही कर पायेंगे । सरकार सिस्टम्ज़ बता सकती है। जहां तक सिविक सोसायटी में रोड और ट्रैफिक सैंस पैदा करने की ज़रूरत की बात है उसमें समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ चुने हुए जन प्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसमें विपक्ष में बैठे मेरे काबिल दोस्त और उनके दल का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से उन्होंने प्रदेश में एक्सीडैंट्स को रोकने के लिए स्टैप्स उठाये हैं। स्पीकर सर, मेरा प्वायंट यह है कि सबसे पहला स्टैप यह है जो कि बेहद जरूरी है कि जहां से हैवी व्हीकल और लाईट व्हीकल के ड्राईविंग लाईसैंस बनते हैं वहां पर बड़ी भारी गड़बड़ी है, वहां पर बिना किसी प्रॉपर वैरीफिकेशन के, बिना किसी की ड्राईविंग को प्रॉपरली देखे और ट्रैफिक रूल्ज़ की जानकारी न रखने वाले लोगों के भी ड्राईविंग लाईसैंस बना दिये जाते हैं। ऐसे लोग जब रोड्ज़ पर आते हैं तो वे ज्यादा एक्सीडैंट्स के कारण बन जाते हैं। इस सारे सिस्टम को अफैक्टिव बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या स्टैप्स उठाने जा रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात पूरी तरह से वाजिब है कि हमें इस ओर और ज्यादा सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। लरनर्ज़ और दूसरे ड्राईविंग लाईसैंस इश्यू करते समय, खास तौर से जो कमर्शियल और दूसरे बड़े व्हीकल्ज़ हैं उनके ड्राईविंग लाईसैंस बनाते समय हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा एक्सीडैंट्स एच०टी०वी० के कारण ही होते हैं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें आज से तकरीबन तीन वर्ष पहले निर्देश दिये थे कि इस हेतु स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हम अपने यहां

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

विशेष ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्युट्स की स्थापना करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमने मारुति उद्योग लिमिटेड और अशोक लीलैंड नामक दो बड़ी कम्पनियों को इस प्रोसैस में इनवॉल्व किया। हम हरियाणा में बहादुरगढ़, रोहतक और गढ़ी पाडला (कैथल) में तकरीबन 12-12 और 15-15 करोड़ रुपये की लागत से ड्राईवर्ज़ ट्रेनिंग स्कूल सैट-अप कर रहे हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने बहादुरगढ़ और रोहतक के ट्रेनिंग इंस्टीच्युट्स में काफी कंस्ट्रक्शन कर ली है और अशोक लीलैंड ने भी गढ़ी पाडला (कैथल) में काम शुरू कर दिया है । हमारा अनुमान है कि इन ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्युट्स में जो हम शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म ड्राईविंग ट्रेनिंग कोर्सिज़ करवायेंगे उनकी ट्रेनिंग लेकर प्रति वर्ष 7 से 10 हज़ार प्रत्येक इंस्टीच्युट के हिसाब से ट्रेंड ड्राईवर्ज़ निकल पायेंगे। जैसे ही ये तीनों ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्युट्स, जिन्हें हम पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप में इनीशिएटिव ज्वायंट सोसायटी बनाकर चालू करने जा रहे हैं, शुरू हो जायेंगे तो उनसे लगभग 30 हज़ार लोग ड्राईविंग से सम्बंधित शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म ड्यूरेशन कोर्सिज़ कर सकेंगे। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर और सभी डिप्टी कमिश्नर्ज़ इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि सभी प्रकार के लाईसैंस निर्धारित नियमों और हिदायतों के अनुरूप ही दिये जायें। हमारी यह भरपूर कोशिश रहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसैंस न मिले जिसको गाड़ी चलानी न आती हो । इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : स्पीकर सर, जहां तक रोड एक्सीडैंट्स का सम्बन्ध है प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में हरियाणा रोडवेज़ की बसें भी सड़कों पर चलती हैं। कभी टैक्नीकल फॉल्ट की वजह से, कभी दूसरों की गलती से और कभी अन्य अनेक कारणों से हमारे ड्राईवर्ज़ द्वारा पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी एक्सीडैंट्स हो जाते हैं लेकिन माननीय सदस्यों और पूरे सदन को यह जानकर खुशी होगी कि एक्सीडैंट्स के बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष पूरे देश में हरियाणा रोडवेज़ की बसों से सबसे कम एक्सीडैंट्स हुए हैं।

श्री एस०एस०सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो एक्सीडैंट्स होते हैं वैसे तो इनके बहुत से ज्ञात और अज्ञात कारण मौजूद हैं लेकिन मेरे विचार से एक्सीडैंट्स का एक मेन कारण यह भी है कि चाहें किसी प्राईवेट स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे किसी गैर सरकारी संस्था की बिल्डिंग हो, यहां तक चाहे कहीं पर शराब का ठेका हो इन सभी ने अपने स्तर पर लिंक रोड्ज़ के साथ-साथ प्रदेश की मुख्य सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर बनाये हुए हैं। और वे इतने खराब हैं, इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई मोटरसाईकल सवार वहाँ से गुजरता है तो वह गिर पड़ता है क्योंकि उस पर कोई निशान नहीं लगाया हुआ है और उसकी मौत हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन स्पीड ब्रेकर्स को रैगूलेट करेगी ? अध्यक्ष महोदय, स्पीड ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं एक तो बिजली का टूटा हुआ खम्बा नीचे दबा देते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी सिमेंट लगा देते हैं । यह बहुत ही खतरनाक है । इस प्रकार के ब्रेकर लोग अपने-आप बना लेते हैं उनको पी०डब्ल्यू०डी० ने नहीं बनाया। लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० वाले उन ब्रेकरों को तोड़ते भी नहीं है। दूसरे आजकल रम्बल बनाने लग रहे हैं शायद आपको भी पता होगा। ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। वे बहुत नज़दीक-नजदीक बनाये गये हैं। ये गाड़ियाँ तोड़ने के लिए ही बनाये गये हैं । जब गाड़ी इनके ऊपर से उतरती है तो पूरी गाड़ी हिल जाती है और उसका टूटने का खतरा बना रहता है। फ्रैंडली तो यह अच्छी बात हो सकती है। मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इस सारी बात को देखेगी, इसको संयोजित करेगी, इसको रैगूलेट करेगी ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को लेकर सरकार सजग है और इस बारे में उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आया है। इस सम्बन्ध में सही जानकारी तो पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर ही दे पायेंगे लेकिन मुझे जानकारी है कि पूरे प्रान्त में जहाँ इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाया भी है। यहाँ तक कि बी०एण्ड आर० विभाग द्वारा बनाये गये स्पीड ब्रेकर जिनकी आवश्यकता नहीं थी को भी हटाया गया है। रम्बल स्ट्रीप्स की कई जगह आवश्यकता है लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह मापदंड के अनुसार हों और उससे एक्सीडैंटस का खतरा न हो। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि विशेष कोशिश करके जो कंजस्टिड एरियाज थे जैसे पानीपत, अम्बाला सिटी और अम्बाला कैन्ट एरिया था जहाँ पर पहली बार हमने वर्टिकल सड़कें बनाई हैं। उनके ऊपर बहुत खर्चा आया है। अकेले पानीपत पर ही तकरीबन 300 करोड़ रूपये का खर्च आया है। इसी प्रकार से अम्बाला सिटी, अम्बाला कैन्ट दोनों में वर्टिकल सड़कें चालू कर दी गयी हैं। समालखा में भी हम बना रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि जहाँ ह्यूमन प्रॉब्लम है वहाँ पर हम भारत सरकार की मदद से सड़क को वर्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है लगभग एक हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा के तो हम फ्लाई ओवर बना चुके हैं और सिटीज के अन्दर भी जहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हम फ्लाई ओवर बना रहे हैं। इस प्रदेश के अन्दर जहाँ पिछले 38 सालों में 25-26 फ्लाई ओवर बने हैं वहीं पिछले साढ़े चार साल में 68 फ्लाई ओवर बन चुके हैं या उनके ऊपर काम चालू है। तो हम इस बात को लेकर बहुत सजग हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सीडैंटस की संख्या बताई है कि कितनी मौतें एक्सीडैंट्स के माध्यम से होती हैं । जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते है उनकी अमानत न हो क्या इस बारे में भी सरकार इस प्रदेश में कोई नया कानून लागू करेगी ? दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि जब एक्सीडैंटस में किसी की मौत हो जाती है और उसके परिजनों को कोई शिकायत नहीं होती और वे चाहते हैं कि उसकी डैड बॉडी का पोस्टमार्टम न हो तो क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई प्रावधान करेंगे कि बिना पोस्टमार्टम किये ही पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, इस बारे में तो सैन्ट्रल एक्ट है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कई स्टेट्स में इस प्रकार का प्रावधान है कि एक्सीडैंटस के बाद अगर परिजन सहमत हों तो उनको कम्पनसेशन मिलता है और पोस्टमार्टम नहीं किया जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। पहला ड्रंकन ड्राइविंग का है, यह वाकई एक विशेष समस्या है। खास तौर से पलवल से दिल्ली के बीच में यह विशेष समस्या है। चूंकि यह हाईवे है इस वजह से हाईवे पर यह समस्या और ज्यादा हो जाती है। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई दो राय होगी और हम इस पर जरूर विचार करेंगे। जहाँ तक उनके दूसरे प्रश्न का संबंध है कि पोस्टमार्टम न करवाने का तो इस बारे में कई प्रकार की कानूनी कम्पलीकेशन्स हैं। जब किसी की डैथ हो जाती है तो परिवार चाहता है कि अगर पार्थिव शरीर जल्दी मिल जाये तो हम जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर पायें। लेकिन बाद में उसकी मल्टीपल रैमिफिकेशन्स हैं इसमें इकोनॉमिक भी और लीगल भी दोनों तरह की रैमिफिकेशन्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगी कि यहां भी जो उन्होंने डयू टू एक्सीडैंटस डैथस की डिस्ट्रिक्ट वाईज़ डिटेल दी है पिछले साल उसमें सब ज्यादा ऐक्सीडैंट्स सोनीपत जिले में हुए हैं जो करीब 350 हैं। मैं उसका कारण यह मानती हूं कि पिछले 2-3 साल से जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं और रोडज़ की वाईडनिंग हो रही हैं इनमें काण्ट्रैक्टर की तरफ से कोई दायदर्शन मार्कर नहीं लगाए गए हैं और रॉ-मैटीरियल सड़कों पर पड़ा है। इस कारण जो एक्सीडैंट्स होते हैं क्या उनके लिए काण्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या का सवाल वाजिब है। इसके बारे में हमने कदम उठाए हैं। माननीय सदस्या अभी चैक करेंगे तो पाएंगे कि जहां पर ओवर ब्रिजिज बन रहे हैं साईड रोडज़ से ट्रैफिक गुजर रहा है सरकार के द्वारा विशेष ऐफर्टस करके ये रोडज़ क्लीयर करवाई गई हैं। हालांकि यह नैशनल अथोरिटी के नीचे आता है और उसमें हमारी सीधी दखलअन्दाजी नहीं है परन्तु हमने नैशनल हाईवे अथोरिटी से कोआर्डिनेट करके यह सुनिश्चित किया है कि ट्रैफिक के लिए साईड रोडज़ क्लीयर होनी चाहिएं। अगर किसी विशेष काम करने वाली सड़क पर किसी की लापरवाही से एक्सीडैंट होता है तो सिविल और क्रिमनल दोनों उसकी लॉयब्लिटीज़ हैं और अगर ऐसी कोई कम्पलेंट होगी तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाईफ इन डेंजर का मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई ऐसा केस कोई व्यक्ति या परिवार या ऐनलाईटन सिटीजन ले कर आएगा तो कॉण्ट्रैक्टर के खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। जहां तक सिविल लॉयब्लिटीज़ का प्रश्न है, उनकी मर्जी है वे कोर्ट में जा कर पैसा ले सकते हैं।

Construction of Bus-Stand

***1259. Shri Ishwar Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a New Bus Stand at Radour; if so, the time by which the same will be constructed ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : नहीं, श्रीमान जी, रादौर में नया बस-स्टैंड बनाने की अभी कोई प्रपोजल नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं कि रादौर में नया बस-स्टैंड नहीं बनाया जा सकता ?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, नया बस-स्टैंड बनाने के लिए कुछ मार्ज्स हैं जहां कुछ बसों के नाईट हॉल्टस हों और दूसरे मार्ज्स पूरे होते हैं उस अवस्था को समझते हुए बस-स्टैंड बनाए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, बस-स्टैंड का कोई छोटा-बड़ा साईज भी होता होगा। अगर सम्भव हो तो वहां पर छोटा बस-स्टैंड ही बनवा दें।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, रादौर में दोनों साईडज़ पर बस-क्यू शैल्टर्ज बने हुए हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। बसें वहां पर क्रॉस करती हैं और लोगों की सुविधा के लिए और आराम करने के लिए वहां पर बहुत बड़े क्यू-शैल्टर बने हुए हैं। (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि वहां पर बस-स्टैंड की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर,सभी जगह बस स्टैंड बने हुए हैं। जो क्यू-शैल्टर्ज बने हुए हैं वे बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है। वहां पर बस-स्टैंड के लिए जमीन भी उपलब्ध है जो कि अढाई एकड़ है। वहां पर इन्जीनियरिंग कॉलेज है और उसके बच्चे वहां पर धूप में खड़े रहते हैं क्योंकि वहां पर जो शैड है वह छोटा है। वहां पॉलिटैक्निक कॉलेज भी हैं लेकिन वहां पर न कोई टॉयलैट है, न बाथरूम है और न पीने के पानी की व्यवस्था है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, आपका सवाल आ गया है इसलिए अब आप बैठें।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जैसे कलायत में एक छोटा बस-अड्डा बना रहे हैं और उसका काम चालू है। माननीय मन्त्री जी रादौर में भी एक छोटा बस-अड्डा बनाने के लिए एग्जामिन करवा लें कि क्या वहां पर भी बस-अड्डा बनाया जा सकता है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने आज बताया कि बस-स्टैंड के लिए अढाई एकड़ जमीन इन्होंने दे रखी है लेकिन मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने अढाई एकड़ जमीन दे रखी है। अगर ये जमीन दिलवा देंगे तो इसको हम एग्जामिन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ऑन दि फलोर ऑफ दि हाउस हाउस मैम्बर कह रहे हैं वहां पर कोई छोटा-मोटा बस-स्टैंड बनवाने के लिए एग्जामिन करवा लें।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, यह मांग तो मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं और मंत्री जी ने कहा था कि लिख कर दे दो।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पलाका साहब, आप बैठें।

श्री बलबन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिलासपुर में कोई भी बस-स्टैंड नहीं है। क्या बिलासपुर में बस-स्टैंड बनाने का मामला विचाराधीन है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, वैसे तो हरियाणा में 90 विधान सभा क्षेत्र हैं और हमने 92 बस-स्टैंड ऑलरैडी बना रखे हैं। कोई ऐसी कांस्टीच्यूएंसी नहीं है जिसमें हमने बस-स्टैंड न बना रखे हों। जो अच्छे टाउन हैं जहां बस-स्टैंड नहीं हैं वहां पर हमने इस जगह क्यू-शैल्टर्ज बना 5.00 बजे रखे हैं। स्पीकर सर, बस-स्टैंड वहां पर बनाए जाते हैं जहां उनकी जरूरत है। जहां से नए रूटस निकलते हों, नई बसिज़ खड़ी होती हों और बसिज़ चलती हों। वहीं पर बस स्टैंड जरूरत के मुताबिक ही बनाए जाते हैं, इस बारे में इनकी प्रपोजल आई हुई है, हम उसको एग्जामिन करवा रहे हैं और हम इस बारे में जरूर सोचेंगे।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने पुराने हसनगढ़ में सांपला में बस-स्टैंड बनाने के लिए प्रश्न किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में घोषणा भी की थी कि वहां पर बस स्टैंड बनवाएंगे लेकिन आजतक वहां पर कोई भी बस-स्टैंड नहीं है जिसकी वजह से वहां पर लोगों को बहुत भारी दिक्कत आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, इनकी इस समस्या का समाधान करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, हम सांपला में बस-स्टैंड बनवाएंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद सैक्टर 12 की क्रोसिंग पर कोर्ट है, सरकारी आफिसिज़ हैं, वहां पर बस स्टैंड बनवाना प्रस्तावित था और शायद आज भी है । हमारे युधा मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए वहां पर गए थे और वहां पर लोगों की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने यह माना था और वायदा किया था कि वे उस बारे में जल्द ही कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज भी वहां पर बस स्टैंड बनाना प्रस्तावित है अगर है तो कब तक उसको बनवाकर चालू करवाएंगे ?

Mr. Speaker: You ask separate question. It is not possible to give reply at this stage.

श्री बलबन्त सिंह : स्पीकर साहब, बिलासपुर में एक इन्टर स्टेट बस स्टैंड है, वहां से हिमाचल और यू०पी० के लिए बसें जाती है। अब मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि वहां पर कोई रूट नहीं बनता है। स्पीकर सर, वहां से फूलचन्द मुलाना जी सदस्य हैं, ये प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और इनका गृह क्षेत्र भी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर बंडुल रश रहता है, वहां पर 15-20 कॉलेज हैं इसलिए वहां पर कोई न कोई क्यू-शैल्टर या बस स्टैंड होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बलवन्त सिंह जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दें।

श्री बलबन्त सिंह : सर, हमने इस बारे में लिखकर भेजा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप इस बारे में कुछ करवाएं।

श्री मांगे राम गुप्ता : ठीक है सर । बलवन्त सिंह जी आप इस बारे में मुझे लिखवाकर भिजवा देना।

Rate of Stamp Duty

***1260 Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state :--

(a) the rate of Stamp Duty charged on the registration of Mortgage Deeds for obtaining loans for Agricultural purposes from Commercial and Cooperative Banks; and

(b) the rationale of difference in exemption from Stamp Duty on Mortgage Deeds for various purposes of Agricultural loans from Commercial Banks and Cooperative Banks ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) :

(क) वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों से कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए रहनमानों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की दर 1.5% है।

(ख) छूट में अन्तर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जों से सम्बन्धित समस्या को हल करने और सहकारिता आन्दोलन को गति देने के लिए दिया गया है जो भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों विशेषकर कृषक समुदाय की आर्थिक दशा सुधारने के लिए शुरु किया गया था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या ये इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में और दूसरी स्टेटस में किसान कामर्शियल बैंक लोन लेता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है । इसी तरह से हरियाणा में कोआप्रेटिव बैंक्स में भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लेते हैं । अगर कोई किसान कामर्शियल बैंकस से कर्जा लेना चाहता है तो क्या उसी तरह की सुविधा कामर्शियल बैंकस में भी स्टैम्प ड्यूटी न लेने की यह सरकार देगी ?

श्रीमती सावित्री जिन्दल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक बैंक से यदि कृषक किसी उद्देश्यों के लिए ऋण लेता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बड़े कृषि उद्देश्यों के लिए 3 लाख रुपए तक और कृषि के छोटे उद्देश्यों के लिए 2 लाख रुपए तक कोई स्टैम्प ड्यूटी उनकी जमीन जायदाद गिरवी रखने के लिए नहीं ली जाती है ।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Stortage Capacity of Drinking Water Tanks

***1265 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that storage capacity of drinking water tanks in Bhiwani is only for 15 days and it is insufficient in proportion to the supply of canal water, if so, the steps taken for increasing the storage capacity of drinking water tanks ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां श्रीमान् जी, जलघर पर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये 68.55 मिलियन लीटर क्षमता का एक और टैंक 480 लाख रुपये की अनुमानित राशि से निर्माणाधीन है और यह दिसम्बर 2010 तक तैयार हो जायेगा।

***1273. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Walfare of Scheduled Castes & Backward Classes Minister be pleased to state whether the Govt. has prepared any programme for the employment and Self-employment of the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes particularly for the less literate youths; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों विशेषकर कम पढ़े-लिखे युवकों के लिए बहुत सी स्कीमें बनाई गई हैं तथा परिपालित की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई तथा लागू की जा रही विभिन्न स्कीमों का विवरण निम्न प्रकार से है :--

1. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

(1) अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की लड़कियों/निराश्रित महिलाओं/विधवाओं को सिलाई का प्रशिक्षण योजना।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर चलाए जा रहे 84 सामुदायिक केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को 100/- रुपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150/- रुपये प्रतिमास कच्चे माल के लिए दिये जाते हैं। एक वर्ष का कोर्स पूर्ण होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुफ्त दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 2008-09 में 1720 अनुसूचित जाति की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2009-10 से इस स्कीम के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी कवर किया गया है। वर्ष 2009-10 में 2175 लाभपात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु 72.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(2) रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना।

यह नई योजना वर्ष 2008-09 से लागू की गई थी तथा 400.00 लाख रुपये की राशि ढ़ाचागत विकास हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को आबन्टित की गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 500.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम वर्ष 2009-10 से तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्यों में 6 स्थानों पर चलाई जाएंगी तथा 150 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कम्प्यूटर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाईल तथा टी०वी० रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, आटो तकनीशियन, कमर्शियल गारमेन्टस आदि ट्रेडस में अल्प अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को 500/- रुपये मासिक छात्रवृति दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता।

यह नई योजना वर्ष 2009-10 से लागू की गई है तथा इसे तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों के माध्यम से परिपालित किया जाएगा तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाईल तथा टी०वी० रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, आटो तकनीशियन, कमर्शियल गारमेन्टस आदि ट्रेडस में अल्प अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी आई०टी०आईज़० तथा प्राईवेट आई०टी०आईज़० में 140/- रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राईवेट आई०टी०आईज़० में 1000/- रुपये मासिक फीस कम्पन्सेशन के रूप में तथा आई०टी०आईज़० में 15/- रुपये प्रति घन्टा की दर से फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। वर्ष 2009-10 के लिए 150.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

2. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एच०एस०एफ०डी०सी०)

(1) बैंकों के सहयोग से (बी०टी०एस०)

(1) इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 1.00 लाख रुपये है। ऋणियों को बैंक ऋण + मार्जन मनी + सब्सिडी प्रदान किए जाते हैं। ऋणियों को 10,000/- रुपये तक सब्सिडी दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) के सहयोग से इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 30.00 लाख रुपये है। ऋणियों को एन०एस०एफ०डी०सी० ऋण + मार्जन मनी + सब्सिडी प्रदान किए जाते हैं। ऋणियों को 10,000/- रुपये तक सब्सिडी दी जाती है।

(3) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) के सहयोग से इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 10.00 लाख रुपये है। ऋणियों को उनके 5% हिस्से के अतिरिक्त एन०एस०के०एफ०डी०सी० ऋण + मार्जन मनी प्रदान किए जाते हैं।

नोट:—उक्त वर्णित तीनों स्कीमों के अन्तर्गत निगम द्वारा इसकी स्थापना से 30-6-2009 तक 542.64 करोड़ रुपये का ऋण 3,83,522 लाभार्थियों को प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2009-10 के लिए 16,000 परिवारों को ऋण/सब्सिडी प्रदान करने के लिए 86.26 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3. हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आसान शर्तों 5% ब्याज की दर पर 5.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। निगम द्वारा इसकी स्थापना से 30-6-2009 तक 6979.48 लाख रुपे का ऋण 62,918 लाभार्थियों को प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2009-10 के लिए 2,100 लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए 1050.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

4. चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय

चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए 14 स्कीमें 165.00 लाख रुपये के बजट से चला रहा है। इन स्कीमों का मोटे तौर पर उद्देश्य निम्न प्रकार से है :-

(1) प्रतियोगी परीक्षाओं एवं नौकरी में भर्ती-- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभागियों के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को रोजगार उत्पादन हेतु कृषि तकनीक में कौशल विकास।

(3) अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों हेतु ग्रान्ट।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

5. पशुपालन एवं डेयरी विभाग

विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पशुधन इकाईयों की स्थापना के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 428.66 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009-10 के लिए 700 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 100.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

6. मत्स्य विभाग

(1) विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम "मत्स्य किसान विकास एजैंसी" के तहत मत्स्य अनुसूचित जाति के परिवारों को 25% अनुदान विशेष सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए अनुदान की सीमा 20% प्रतिशत है।

(2) विभाग द्वारा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत "वेलफेर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट फैमिलिज इन फिसरिज सैक्टर" स्कीम परिपालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को विभिन्न मदों में 25% से 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

7. ग्रामीण विकास विभाग

(1) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 से जून, 2009 तक अनुसूचित जाति के 60,786 लाभार्थियों को 28,690.03 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 12768 लाभार्थियों को कवर करने हेतु 505.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन०आर०ई०जी०एस०)

इस स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ से लेकर जून, 2009 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :--

			(रुपये लाखों में)
1.	आरम्भ से लेकर कुल खर्च	-	21440.36
2.	आरम्भ से लेकर जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या	-	391911
3.	अनुसूचित जातियों के लिए जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या (ऊपर 2 में से)	-	220137
4.	सृजन किए गए कुल कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)	-	130.27
5.	सृजन किए गए अनुसूचित जातियों के कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में) ऊपर 4 में से	-	75.90
6.	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	-	6500
7.	कार्य प्रगति पर	-	3333

8. सामुदायिक विकास विभाग

(1) ग्रामीण व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए लोगों में अधिकतर अनुसूचित जाति के समुदाय से होते हैं। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 3424.12 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009-10 के लिए 44.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

9. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

(1) इनटरपनोरशिप डिवलपमैंट प्रोग्राम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमियता की भावना पैदा करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान 9.99 लाख रुपये की राशि 350 लाभार्थियों पर खर्च की गई तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 560 लाभार्थियों के लिए 16.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस स्कीम के अन्तर्गत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करने के लिए रोजगार प्रदान करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति के 25 लाभार्थियों को 110.68 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई तथा वर्ष 2009-10 के लिए भारत सरकार द्वारा 477 केसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10. राज्य शहरी विकास समिति

शहरी गरीबों के उत्थान हेतु भारत सरकार की योजना नामक "स्वर्ण जयन्ती शहरी विकास रोजगार योजना" राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत अल्प बेरोजगार तथा बेरोजगारों युवकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ऋण तथा सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों के चयन के लिए कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहर/कस्बे की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की संख्या के समानुपात में लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2008-09के दौरान 120.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009-10 के लिए 2219 लाभार्थियों हेतु 120.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

11. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुसूचित जातियों को रोजगार/स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) अम्बाला कैंट तथा पुण्डरी में केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 2 आई०टी०आई०ज़० स्थापित की गई हैं जिनमें 14 यूनिटस में 216 सीटों की व्यवस्था है।

(2) "स्किल ट्रेनिंग टू एस०सी०एस०टी० स्टूडैंटस" योजना के अन्तर्गत 17 आई०टी०आई०ज़० में अनुसूचित जाति के लिए अलग विंग स्थापित करने हेतु 60.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके 4240 सीटों की व्यवस्था करने की योजना है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(3) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अल्प अवधि कोर्सों हेतु एम०ई०एस० योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को 15/- रुपये प्रति घन्टा की दर से स्किल टेस्ट पास करने पर सरकारी आई०टी०आई०ज़० / प्राईवेट आई०टी०आई०ज़ तथा अन्य जो संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी०आई०पी०) के रूप में रजिस्ट्रर्ड है, में वजीफा प्रदान किया जाता है।

(4) विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान गुड़गांव तथा फरीदाबाद आई०टी०आई०ज़० में रोजगार मेलों का आयोजन करके 2773 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। चालू वर्ष के दौरान भी करनाल, हिसार तथा फरीदाबाद आई०टी०आई०ज़० में रोजगार मेले आयोजित किए जायेंगे।

Construction of New Building of Government College, Badli

***1270 Sh. Naresh Sharma** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of Government College, Badli ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : हां श्रीमान् जी।

Opening of ITI for Women

***1247 Shri Naresh Yadav** : Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open an ITI for Women in Kanina; and

(b) if so, the time by which the work of the above said ITI is likely to be started ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) :

(क) हां, श्रीमान् जी,

(ख) यद्यपि, इस समय आई०टी०आई० खोलने की समय सीमा दी जानी सम्भव नहीं है।

Supply of Domestic Electricity

***1253 Dr. Sita Ram** : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to provide domestic Electricity Power supply to the residents of Dhanis in District Sirsa; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अनुबद्ध वर्तमान नियमों के अनुसार, घरेलू बिजली कनैक्शन उन परिसरों को प्रदान किया जाता है जो बिजली वितरण निगम के मौजूदा नेटवर्क के ट्रर्मिनल खंभे से 30 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित हैं, यदि परिसर 30 मीटर की दूरी से बाहर स्थित है तो उपभोक्ता को बिजली कनैक्शन उसकी पूरी लागत वहन करने की शर्त के अनुसार प्रदान किया जाता है।

पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिला सिरसा में 865 बिना बिजली वाली ढाणियां हैं। यहां तक कि आज की तारीख में, कोई भी व्यक्ति जिसका परिसर 30 मीटर से अधिक

की दूरी पर स्थित है, वह कनैक्शन के लिए आवेदन कर सकता है तथा आवश्यक प्रभारों की अदायगी पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिना किसी लागत के उपभोक्ता को कनैक्शन देने के लिए राज्य में बिना बिजली वाली ढाणियों को कवर किया जा सकता है, यदि उस ढाणी में 100 या इससे अधिक निवासियों की जनसंख्या है। वे ढाणियां जो इस योजना के मानदण्ड को पूरा करती हैं, उन्हें बिजली कनैक्शन प्रदान करने के लिए इस योजना में शामिल किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Elders-Day-Care Centre

158. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether it is a fact that an Elders-Day Care Centre is to be constructed in Bhiwani; If so, the time by which its construction work will be completed together with the time by which the above said centre will start functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां श्रीमान् । यह मार्च 2010 तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा जैसे ही हुडा भवन सौंपेगा यह कार्य करना आरम्भ कर देगा।

T.V. Channel Bhiwani Halchal

159. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that a T.V. Channel named Bhiwani Halchal is functioning in Bhiwani contrary to the rules; and

(b) if so, the names of the officers with whose connivance the said illegal channel is functioning togetherwith the action taken against the delinquent officers and whether the channel has been stopped or it is still functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं श्रीमान् जी

(ख) यह एक तथ्य है कि " भिवानी हलचल " नाम से भिवानी में एक टी०वी० चैनल नियमों के विरुद्ध चल रहा था, लेकिन उसे बंद व सील कर दिया गया है तथा केबल ऑपरेटर के विरुद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 (2002-03 तक संशोधित) के अधीन एक मुकदमा नं० 429, दिनांक 30-7-2009 धाराधीन 4 ए०आर०/डब्ल्यू 16(1) ए दर्ज किया गया है। इस मामले में कोई भी अधिकारी संलिप्त नहीं है।

Contamination of Water

160. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the water of water-tank of Kitlana remained contaminated for 10 days due to the dead body of a dog therein; if so, the action taken against the delinquent officials in this regard ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : जी नहीं श्रीमान्। मरा हुआ कुत्ता कुछ शरारती तत्वों द्वारा टैंक में फैंका गया था। परन्तु स्टोरेज टैंक में पानी की मात्रा कम होने के कारण गांव कितलाना की पीने के पानी की आपूर्ति एक कम गहराई वाले ट्यूबवैल से की गई थी। जैसे ही मरे हुए कुत्ते का पता चला उसको बाहर निकाल दिया गया और टैंक को साफ कर दिया था।

सरकार ने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और विभाग को जिम्मेदारी निर्धारित करने और उसी अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

Construction of Multi Storeyed Building

161. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that a multi-storeyed building Raghu Hyundai has been constructed on the Rohtak road in Bhiwani contrary to the rules with the connivance of the officers;

(b) whether the abovesaid building falls within the limit of Municipal Council and whether its plan was passed before the construction of building and if the said building is out of the limit of the Municipal Council, whether its CLU or permission was obtained from the Town and Country Planning Department; and

(c) the action taken against the officers with whose connivance the said illegal construction has been made ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) :

(क) सरकार के ध्यान में आया है कि श्री ईश्वर गुप्ता पुत्र श्री जय नन्द और श्रीमती वसुन्धरा गुप्ता पत्नी श्री ईश्वर गुप्ता द्वारा नगरपरिषद्, भिवानी तथा निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा की अनुमति के बिना, रोहतक रोड़, भिवानी में रघु हुंडई बहुमंजिला नाम के भवन का निर्माण किया गया है। अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में मामले की जांच करवाई जा रही है।

(ख) निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, उपरोक्त भवन नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने उपरांत नगर परिषद भिवानी की बढ़ी हुई सीमा के अन्तर्गत आता है। मालिकों ने भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया था जोकि निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक बी० - 312-जे०ई० (बी)-2009/1800 दिनांक 13-03-2009 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा अथवा नगर परिषद् भिवानी द्वारा कोई भवन प्लैन स्वीकृत नहीं किये गये थे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) जांच करवाई जा रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर इस वक्त बारिश बहुत कम हो रही है और पूरे प्रदेश के अन्दर सूखे की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के 4 अन्य सदस्यों ने

हरियाणा में बिजली और पानी की कमी के बारे में अपना एक कालिंग अंटेशन मोशन दिया था। आप बताएं कि उसका क्या फेट रहा ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपका यह कालिंग अंटेशन मोशन 31 तारीख को ही आया था and it has been disallowed. The reason mentioned thereof has been supplied to you.

विभिन्न मामले उठाना

डॉ०सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर इस वक्त बारिश बहुत कम हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर सूखे की स्थिति है, बिजली और पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है । पीने के पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हरियाणा प्रदेश को सुखाग्रस्त राज्य घोषित करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्पीकर साहब, आज प्रदेश में सूखे की बड़ी भयावह स्थिति है पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत है। आज प्रदेश में हर आदमी बेहाल है। किसान बहुत परेशान हैं। जब देश के अंदर दूसरे स्टेट्स के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तो हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है ? हरियाणा में भी इस बार बारिश बहुत कम हुई है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस मामले पर सदन में चर्चा करवायी जाए और हरियाणा के उन जिलों, को जहां बारिश न के बराबर हुई है, सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आज सारा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है इसलिए इस बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए। यू०पी० और हिमाचल के कई जिलों को भी ड्रॉट डिक्लेयर किया गया है। हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है इसलिए ऐसे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां के किसानों को राहत दी जाए।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, इसके बारे में भी आप लिखकर दे सकते थे, कोई नोटिस दे सकते थे। आप इस बारे में अपना कोई काल अंटेशन मोशन दे सकते थे लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, हमने सोचा था कि शायद बारिश हो जाएगी लेकिन नहीं हुई इसलिए आज हमने यह मामला उठा दिया।

श्री अध्यक्ष : दो दिन में ही आपको यह लग गया कि बारिश हो जाएगी।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, हो सकता है कि बारिश हो जाए, शायद राहत मिल जाए। 31 तारीख को तो आप नहीं थे इसलिए हमने सोचा कि आप जब आएंगे तो अपने साथ बारिश भी लेकर आएंगे लेकिन जब बारिश नहीं आयी तो आज हमने यह मुद्दा उठा दिया। सर, आप इस मामले में चर्चा करवाएं क्योंकि यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, अगर यह इतना सीरियस मामला था तो आपकी पार्टी के नेता को यहां पर आकर यह मामला उठाना चाहिए था। उनका बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेवाराना व्यवहार विधान सभा के सभी सैशनों में रहा है।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आप 31 तारीख को आए नहीं थे वे उस दिन आए थे। उनको भी कोई जरूरी काम हो सकता है । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन के नेता को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए कि प्रदेश में जो ड्रॉट एरियाज हैं वहां के किसानों के लिए वे क्या राहत देंगे ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपके नेता को यह सारी बातें यहां पर आकर उठानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर साहब, वह फोर्मर सी०एम० हैं इसलिए वे यहां पर आते और अपनी बात कहते । सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी । अगर उनको सरकार की कमियां दिखाई देती हैं तो उनको यहां पर आकर बताना चाहिए था । उनको बरसात की बात यहां पर आकर उठानी चाहिए थी। वह कहां गए ? आप बताएं कि आपके लीडर कहां हैं ? क्या उनका यह गैर जिम्मेवाराना व्यवहार नहीं है, क्या यह लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं है ?

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप 31 तारीख को कहीं थे। हम तो सोच रहे थे कि हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आपके हल्के के अंदर बड़ा विवाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक इंटरनेशनल कांफ्रेंस अटैंड करने गया था और मेरी फ्लाईट लेट हो गयी थी इसलिए मैं 31 तारीख को नहीं आ सका था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर साहब, बलवन्त सिंह जी को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था क्योंकि वे इनके हल्के में 220 के०वी० के एक सब स्टेशन का उदघाटन करके आए हैं। उन्होंने इनके यहां पर एस०डी०एम० ओफिस भी खोल दिया है और इनके हल्के की लगाम सड़के भी बनवा दी हैं। ये तो अहसान फरामोश आदमी हैं । इनको तो सी०एम०साहब का धन्यवाद करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seats. (Interruptions) Nothing is to be recorded.

डा० सीता राम : स्पीकर साहब, * * *

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, * * *

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, यह बात सही है कि हरियाणा में इस बार बहुत कम बारिश हुई है लेकिन सरकार ने कोशिश की है कि किसानों को पूरी बिजली उपलब्ध करवायी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा के कुछ एरियाज में जो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है उस पर आप रूल 84 के तहत डिसकशन एलाऊ करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर साहब, बलवन्त सिंह जी को तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परसों ही मुख्यमंत्री जी 220 के०वी० के एक सब स्टेशन का उनके हल्के में उदघाटन करके आए हैं। इन्होंने एक बार भी सी०एम०साहब का धन्यवाद नहीं किया है। स्पीकर साहब, इनको तो सी०एम०साहब ने बिना मांगे ही एस०डी०एम०ओफिस भी दिया है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ०सीता राम : स्पीकर साहब, आपने सूखे और बिजली-पानी पर डिसकशन करवाने की बात मान ली है इसके लिए आपका धन्यवाद, हम सरकार की बात सुनना चाहते हैं। आप यह डिसकशन कब और कितनी देर की करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आज का जो बिजनैस है वह तो कंटीन्यू ही रहेगा। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का बिजनैस हाउस ने ऐप्रूव कर रखा है इसलिए वह बिजनैस खत्म होने के बाद ही इस बारे में डिसकशन करवाएंगे। आप थोड़ी पेशंस रखें ।

डॉ० सीता राम : ठीक है जी, हम आपकी बात मान लेते हैं ।

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have to inform the House that I have received a message from Shri Lachhman Dass Arora, Industries Minister dated 31st July, 2009 expressing his inability to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 3rd August, 2009 onward as he has to go to pilgrimage of Baba Amarnath in Kashmir.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this days's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is —

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister will lay the papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

1. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No.7 of 2009).
2. The Haryana Development Authority (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 8 of 2009).
3. The Social Justice and Empowerment Department Notification No. S.O. 54/C.A. 56/2007/S. 32/2009, dated the 19th June, 2009 regarding Haryana Maintenance of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, as required under section 32 (3) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
4. The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2007-2008, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

यमुना समझौते पर हरियाणा विधान सभा की समिति का दूसरा अंतरिम/ प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I present the Second Interim/Preliminary Report of the Committee of Haryana Vidhan Sabha on Yamuna Accords to review the document signed by the then Chief Minister in 1994 for Renuka and Kishau

Dams and to analyse the circumstances which led to the signing by Shri Bhajan Lal, the then Haryana Chief Minister of the 1994 MoU regarding sharing of Yamuna Waters and discrepancy between Cabinet decisions and the signed documents, constituted on 24th September, 2007.

I also move that the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the next Session.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the next Session.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time for the presentation of final Report to the House is extended upto the next Session.

विधान कार्य

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐशन (नं० 3) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formala be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill,

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पुलिस अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शन्ज़) अमैंडमैंट बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि प्रि-कन्सैपशन एण्ड प्रि-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीकस्त (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स सिलैक्शन) हरियाणा वैलिडेशन बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move— That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा फिस्कल रिस्पोन्सिब्लिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1)of Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपिल (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to move that the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो सैकिंड अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं उसके उद्देश्य के मुताबिक जो गुड़गांव का दो साल का बढ़ाने का जिक्र है वहीं हरियाणा में शहरों में स्थिति अच्छी नहीं है। उससे फरीदाबाद विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है। इससे शहरों में स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा है। वीकर सैक्शन, और अनऑथोराईज्ड कालोनीज बहुत ज्यादा डिवैल्प हुई हैं। मेरे ख्याल से फरीदाबाद में उसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। तकरीबन 50 से भी ज्यादा अनऑथोराईज्ड कालोनीज हैं जो स्लम ही बन रहा है। तकरीबन 60 हजार झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से मंत्री जी इस बारे में ज्यादा जानते होंगे, वह भी स्लम ही बन रहा है। 1991 से 1996 तक स्लम एरियाज के लिए पहले ग्रांट आती थी और वे ग्रांट्स उसमें लगी भी हैं और जिससे वे स्लम ऐरियाज़ डिवैल्प भी हुए हैं। आज स्थिति चिन्तनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिंतित हैं। उन्होंने कोशिश भी की कि इन कालोनीज को पास करके स्थिति को कुछ सुधारा जाये लेकिन उसमें कुछ व्यवधान आ गया और वह मामला कोर्ट में चला गया। आज खासकर उन एरियाज में, स्थिति अच्छी नहीं है कुछ एरियाज में डिवैल्पमैंट हुई है यह अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण योजना जिसमें छोटे और मध्यम किस्म के शहरों का इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करने के लिए जो ग्रांट्स दी जाती है उसमें कुछ पैसा स्टेट का है तथा कुछ पैसा कारपोरेशन का है शायद आधा पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट देती है। उसको मजबूत करने का भी इसमें उद्देश्य है कि हम आज इन एरियाज को डिवैल्प कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा जो इस बिल में क्लियर नहीं है कि गंदी बस्तियों में किन एरियाज को चिन्हित किया गया है ? झुग्गी-झोंपड़ियों को चिन्हित किया गया है या गॉव की एक्सटैन्शन को चिन्हित किया गया है या जो तकरीबन 52 कालोनी हैं उन सभी कालोनीज को भी इसमें डाला गया है जिनके लिए मुख्य मंत्री महोदय काफी चिंतित रहे हैं ? उन्होंने 4 वर्ष पूर्व उनको पास करने के लिए ऐलान भी किया था लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ कारण था जिससे वह मामला अधर में लटक गया और यह मामला कोर्ट में पहुंच गया तथा अब कोर्ट में उस पर स्टे है। उसके लिए कोई वे-आऊट निकालने के लिए कोशिश जारी है। इसका पहले भी दो बार सर्वे हुआ है, यह कैबिनेट में भी आया है। मैंने भी इस मामले को यहाँ हाउस में पहले भी उठाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने भी शहरी विकास मंत्री जी के साथ बैठक ली हैं। उन एरियाज को भी इसमें शामिल किया जायेगा या निर्धनों को इसमें शामिल किया जायेगा या

अनऑथोराईज्ड कालोनियों को इसमें शामिल किया जायेगा ? दूसरी बात स्लम एरियाज में क्या वे झुग्गी-झोंपड़ी ही आयेंगी वैध या अवैध का तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा ? 1991 से 1996 तक इसमें सारी जमीन पर काफी झुग्गी-झोपड़ी बनी हुई थी। उस समय स्लम की ग्रांट्स में से इन पर पैसा लगता था। लेकिन आज के दिन इसलिए नहीं लग सकता कि ये वैध नहीं हैं । इसी वजह से कोई भी पैसा वहाँ पर खर्च नहीं किया जा सकता। इस फण्ड को लगाने में यह "वैध" या "अवैध" का शब्द तो बीच में नहीं आयेगा! 25 परसैंट की बात एक अच्छा प्रयास है टोटल बजट का 25 परसैंट इस हैड में डाला जायेगा और वह उन्हीं के ऊपर खर्च किया जायेगा। मुख्य मंत्री जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि फरीदाबाद में अगर झाड़सेतली से लेकर बार्डर तक देखेंगे तो 50 परसैंट से ज्यादा आबादी स्लम और अनऑथोराईज्ड ऐरियाज़ की है जिनमें से कुछ कॉलोनीज़ पास हो गई और बाकि बहुत गैर पासशुदा कालोनीज़ आज भी पड़ी हुई हैं। क्या यह बजट उनके लिए सफिशियैंट होगा, क्या अवैध कॉलोनियां भी इसके अन्तर्गत आ सकेंगी ? सरकारी जमीन पर पहले से ही जो पुराने झुग्गी-झोंपड़े बसे हुए हैं और जिनमें नालियां गली खरंजे आदि बनाए गए हैं क्या उनमें भी यह पैसा लगाया जाएगा ? अगर इसको थोड़ा-सा क्लीयर किया जाए तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक होगा।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, मैंने हाउस में जो स्टेटमैंट अमैंडमैंट के लिए रखी है उसमें यह अमैंडमैंट तीन हिस्सों में है। इसमें तीन अमैंडमैंट्स सुजैस्ट की गई हैं। एक हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन गुड़गांव में चुनाव एक साल के अन्दर करवाने का प्रावधान था क्योंकि पीछे कोड ऑफ कण्डक्ट लागू हुआ है, नई कारपोरेशन थी, ऐरिया ज्यादा फैला हुआ था, उसका सर्वे हम स्टिपुलेटिड टाईम के अन्दर नहीं कर सकते थे इसलिए एक साल की एक्स्टैंशन की अमैंडमैंट का प्रावधान किया गया। दूसरी बात मेरे ऑनरेबल साथी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें हमने स्टेमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज़ में बिल्कुल क्लीयर लिखा हुआ है कि स्लम पॉकेट्स, झुग्गी-झोंपडी, अनएप्रूवड ऐरिया जहां वातावरण बड़ा प्रदूषित हो चुका है लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं और जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने सुजैस्ट किया कि पिछली सरकार ने इस पर पाबन्दी लगा दी थी कि किसी झुग्गी में कोई काम न किया जाए। मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग बुला कर इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि गरीब आदमी, जिसकी दशा बहुत खराब है और वे उन जगहों पर रह रहे हैं जहां पर आम आदमी शौच तक करना पसन्द नहीं करता, उनके एन्वायर्नमैंट को साफ करने, उनको पीने का पानी देने के लिए, सफाई, सड़के और बाकी जो जन-सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जो उपलब्ध करवाने के लिए हमने इयरमार्क कर दिया है। 25 परसैंट बजट ऐलोकेशन हम गरीबों की हालत सुधारने के लिए भी देंगे! उसमें बड़ा क्लीयर किया गया है। उसमें जो प्रोविजन है यह 20 परसैंट जो है वह टोटल रैवेन्यू इन्कम से ज्यादा न हो। 20 परसैंट रैवैन्यू एक्सपैंडीचर से ज्यादा न हो और 25 परसैंट कैपिटल एक्सपैंडिचर न हो। इसमें बहुत सीधा है कि वाटर सप्लाई, हाउसिंग, हैल्थ, सैनिटेशन सोशल सिक्योरिटी और बाकी अदर सर्विसिज। गरीब की लॉट को सुधारने और पुरानी कमी के कारण उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सके उसे दूर करके ये सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रावधान डॉग्ज़ का है उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है वह तो इसमें लिखा है जो स्पष्ट है 20 परसैंट और टोटल का 25 परसैंट हम इस मद में लगाएंगे उसकी मैं ही

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

नहीं सभी प्रशंसा करेंगे कि उसके लिए कोई तरीका निकाला गया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इसमें यह क्लीयर नहीं है कि एक चीज आती है कल निचले लैवल पर इम्पलीमैंट करते हैं तो इसमें कहीं पर भी वैध-अवैध का जिक्र नहीं है। इसमें शब्द निर्धन और स्लम ऐरियाज हैं। जहां तक स्लम्ज का सम्बन्ध है, जो सरकारी जमीन पर स्लम्ज बने हुए हैं जहां हम डिवैल्पमैंट करेंगे भी इस मद में या पिछले समय में की हुई है। बीच का समय ऐसा रहा जिसमें इस पर पाबन्दी लगा दी गई थी। क्या उन ऐरियाज में हम पैसा लगा रहे हैं। मैंने कहा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके लिए 25 परसैंट बजट उनके उनके लिए सफिशियैंट हो या न हो वे ऐरियाज झुग्गी-झोंपड़ी के अलग-अलग पड़े हुए हैं जो कि सरकार को पैसा देने के लिए तैयार हैं। जैसे आउटर इनर डिवैल्पमैंट है पहले एक सिस्टम था 50 परसैंट कन्जयूमर और 50 परसैंट सरकार खर्च करेगी। वे लोग 50 परसैंट देने के लिए तैयार हैं इनकी डिवैल्पमैंट के लिए हमारे पास पैसा भी आएगा तो क्या इसमें भी वह व्यवस्था करेंगे ? इसमें वैध और अवैध का जिक्र जरूर कर देना चाहिए क्योंकि अनऐथोराईज्ड कॉलोनीज में कतई निर्धन और बिलो पावरटी लाईन लोग ही नहीं हैं उससे ऊपर के लोग भी हैं, वह बात अगर साफ हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सैंट्रल स्टेट की मदद का जिक्र है। सैंटर से नेहरू नवीकरण की जो योजना है उसमें अनएथोराईज्ड अवैध जो है जहां जिक्र है कॉलोनीज में इस पैसे को लगाने पर पाबन्दी है। सरकार की उसमें पाबन्दी है लेकिन आज भी हमें पैसा मिल रहा है। क्या मंत्री जी उसको भी देख लेंगे ? मेरी मंशा इसमें यह है कि उसमें पैसा लगे और इसकी डिवैल्पमैंट हो।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, ऑनरेबल मैम्बर ने इस ईशू को दो जगह पर प्वायंट आऊट किया है। एक क्या अनएप्रूव्ड कालोनिज भी इसमें शामिल हैं। उसका सीधा जवाब यह है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर जिन गरीब लोगों ने जमीन के अभाव के कारण या साधन न होने के कारण अपने लिए पक्के मकान किराए पर नहीं ले सके या नहीं खरीद सके और वे बाहर जाकर दूर-दूर बस गए हैं। उन अनएथोराईज्ड कालोनीज को रैगुलराईज करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हाऊस के अन्दर पिछले सदन की बैठक में खुली घोषणा की थी। स्पीकर सर, उसके लिए हमने दो एजैंसिया ऑलरेडी एन्गेज की हुई हैं, जो सर्वे पर लगी हुई हैं और 15 अगस्त तक हमें उनका सर्वे मिल जाएगा। स्पीकर साहब, उस लिहाज से कालोनिज को डिवैल्प करना और उनसे जो भी फीस मुकर्रर होगी उसको लेने के बाद उन्हें सारी सुविधा प्रोवाईड कर दी जाएगी । जहां तक स्लम्ज की परिभाषा की बात है, इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि स्लम्ज तो वही हैं जो लोग गन्दी जगहों पर नाले के किनारों पर बसे हुए हैं। जहां हम कोई चीज पहुंचाना भी चाह रहे थे लेकिन नहीं पहुंच रही थी। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी का चिन्तन था कि उन लोगों को भी सुख सुविधा दें। इस विचार के चलते हुए 25 प्रतिशत रैवेन्यू उनके लिए दे देना अपने आप में एक बहुत बड़ा जरूर है। जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। उसमें यह जरूरी नहीं है कि स्लम्ज कहां पर हैं। स्पीकर सर, जहां भी इन्वायरमैंट खराब हो रहा है जहां भी रिक्थाथरमैंट है जनसाधारण को जो चाहिए वह हम इसमें शामिल कर लेंगे और जो पुरानी रूकावट का बार बार माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने बंद कर दिया तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उसको खोल दिया है और अब वह पाबन्दी नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं और माननीय मंत्री जी के पुराने और अब के ऐलानों से भी सहमत हूं । अध्यक्ष महोदय, यह उसी का नतीजा है इसमें

कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद में रहने वाले सीपती लोग चाहे वे कहीं भी बसे हों, चाहे वे वहां के अच्छे इलाकों में बसे हों, चाहे वे वहां के सैक्टरों में बसे हों और चाहे वे शहर के उन इलाकों में बसें हो जहां पर अच्छे नागरिक रहते हैं तो वहां पर भी आप इस पैसे को लगाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि वे लोग चाहे कहीं भी बसें हों, आप इस पैसे को उनके कल्याण के लिए खर्च करेंगे।

श्री एoसीo चौधरी : नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि जहां उनकी कालोनियां बसी हुई हैं, वहां पर प्लांड कालोनिज़ का अनएप्रूव्ड होना न मुमकिन है। हां, प्लांड कालोनिज़ में कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो हो सकती है तो वह रूल्ज़ के मुताबिक ही टैकल होगी। अब मैंने कह दिया कि रिकोग्नाईज्ड और नॉन रिकोग्नाईज्ड स्लम्ज हों या एक्सटैंशन से बाहर अनएप्रूव्ड हों । जहां पर भी ऐसी सुविधाओं की जरूरत होगी, हम देंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे एरियाज़ उन कालोनिज़ में हैं जिसके बारे में कारपोरेशन ने पहले ही रिकमैंड करके भेजा है कि वे उनको पैसा देने को तैयार हैं। जहां पर सरकार का पैसा पहले भी लगा हुआ है और इस फंड को भी आप वहां पर लगाएंगे तो क्यों न उनसे 400, 500 और 600 रूपए प्रति गज जो उन्होंने प्रस्तावित करके भेजा है वह उनसे ले लें। अगर ऐसा होगा तो इस फंड में और पैसा आएगा जिससे वहां की और ज्यादा डवैल्पमैंट होगी। जो आप कह रहे हैं वह सैद्धान्तिक तौर पर अच्छा होगा लेकिन प्रैक्टिकली आधा शहर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय जी, आज भी अनअथोराईज्ड डवैल्पमैंट पुरानी देन है इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अथोराईज्ड एरिया के बाहर अनअथौराईज डिवैल्पमैंट बहुत तेजी से हो रही हैं, क्या आप इनमें भी पैसा लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो फिर इसके लिए आपको एक नया एक्ट भी लाना पड़ेगा इसलिए इस बारे में मेरा कहना यह है कि इसको आप और गहनता से देखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दीनबन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी मुरथल (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will introduce the Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C.Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C.Chaudhary) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री नरेश यादव (अटेली) : स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके द्वारा हरियाणा के सभी पार्ट्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज खोली गयी हैं। जहां एक तरफ दीन बन्धू छोटू राम यूनिवर्सिटी खोली गयी है वहीं महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया है, राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी भी खोली गयी है। इसके साथ साथ महेन्द्रगढ़ जिले के पाली-जाट में भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी विधिवत रूप से खोली गयी है। स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी खोलने के बारे में पहले अपोजीशन पार्टी के लोग हरियाणा की जनता को सिर्फ नारा दिया करते थे और झूठ बोलते थे। पिछले चुनावों में जब जनता ने उनको सबक सिखा दिया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहा। स्पीकर साहब, आज भी उनकी तरफ से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाली-जाट में सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है। वे लोग भारत सरकार का कोई और झूठा कागज लेकर घूम रहे हैं और लोगों को इस बारे में गुमराह कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मैम्बर साहेबान ने कहा है वह उनसे कंसर्ड है। यह बात ठीक है कि जो सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है वह महेन्द्रगढ़ जिले में ही खोली जा रही है बाकी बातें तो गुमराह करने वाली हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा को-ऑपरेटिव सोसाईटीज़ (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar H.S.Chatha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

श्री एस०एस०सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और इनकी सरकार को इस बात के लिए बहुत मुबारिकबाद देता हूं और हरियाणा के किसान, खेत मजदूर और खेती से जुड़े लोगों की तरफ से भी सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि ये दूसरा काला कानून भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने खत्म कर दिया है जिसके बारे में पिछले असैम्बली सैशन में मान लिया था कि इसको सरकार खत्म करने के लिए तैयार है। पहला काला कानून आज से तीन साल पहले पास कर दिया था जिसमें यह था कि यदि किसान लोग

वापस देने में डिफॉल्ट कर जाए तो उसको चालीस दिन तक सिविल प्रिजन में बंद कर सकते हैं और इस अवधि में जो उसका 40 दिन तक खाने का खर्च होगा उसको भी उस कर्जे में लिख देंगे। ये इतना भद्दा, इतना बेरहम, इतना जालिम कानून था जिसको कि इस सरकार ने स्टेच्यूट बुक में से खत्म कर दिया है इसके लिए मैं उनका हरियाणा के किसानों की तरफ से और गरीब मजदूरों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं। अब कोई भी किसान या कोई भी गरीब आदमी जिसने कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज ले रखा है उसको अब गिरफ्तार नहीं कर सकते । ज्यादा समय न लेकर मैं सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ही रखना चाहूंगा। एक और जो काला कानून था जिसके तहत कोऑपरेटिव ऐक्ट में यह प्रोविजन था कि अगर कोई किसान या गरीब आदमी कर्ज वापस न दे सके तो बैंक उसकी जमीन नीलाम कर सकते थे, मैं पहले उस ऐक्ट की चार लाइनें कोट करता हूं, इसमें लिखा है —

> " ... where a power of sale without the intervention of the Court is expressly conferred on a society by declaration creating the mortgage, the society or any person authorized by such society in this behalf shall, in case of default of payments of the mortgage money or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the society, to bring the mortgaged property to sale without the intervention of the Court."

कोऑपरेटिव डिपार्टमैंट के अधिकारियों को बिना कोर्ट में जाय ये अख्तियार था कि जो आदमी कर्ज न दे सके उसकी जमीन को नीलाम कर सकते थे, बेच सकते थे। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन किसान को इतनी क्षमता न दे सके कि वे कर्ज वापस कर सकें और उस जमीन को भी बेच दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। उस कानून के होते हम यह कहते थे कि इससे तो अच्छा है कि जमीन बेचने से पहले घर के सारे मैंबरों को सल्फास की गोली ही खिला दी जाए क्योंकि मरना तो दूसरी सूरत में भी है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही हौसले और हिम्मत से इस बात का ऐलान किया कि इस कानून को हम खत्म करना चाहते हैं। उसके आल्टरनेटिव में मैंने यह कहा था कि किसान की जमीन लीज पर या चकौते पर दे दी जाए और उसका आधा पैसा किसान के परिवार को दे दिया जाए ताकि वह गुजारा कर सके और लीज मनी का आधा रुपया बैंक में डिपोजिट करवा दिया जाए और जब कर्ज की रकम पूरी हो जाए तो किसान को उसकी जमीन वापस दे दी जाए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में मैं भी मैंबर था। यह भी मुबारिकबाद की बात है कि इतनी जल्दी कमेटी की रिपोर्ट आई है। 10-12 दिन पहले रिपोर्ट आई है और आज ये बिल इस हाउस में इंट्रोडयूस कर दिया गया है यह भी अपने आपमें एक रिकार्ड है। यह रिकार्ड सरकार की नेकनीयती और दृढ़ निश्चय को स्थापित करता है। मंत्री जी इस वक्त हरियाणा कोऑपरेटिव सोसायटीज अमैंडमैंट ऐक्ट, 2009 लेकर आए हैं इसमें सैक्शन 75 जो था वह ओरिजिनल कोऑपरेटिव ऐक्ट है जिसके तहत जमीन नीलाम करते थे उसकी सब सैक्शन -1 जो है उसमें ये ऐड करना चाहता हूं कि जिसके बारे में ड्राफ्ट में दे रखा है —

> "the following provisos shall be added, namely:—
>
> "Provided that if the mortgage is of agricultural land for agriculture and agricultural purposes and both the society and the

[श्री एस.एस.सुरजेवाला]

agriculturist consent that the mortgaged land may be leased out in case of three consecutive defaults by the agriculturist then the agriculturist shall hand over the possession of the mortgaged land to the society for leasing out the same."

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके जो वर्ड्ज़ हैं उनको आप देखें। अगर सोसायटी भी कंसैंट करे, सोसायटी का मतलब है बैंक, बैंक कंसैंट करे और जो डैटर है वह भी कंसैंट करे तो यह क्लाज एप्लीकेबल होगी कि उसकी जमीन बेचने की बजाय लीज पर दे दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें एक कमी है अगर ओरिजनली बैंक एग्री न करे तो फिर बेचारा किसान यानि डैटर क्या करेगा इसलिए यह कंसैंट की बात नहीं है बल्कि यह इस कानून का पार्ट होना चाहिए कि इन दि फस्ट इन्सटांस अगर किसान ऑफर न करे फिर तो बैंक या सोसायटी की मर्जी है कि वे जो भी मर्जी करें । अगर किसान ऑफर करता है तो उसके बाद बैंक को यह ओपशन नहीं होनी चाहिए कि वह एग्री करे या न करे । मैं यह समझता हूं कि इसमें यह एक फलां है इसलिए इसको सरकार को दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह बात भी कहना चाहता था कि इस बिल की क्लाज 2(ii) का जो तीसरा प्रोवाइजो है वह इस प्रकार है—

"Provided further that if the recovery cannot be effected even by leasing out the mortgaged land, the society may make an application to the Sale Officer for the sale of the mortgaged land for recovery of the outstanding amount."

सर, इसमें भी काफी इम्बिग्युटी मौजूद है। The words are:—

"...if the recovery cannot be effected even by leasing out the mortgaged land,..."

यह तो बैंक की ओपशन के ऊपर है कि अगर किसान अपनी जमीन जो उसने बैंक के पास रहन रखी है उसको वह लीज पर देने के लिए ओफर करता है तो वह रिकवरी इफैक्ट क्यों नहीं होगी ? इसके लिए तो बैंक हैं या दूसरे डिपार्टमैंट हैं या गवर्नमैंट है उनको इसके लिए उपाय करना चाहिए। इसमें लैंथ का सवाल भी नहीं है बल्कि सवाल यह है कि रिकवरी कब इफैक्ट होगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें भी क्लैरीफिकेशन की जरूरत है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फैसला हुआ था और मुख्यमंत्री महोदय जी ने यह घोषणा की थी कि लीज मनी का आधा रुपया किसान के परिवार को हर साल मिलेगा ताकि वह अपना गुजारा कर सके। जब बैंक पूरी जमीन लीज पर दे देगा तो किसान के परिवार ने भी तो अपना पेट पालना है इसलिए लीज मनी का आधा रुपया बैंक के खाते में उसके कर्जे के अगेंस्ट जमा हो जाएगा लेकिन इस बिल में इस बारे में कोई प्रोवीजन मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री जी की एश्योरैंस के अनुसार यह बहुत जरूरी है। सोसायटी के बारे में बीरेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के अनुरूप भी यह नहीं है इसलिए यह बात इसमें ऐड की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान की जो जमीन है वह किसी सूरत में भी बिकनी नहीं चाहिए। बिल में अभी भी इस तरह का प्रोवीजन है कि अगर बैंक न चाहे तो किसान की जमीन बिक सकती है। अध्यक्ष महोदय, जमीन को लोग कहते हैं कि जमीन धरती मां है। धरती मां किसी कीमत

पर भी नहीं बिक सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि उस चीज का पता हो कि वह किस चीज से बनी है और क्या वह और भी बन सकती है। दूसरी बात उसकी उम्र का पता हो कि उसकी उम्र कितनी है तथा तीसरा उसका उपयोग सिंगल हो। उदाहरण के तौर पर मेरा जो जूता है वह मेरी कमीज या पायजमा नहीं हो सकता। मेरी कमीज जूता नहीं हो सकती। यह जो बिल्डिंग है इसकी उम्र 200 या 300 साल हो सकती है। यह सीमेंट, लोहे और ईंटों से बनी है। कार की उम्र 10 या 12 साल हो सकती है, यह लोहे से बनी है। इन सब का मूल्यांकन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं क्या कोई बता सकता है कि जमीन किस चीज की बनी है। क्या कोई दूसरी जमीन बना सकता है। क्या कोई जमीन की उम्र बता सकता है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जमीन रहेगी। जमीन के मल्टीपल उपयोग हैं। जमीन का कोई एक उपयोग नहीं है बल्कि जमीन बेशुमार काम आती है। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी अनूठी चीज जिसकी कोई उम्र नहीं बता सकता, जो दूसरी नहीं बन सकती है, जिसके उपयोग मल्टीपल हैं, उसको कैसे बेच सकते हैं ? मैं मुख्य मंत्री जी को फिर मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने हरियाणा में जो यह बात असैप्ट की है कि जो जमीन सरकार द्वारा किसी काम के लिए ऐक्वायर की जायेगी उस जमीन का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जायेगा और 33 साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना किसान को दिए जायेंगे तथा हर साल इसमें 500 रुपये की बढ़ौतरी होगी। जो मैं कहना चाह रहा हूं उस डायरैक्शन में यह पहला कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल और करता हूं कि वह कौन सी सरकार होगी जो 33 साल बाद किसान की जमीन का पैसा देना बंद कर देगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यह 33 साल नहीं, वह 3300 साल होगा, 33000 साल होगा और हमेशा के लिए यह कानून बनेगा। किसानों को आज जो पैसा मिला है वह पैसा कब्जा देने के लिए मिला है ताकि उनकी जमीन का इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा है कि 15 हजार रुपये 33 साल तक मिलेंगे तथा हर साल उनमें 500 रुपये की बढ़ौतरी भी होगी। मैं कहता हूं कि किसान की जमीन किसी सूरत में नहीं बिकनी चाहिए और यही परपज इस अमैंडमैंट का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक्सप्लेनेशन-1 में परपज दे रखें हैं कि किस-किस चीज के लिए किसान कर्जा लेगा तो यह लागू होगा। इसमें स्पैसीफिक तौर पर ट्रैक्टर और इम्पलीमैंट्स का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो टयूबवैल है वह पहले 10-20 हजार रुपये में लगता था जबकि आज किसान को सबमर्सीबल टयूबवैल लगाना पड़ता है जिस पर लाखों रुपये का खर्चा लगता है और किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, यह बात आप भली-भांति जानते हैं। हालांकि इसमें इम्पलीमैंट्स एंड मशीनरी वर्ड यूज किया है फिर भी मैं यह चाहूंगा कि इसको कोई मिसइंटरप्रैट कर सकता है और बैंक कर्मचारी किसान को परेशान कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि जब किसान कर्ज की किस्त वापिस करता है तो इस वक्त बैंक में यह प्रथा है कि जो ब्याज बनेगा उसका उस ब्याज के मुजरा उसकी किस्त जमा कर लेंगे और असल रकम है वह खड़ी रहेगी तथा किसान को भारी भरकम ब्याज हर किस्त पर देना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब किसान पहली किस्त दे तो वह असल में से डिडैक्ट कर दी जाये ताकि प्रेजुथली टैपर हो जाये और किसान को ज्यादा ब्याज न

[श्री एस.एस.सुरजेवाला]

देना पड़े। अध्यक्ष महोदय, यदि नाबार्ड इस बात को नहीं मानता तो मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए नाबार्ड को मनाना मुश्किल बात है। सरकार लोगों की नुमाईंदगी करती है और बहुत शक्तिशाली चीज है जबकि नाबार्ड भारत सरकार का विभाग है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा जिसके बारे में आज एक सवाल भी लगा था कि किसान को कर्जा लेने के लिए यदि कोपरेटिव बैंक को जमीन मोर्टगेज करनी पड़ती है तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती जबकि नैशनलाईज्ड बैंक्स को सेम परपज के लिए किसान लोन लेने के लिए जमीन मोर्टगेज करता है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मंत्री महोदय, मेरी इस बात की तरफ ध्यान दें मैं यह बिलकुल सही बात कह रहा हूं। यह बहुत ही डिसक्रीमिनेटरी बात है। कोपरेटिव बैंक्स से किसान द्वारा लोन लेते वक्त जमीन मोर्टगेज के लिए स्टैम्प ड्यूटी न लेने के लिए सरकार ने दो दलील दी हैं। इन्होंने कहा है कि एक तो किसान पर कर्जा न चढ़े और दूसरा किसान की क्षमता भी नहीं है इसलिए कोपरेटिव बैंक से कर्जा लेते वक्त जमीन मोर्टगेज करने पर स्टैम्प ड्यूटी माफ की गई है। अध्यक्ष महोदय, नैशनलाईज्ड बैंक्स पर किसान को जमीन मोर्टगेज कराने के लिए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि जो मैं यह जिक्र कर रहा हूं यह इस अमैंडमैंट का डायरैक्टली पार्ट नहीं है पर इससे टोटली कनैक्टिड है और सरकार इस पर फैसला करे तथा नैशनलाईज्ड बैंक्स पर भी किसानों के लिए जमीन मोर्टगेज की स्टैम्प ड्यूटी खत्म करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में अमैंडमैंट लाने के लिए मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार-बार धन्यवाद देता हूं। मैं यह समझता हूं कि सरकार द्वारा को-आपरेटिव एक्ट में संशोधन करके जो रियायतें किसानों को दी गई हैं यह संशोधन नैशनेलाईज्ड बैंकों पर भी लागू होना चाहिए। नैशनेलाईज्ड बैंकों को भी क्यों यह अधिकार हो कि वे किसी किसान से ऋण की रिकवरी न होने की सूरत में उसकी ज़मीन बेच दें, उन्हें भी किसानों से ऋण की रिकवरी के लिए इस प्रोसीज़र को अडॉप्ट करना चाहिए। हरियाणा सरकार को नैशनेलाईज्ड बैंक्स को भी इस प्रोसीज़र को अडॉप्ट करने के लिए मज़बूर करना चाहिए, चाहे इसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से विशेष तौर पर दरख्वास्त ही क्यों न करनी पड़े या कुछ और भी करना पड़े, मैं समझता हूं कि सरकार को हर हाल में यह प्रोसीज़र नैशनेलाईज्ड बैंक्स से भी अडॉप्ट करवाना चाहिए । मेरे विचार से ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कारगर कदम उठायेंगे । यह आज के समय की मांग है कि जो रियायतें आज सरकार इस बिल में अमैंडमैंट करके को-आपरेटिव बैंक्स के माध्यम से किसानों को देने जा रही है जब कोई किसान नैशनेलाईज्ड बैंक्स से अपने किसी परपज़ के लिए कर्ज़ा ले तो यह निर्णय नैशनेलाईज्ड बैंक्स पर भी लागू हो । स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सत्र में मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में घोषणा की थी कि किसान की ज़मीन नीलाम न हो इसके लिए हम कोई ठोस कदम उठायेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मंत्री मण्डल स्तरीय सब-कमेटी का गठन किया गया था और मुझे इस सब-कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस कमेटी ने चंद दिनों पहले ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसमें विशेष रूप से दो-तीन बातों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी चर्चा

की है। वे स्वयं भी इस कमेटी के सदस्य थे। सबसे पहले हमने यह महसूस किया कि को-आपरेटिव एक्ट के सैक्शन 75 में संशोधन की ज़रूरत है। इसका मुख्य कारण यह था कि जब किसी किसान से ऋण की रिकवरी करने के लिए बैंक के सारे साधन एग्जास्ट हो जाते थे तो ऐसी परिस्थिति में उस बैंक द्वारा सम्बंधित किसान की ज़मीन को नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया जाता था और उसके बाद एक स्टेज पर आकर उसकी ज़मीन नीलाम भी हो जाती थी । मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के साढ़े चार साल के शासन काल के दौरान शायद कहीं कोई ऐसा कारण बना हो जहां पर किसी किसान की ज़मीन नीलाम करने की नौबत आई हो। इसके बावजूद भी हमारे मन में यह बात थी कि इस एक्ट के कारण ऋण की अदायगी न करने की सूरत में जो किसान के ऊपर उसकी ज़मीन की नीलामी रूपी खतरे की तलवार लटकती रहती थी उसे हटाया जाये । उसमें हमने यह सुझाव दिया था और हमारा वह सुझाव इस अमैंडमैंट के अन्दर आया है कि अगर डिफाल्टर होने के कारण किसी किसान की ज़मीन नीलाम करने की नौबत आती है तो ऋण की अदायगी करने के मकसद हेतु सबसे पहले उसकी ज़मीन पर कास्त करने के बारे में उसे ही कहा जायेगा। जैसे किसी किसान की चार एकड़ ज़मीन नीलाम होनी है तो उस स्थिति में हम उसको यह कहेंगे कि अपनी यह चार एकड़ ज़मीन आप अपने पास रखो, बैंक का इतना पैसा आपकी तरफ कर्ज़ के रूप में देय है उसके बाद उस ज़मीन का सम्बंधित जिले या स्थान विशेष के मुताबिक चकौते का जो रेट होगा उसके हिसाब से वह प्रति फसल में से आधा अपने पास रखेगा और आधे की बैंक को ऋण के भुगतान के रूप में अदायगी करेगा। मान लीजिए किसी स्थान विशेष का नहरी पानी या ट्यूबवैल से सिंचित भूमि का चकौते का रेट 20 हज़ार रूपये प्रति एकड़ है तो वह 10 हज़ार रूपये प्रत्येक फसल पर प्रति एकड़ के हिसाब से बैंक के पास जमा करायेगा और बाकी का वह उस ज़मीन से जितना भी कमायेगा उसको वह अपने पास रखेगा । वह 20 हज़ार के बजाये 50 हज़ार से लेकर एक लाख रूपये प्रति एकड़ तक भी कमा सकता है। इस बारे में हमने एक तो यह ऑप्शन दी है। दूसरा अगर किसी सूरत में वह किसान अपनी ज़मीन को चकौते पर या लीज़ पर न लेना चाहे तो फिर हम किसी दूसरे किसान को भी यह कह सकते हैं कि आप अगर इस ज़मीन को चकौते पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसा करने पर उसको उसी हिसाब से आधा पैसा बैंक को देना होगा और आधा वह अपने पास रखेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इससे उस किसान के डिफाल्टर होने की नौबत नहीं आयेगी। वह डिफाल्टर तो तब होगा अगर वह चकौते की रकम बैंक में जमा नहीं करवाता अदरवाईज़ उसको डिफाल्ट करने की नौबत नहीं आयेगी। इस प्रकार से हमने किसानों को यह बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। इससे वह अपनी ज़मीन का खुद मालिक रहेगा, अगर वह चाहे तो उस पर स्वयं काश्त करेगा और जो भी उसकी लीज़ मनी है वह बैंक में कर्ज़ा उतारने की सूरत में उसका 50 प्रतिशत जमा करवाता रहेगा। इससे उसकी ज़मीन भी नीलाम नहीं होगी और वह बैंक के कर्ज़े से भी मुक्ति पा लेगा। इसके अलावा जहां ज़मीन बरानी है, जहां पर ट्यूबवैल और नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा नहीं है, उस ज़मीन के लिए हमने यह फैसला किया है कि सम्बंधित किसान चकौते की रकम का 30 प्रतिशत बैंक को देगा और बाकी का अपने पास रखेगा। जैसे अगर किसी किसान की ज़मीन का 15 हज़ार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से चकौता फिक्स होता है तो उस सूरत में 5 हज़ार रूपये वह बैंक को देगा और 10 हज़ार रूपये अपने पास रखेगा। इस प्रकार से किसानों द्वारा कर्ज़ा अदा न करने की स्थिति में उसकी ज़मीन को नीलाम होने से बचाने के लिए हमने यह प्रावधान किया है। एक तो इसमें हमने यह किया है और दूसरी बात जो श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने कही है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं क्या उसमें जमीन का मालिक किसान रहेगा और उस बात का फैसला कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : राव साहब, यह कानून इसीलिए बना रहे हैं कि किसान जमीन का मालिक बना रहे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे उसके अन्दर जो प्रावधान है वह यह है कि आज कल जमीन के फ्लोर रेट बढ़ गये हैं । हमारी सरकार आते ही हमने जमीन के बढ़े हुए फ्लोर रेट तय किये थे। एन०सी०आर० से बाहर की जो जमीन है उसमें 10,40,000/- प्रति एकड़ से कम की कोई जमीन नहीं है। जैसा श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि सबमर्सिबल ट्यूबवैल या और कृषि से संबंधित कोई मशीनरी किसान खरीदना चाहता है तो पहले ट्रैक्टर का लोन देते वक्त लगभग 5 एकड़ जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी लेकिन इस स्थिति में उसको एक एकड़ से ज्यादा जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। एक एकड़ जमीन की कीमत में ही वह ट्रैक्टर खरीद सकता है और एन०सी०आर० की अगर जमीन हो तो उसमें हो सकता है कि आधा एकड़ में ही काम चल जाये। एक और सबसे बड़ी बात हमने की जिस पर श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी चर्चा की है कि किसान जो लोन लेता है उसके ऊपर बैंकों द्वारा ब्याज लगाने का तरीका सही नहीं है । मान लीजिए किसी ने 5 लाख रूपये ट्रैक्टर का लोन लिया तो उसकी 50-50 हजार की दस किस्तें बना दी जाती थी। जो पहली किस्त होती है उसमें ब्याज ही ज्यादा कटता है और रिड्यूसिंग इन्ट्रैस्ट की प्रथा नहीं है। कमर्शियल बैंकों में भी ऐसी ही प्रथा है। हमने बैंक अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं है। हम यह चाहते थे कि जब किसान ने पहली किस्त के 50 हजार रूपये दे दिये तो अगली किस्त में साढ़े चार लाख रूपये पर ही ब्याज लगे । इसी प्रकार से किसान अगर दूसरी किस्त भी 50 हजार रूपये जमा करवा देता है तो ब्याज 4 लाख रूपये पर लगेगा और इसी प्रकार से तीसरी किस्त व बाकी किस्तों पर ब्याज लगे। अंत में जब 10 की 10 किस्तें पूरी हो जायें तब जा कर उसके ऊपर ब्याज वसूला जाये। इस प्रकार से जो ब्याज की क्लैक्शन होती है तो जो ब्याज वह दे रहा है उस पर तीन से सवा तीन परसैंट ब्याज का लाभ किसान को होता है। इसके लिए हमें नाबार्ड से भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी बात करनी पड़ेगी। उनको अपनी बात समझानी पड़ेगी और हमने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी बात नहीं मानते हैं तो वह तीन परसैंट का अन्तर सरकार और बैंक मिलकर वहन करेंगे।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि हर जिले में रि-कंसाइलेशन बोर्ड कंस्टीच्यूट कर रखे हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी की जमीन ज्यादा मोर्टगेज कर रखी है और उसका लोन एक ही एकड़ में पूरा हो सकता है तो वह बाकी की जमीन छुड़वाने के लिए रिकेसाइलेशन बोर्ड में जा सकता है। जो उसकी फालतू जमीन मोर्टगेज कर रखी है वह भी कम हो सकती है यह बात भी इस कमेटी में रखी गई थी और हमने उसको रिकमैंड करके भेजा है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिलीफ दिया है विशेष तौर से हमारे जैसे एरिया में जहाँ सिंगल क्रॉप है वहाँ पर लीज मनी कम की गई है उसका भी हम स्वागत करते हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश में पहली स्टेट है जिसने इस प्रकार का रिवोल्यूशनरी कदम उठाया है । पिछले सैशन में जब यह आईडिया फ्लोट किया तो,

हमें बड़ा अजीब लगा कि कैसे एक प्रोप्रटी जो कर्जे के खिलाफ रहन रखी गई उसको नीलाम नहीं किया जायेगा लेकिन मैं सरकार, मुख्य मंत्री जी, श्री सुरजेवाला जी और श्री बीरेन्द्र सिंह जी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस समस्या का इतना अच्छा हल निकाला और एक लैंडमार्क डिसिजन सरकार ने इस मामले में दिया है कि किसान की जमीन रहन नहीं होगी। बाकी चीजों का जिक्र श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने किया है । जिन बातों के लिए इन्होंने कमिट किया था उससे भी बढ़कर अपनी कमेटी में फैसला लिया है। इसके लिए टोटल कृषक समाज इसका बहुत-बहुत धन्यावाद करता है। पिछले साढ़े चार साल से मैं देखता हूं कि हमेशा एक से एक अनूठी स्कीम किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए, कृषक के लिए, गांव में रहने वाले के लिए, इस सरकार ने जारी की है। अभी जिक्र आया कि सारी अधिग्रहण जमीन की कम्पैनसेशन मिल गई और फिर साढ़े तेतीस साल तक उसको ठेका देना यह भी शायद अपने आप में एक मिसाल है। हो सकता है इन्टरनैशनल लैवल पर भी कहीं पर ऐसी स्कीम नहीं होगी। ऐसी स्कीम का अन्दाजा किसी को नहीं है I think it is nowhere in the world इसके लिए आदरणीय मुख्य मन्त्री जी, जिन्होंने किसानों के हित में इतनी बड़ी बात की, बहुत ही सराहना के पात्र हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, इसके साथ ही साथ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि आप पूरे प्रयासरत हैं कि किसान बच जाए और उसके ऊपर कोई बोझ न पड़े। कहीं-कहीं मुझे यह मालूम नहीं कि यह सरकारीकरण के कारण है या यह क्या चीज़ है कि आजकल कोंआपरेटिव बैंकों के अन्दर किसान से उसकी जमीन की एक किस्म से कर्ज के ऊपर 150 रुपये लीगल चार्जिज लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि शायद यह आपके नॉलेज में ही ही नहीं और हो सकता है कि विभाग के नॉलेज में भी यह न हो। इस तरह से लोकल बैंक किसान का शोषण करते हैं। वे 150 रुपये या 250 रुपये देकर किसी वकील को ऐंगेज कर लेते हैं। यह करोड़ों रुपये का स्कैंडल है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसान को उसकी जमीन का ब्यौरा लेने के लिए कम से कम किसी वकील की जरूरत नहीं है। वह पटवारी से कागज ला सकता है और तहसीलदार उसको तस्दीक कर सकता है। इस बात को आपको देखना होगा क्योंकि इस तरह से जिलों के अन्दर किसान का शोषण हो रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मान साहब, जो बात कह रहे हैं कमर्शियल बैंकों में ऐसा हो सकता है लेकिन कोआपरेटिव बैंकों में ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा है तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : माननीय मुख्य मंत्री जी, कोआपरेटिव बैंक्स में भी ऐसा हो रहा है इसलिए मैं यह बात आपके नोटिस में ला रहा हूं। मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूं कि एक डायरैक्टिव होना चाहिए कि कोई लीगल आदमी नहीं लगाएगा। अगर कोई बैंक का वकील उसको देखता है तो इसके लिए किसान से पैसे क्यों लिए जाएं स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान का बहुत सा पैसा मुआफ हुआ है, मजदूरों का पैसा मुआफ हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी सूद में बड़ा भारी रिलीफ़ दिया है लेकिन उससे किसानों की एक विशेष सैगमैंट है जो हमेशा से सही वक्त पर अपना कर्जा अदा करती थी वे लोग कहीं न कहीं यह महसूस करते हैं कि हमें जो विशेष सराहना मिलनी चाहिए थी वह सरकार की ओर से नहीं मिली है। अब जो ऋण लिये जा रहे हैं, कोआपरेटिव बैंकों से या कमर्शियल बैंकों से जो ऋण लिये जा रहे हैं किसान की नीयत यह हो गई है कि आज की तारीख में एक बार ऋण ले लो यदि ऋण वापिस नहीं करेंगे तो सरकार अपने आप हमारे ऋण मुआफ करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई न कोई

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

provision for better pay masters होना चाहिए जो ऋण ले कर समय पर वापिस देते हैं दो या तीन परसैंट का सबरटैंशियल रिलीफ उनके लिए होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करने से पहले यह भी कहूंगा कि आजकल हाउसिंग लोन की बड़ी प्राथमिकता है। कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से गांवों में हाउसिंग के लिए आप कोई स्कीम बना सकते हैं ताकि हाउसिंग के लिए सोसाईटी के माध्यम से यह कर्जा छोटे सूद या कम सूद पर दिया जाए। स्पीकर सर, मैं एक और बात माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मंत्री जी, आप स्वयं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तथा सुरजेवाला जी, हम सभी कोआपरेटिव मूवमैंट से जुड़े हुए हैं। मेरा भी तीस-चालीस साल का कोआपरेटिव से जोड़ है हमने बहुत मेहनत करके गांव-गांव में कोआपरेटिव सोसाईटीज़ पहुंचाई। गांव-गांव तक सोसाईटीज़ के भवन बनवाए गये थे और गांव-गांव तक खाद की उपलब्धि करवाई थी लेकिन पैक बनाने के बाद वह सारा का सारा आठ दस गांवों की पैरिफेरी में एक गांव हो गया और इसका कोई फायदा लोगों को नहीं हुआ। इसमें एक ख्याल था कि बैंकों के ओवर डैट घट जाएंगे लेकिन जितने भी मुलाजिम थे वे सारे के सारे यूं के यूं ही हैं। एक-एक जगह पर चौदह-चौदह आदमियों का एक जमावड़ा है। एक पैक के अन्दर 14-14 आदमी हैं जिनका कोई काम नहीं है। आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी वह इस्तेमाल नहीं होगी। मुख्य मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर बड़ा ध्यान दे कर उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। हाईकोर्ट ने भी इस पर बहुत सी टिप्पणियां की हैं। इसमें पैक को मिनी बैंक के अन्दर कन्वर्ट किया जाए। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का, सुरजेवाला जी का, बीरेन्द्र सिंह जी का और अपने कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने किसानों के लिए एक नायाब चीज इस ऐक्ट के तहत दी है।

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : स्पीकर सर, तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी को मैं जब से देख रहा हूं इनकी कोआप्रेटिव में बहुत रूचि है । इन्होंने जो बातें कहीं हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा । दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अगर कोई फीस वकील लेता है तो उस बारे में भी हम विचार करेंगे । स्पीकर सर, एक बात तो सिद्ध है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जेलों से बात शुरू की और कहा कि किसान जेल में नहीं जाएगा, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए, किसानों का सूद माफ किया, बिजली के बिल माफ किए और अब कोआप्रेटिव में चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा प्रावधान ले आए हैं कि किसान अगर चार कनाल जमीन दे तो वह ट्रैक्टर कर्जे पर ले सकता है। अगर 2 कनाल जमीन दे तो वह टयूबवैल कर्जे पर ले सकता है । इससे बड़ी बात किसानों के लिए हिन्दुस्तान में कोई नहीं कर सकता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने की है। स्पीकर सर, इसके साथ मिनी बैंक्स की जो बात है इस बारे में कई जगहों से शिकायतें आई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको भी देखेंगे ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल को लेकर आई है मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को इसके लिए मुबारिकबाद देता हूं कि इन्होंने किसानों के हित में इतने अच्छे कानून बनाए हैं । मेरा भी इसमें एक निवेदन है कि जहां इन्होंने हरियाणा में इतने क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है । इस बिल में जो किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने खेतों के लिए औजार, ट्रैक्टर और इंजन के लिए कर्ज लेता है उस बारे में बैंक और डीलर उस किसान का

शोषण करते हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब किसान कर्जा ले रहा हो तो यह जो डीलर हैं इनका उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए । बैंक से सीधा पैसा किसान को मिलना चाहिए। किसान जिस काम के लिए पैसा लेता है अगर वह उस काम में ही उसको प्रयोग करेगा तो उससे किसान का ज्यादा फायदा होगा ।

सरदार एच०एस० चट्ठा : अगर किसी ने बैंक से कर्जा लेना है तो मेरे ख्याल से हम डीलर को कुछ नहीं देते हैं । हम तो किसान को ही कर्जा देंगे बशर्ते कि वह अपनी जरूरत का सामान ही खरीदे । यह न हो कि किसान सामान न खरीदे और चैक ले जाए तथा उस डीलर का हिसाब किताब क्लीयर करे । हमारी तो कोशिश है कि जमींदार अगर ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेता है तो वह ट्रैक्टर ही ले, टयूबवैल के लिए कर्जा लेता है तो वह टयूबवैल ही लगाए। जब वह अपने सामान का बिल दे देता है तो ही हम उसको उसके अमाउन्ट का चैक देते हैं ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, अब यह नहीं है लेकिन पांच साल पहले यह था कि डीलर और बैंक मैनेजर किसान का केस तैयार करते थे और एक लाख कम में किसान अपना ट्रैक्टर उनके पास ही छोड़कर नगद पैसे लेकर चला जाता था।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल 2009

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन ऐरियाज़ (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surejwala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि कोर्ट फीस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister of State for Revenue will introduce the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायलय फीस (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2009 को प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि न्यायलय फीस (हरियाणा संशोधित) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Revenue will move that the Bill be passed.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस विधेयक को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलॉजी फरीदाबाद, बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Technical Education Minister will introduce YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to introduce YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी०चौधरी): स्पीकर सर, मैं इस बिल की कुछ क्लाजिज में अमैंडमैंटस प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या हाउस सहमत है कि अमैंडमैंटस प्रस्तुत कर दी जाएं ।

आवाजें : ठीक है जी, कर दें ।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Urban Development Minister will present the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry): Sir, I beg to present—

1. In clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.
2. In clause 2(h) after the signs and words,", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.
3. In clause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.
4. Clause 4 shall be omitted.

5. In clause 5(1) to be renumbered as 4(1)—

(i) the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.

(ii) After the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

6. Clause 6 to be renumbered as Clause 5 and in Clause(j)[(to be renumbered as 5(j)], the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.

7. In clause 6(t)[(to be renumbered as 5(t)]—

(i) the words and sign,"any college, institution or" shall be omitted.

(ii) the words,"admitted to the privileges" shall be omitted.

8. Clause 6(u)[(to be renumbered as 5 (u)] shall be omitted.

9. Clause 6(v)[(to be renumbered as 5 (v)] shall be omitted.

In view of above amendments the Clauses 7 to 36 shall be renumbered as clauses 6 to 35 accordingly.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub clause (2) of clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub clause (2) of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry): Sir, I beg to move—

1. That in clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

2. That in clause 2(h) after the signs and words,", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.

3. That in clause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved—

1. That in clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

2. That in clause 2(h) after the signs and words.", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.

3. That in clause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is —

1. That in clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.
2. That in clause 2(h) after the signs and words,", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.
3. That in clause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

The motion, as amended, was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move-

That Clause 4 shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved—

That Clause 4 shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 4 shall be omitted.

The motion, as amended, was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

1. That the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.
2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

Mr. Speaker: Motion moved—

1. That the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.
2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

Mr. Speaker: Question is —

1. That the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.
2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

The motion, as amended, was carried

Existing Clause 5 renumbered as Clause 4

Clause 6

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry): Sir, I beg to move-

1. That in Clause 6 (j) the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.
2. That in clause 6(t) the words and sign,"any college, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.
3. That Clause 6(u) shall be omitted.
4. That Clause 6(v) shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved—

1. That in Clause 6 (j) the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.
2. That in clause 6(t) the words and sign,"any college, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.
3. That Clause 6(u) shall be omitted.
4. That Clause 6(v) shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is —

1. That in Clause 6 (j) the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.
2. That in clause 6(t) the words and sign,"any college, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.

3. That Clause 6(u) shall be omitted.

4. That Clause 6(v) shall be omitted.

The motion, as amended, was carried.

Existing Clause 6 renumbered as Clause 5 and Clauses 7 to 36 renumbered as Clauses 6 to 35.

Clauses 6 to 35

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 6 to 35, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill, as amended, be passed.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि हमारे फरीदाबाद जिले और पलवल जिले के लिए पहला विश्वविद्यालय वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलौजी के नाम पर खोला गया है इससे न केवल दोनों जिलों को और तमाम हरियाणा के बच्चों को व हरियाणा प्रदेश से सटे हुए प्रदेशों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि ये जो फरीदाबाद में वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग बनी हुई है उसे आपने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इस विश्वविद्यालय को मौजूदा स्थान पर जिस भी गांव की पंचायत जमीन देती हो, वह जमीन उनसे ले लेनी चाहिए। चाहे फरीदाबाद जिले में जमीन उपलब्ध करवाएं या पलवल जिले में जमीन उपलब्ध करवाएं लेकिन इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने का काम सरकार ने किया है। अगर सरकार चाहे तो दोनों जिलों में पंचायतें इनको जमीन देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध है कि यह जो वाई०एम०सी०ए०विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बिल लेकर आए है इसमें अगर ये इस तरफ भी कदम बढ़ाएंगें तो इससे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा।

श्री ए०सी०चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आदरणीय साथी की बात का जवाब दूं मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वाई०एम०सी०ए०को एक इंटरनैशनल स्टेटस के स्टैण्डर्ड का कालेज हरियाणा के अंदर देने का निर्णय किया है लेकिन इसके साथ ही हम इसकी और भी एक्सटैंशन करने जा रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी सरकार के पास आए हुए 26 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को हमने पास कर दिया है। यह जो कालेज आज के दिन जिस लोकेशन पर मौजूद है, दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग जब वे आगरा की तरफ जाते हैं तो वाई०एम०सी०ए० की बेहतरीन किस्म की और लेटेस्ट टैक्नोलोजी की बिल्डिंग को देखकर इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार का चिंतन क्या है। उसकी एक्सटैंशन के लिए ऑलरेडी हमने दूसरा प्रोजैक्ट क्लीयर कर दिया है और इसको बहुत जल्दी ही हम एक्सपैंड भी कर देंगें ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

राज्य सभा के नव-निर्वाचित सदस्य को बधाई

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस सदन के एक आदरणीय और वरिष्ठ सदस्य श्री शादी लाल बतरा जी निर्विरोध राज्य सभा के सांसद के तौर पर आज चुने गए है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) मैं सदन के नेता की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी साथियों की ओर से बतरा साहब को बहुत

बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिस प्रकार से उनका रचनात्मक सहयोग और योगदान सदन के सदस्य के रूप में रहा, चाहे वे विपक्ष में थे और चाहे वे सत्ता पक्ष में थे, वह सराहनीय रहा उन्होंने मार्कीटिंग बोर्ड के चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बखूबी निभाई। विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अहम भूमिका निभाई । इस सदन में जो विभिन्न चर्चाएं हुई उनमें इन्होंने आगे बढ़कर भाग लिया। स्पीकर्स पैनल पर भी इन्होंने बड़ी काबलियत से सर्व किया । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारे पूरे देश और प्रदेश को बतरा साहब की राज्यसभा के सांसद के तौर पर बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी और ये हरियाणा के पक्ष को मजबूती व काबिल तरीके से पेश करेंगे। देश ऐसे सांसद की सेवाओं का पूरा लाभ उठाएगा। मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देता हूं।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्षा, AICC, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और समस्त सदस्यगण का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इस काबिल समझा और मुझे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश के सबसे ऊंचे स्थान पर भेजा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आशाएं और अपेक्षाएं उन्होंने मुझ से रखी हैं मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मुझे इस सदन में दो बार आने का मौका मिला । पहली बार मैं वर्ष 2000 में इस सदन में आया उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी अपोजीशन में बैठती थी । लेकिन उस वक्त जो और पोलीटिशन या नेता थे सत्ता में थे वे अपने आप को प्रजातंत्र से ऊपर एक राजा के रूप में मानते थे और कहा करते थे कि मैं जब तक जिऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। उनका प्रजातंत्र और प्रजा में कोई विश्वास नहीं था। प्रजा ने जब उनकी नीति, नीयत और कार्य प्रणाली को देखा तो उनको ठोकर मारकर घर बिठा दिया। लोगों ने यहां तक कर दिया कि वे अगली बार विपक्ष के लीडर भी नहीं बन सके। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बार वर्ष 2005 में विधान सभा का सदस्य बना। उस वक्त जनता ने भरपूर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता पक्ष में बिठाया और उसके मुखिया हमारे आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बने। उसके बाद प्रजातंत्र में उनका कितना विश्वास है, प्रजातंत्र के माध्यम से उन्होंने हरियाणा का कितना विकास किया, कितनी इन्नोवेटिव स्कीम्ज दीं और किस तरह से किसान को, कर्मचारी को, व्यापारी को और आम जनता को एक ऐसा साधन दिया जिससे वे गर्व से कहने लगे हैं कि हम हरियाणावासी हैं। प्रजातंत्र में जब भी कोई बात चलती है तो जिस सरकार का, जिस मुखिया का विश्वास जनता में होता है और वह जनता की आशाओं और उपेक्षाओं पर पूरा उतरते हैं तो मैं समझता हूं कि वे ही नेता आगे चल सकते हैं। जो मौजूदा नेता हैं उन्होंने हरियाणा के जितने वर्ग हैं, जितने समुदाय हैं, जन-जन की भावनाओं को समझा और जन-जन की भावनाओं और आशाओं पर खरा उतरने के लिए कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि 1966 में हरियाणा बना था। तब से लेकर हमारी समुदाय के साथ एक भेदभाव सा हो रहा था कि राज्य सभा में कोई भी कंडीडेट हमारी समुदाय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं गया था। यह पहली बार हुआ है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समुदाय को पहचाना। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी समझ नहीं पा रहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं और कांग्रेस के ही नेताओं की अब बात कर रहा हूं। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। मैं जाति धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। प्रजातंत्र में सभी समुदाय और सभी जन बराबर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भावनाओं की बात थी अब इनकी समझ में आ गई कि मैं अपनी पार्टी

[श्री शादी लाल बतरा]

की बात कर रहा हूं। मैं उस नेता का जिनकी दूरदर्शी सोच है जो सबको बराबर समझते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, जो वर्ग हैं उन सब की निष्ठा कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन जब सम्मानता देखते हैं तो उस निष्ठा में और सीमेंट लग जाता है और मजबूती हो जाती है। उस मजबूती के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की भावनाओं को समझ और देखकर मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। स्पीकर सर, साथ ही साथ मैं सभी सदस्यों का, इस सदन का और आप का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी रहनुमाई में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत आगे तक चला हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं / सदस्यों का धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make an announcement.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो कोआपरेटिव सोसायटीज का अमैंडमैंट बिल आया उस पर काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। उस पर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने, मान साहब ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद हमारे विपक्ष के साथी भी किसानों के बारे में बरसात कम होने के कारण चिंता कर रहे थे। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस वर्ष को " किसान वर्ष " मना रही है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, किसानों को क्या सुविधाएं थीं और किसानों को उस समय सरकार की तरफ से क्या सहयोग दिया जाता था, इस बात की मैं अब चर्चा नहीं करना चाहता। एक तथ्य है कि किसानों को जो क्रोप लोन लेना पड़ता था, हरियाणा सरकार कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू 5 हजार करोड़ रुपये किसानों को देती है जिसको शोर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। यह लोन हमारी सरकार आने से पहले 11 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को दिया जाता था जिसको हमने कम करके 7 प्रतिशत कर दिया था। अब हमने फैसला किया है कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए जो यह 5 हजार करोड़ रुपये कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू किसानों को क्रोप लोन दिया जाता है यह 7 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं।) इससे 8 लाख 50 हजार किसानों को लाभ होगा। किसानों के हित की बातें कहना आसान बात है लेकिन किसानों का हित करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस और कारगर कदम उठाना बहुत मुश्किल बात है। अध्यक्ष महोदय, इससे 41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा। जो अमैंडमैंट बिल हम लेकर आये हैं अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है कि इससे पहले जो काला कानून था जिसमें किसानों की ज़मीन की नीलामी का प्रावधान था जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि इस सरकार की मंशा सबको मालूम है, हमारी नीयत बिलकुल साफ है और हम किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। अगर किसी भी माननीय सदस्य का इस बारे में कोई

सुझाव है वह हमें बतायें उसके मुताबिक अगर जरूरत महसूस हुई तो हम दोबारा से इस बिल में अमैंडमैंट कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हमने मौजूदा अमैंडमैंट के बाद जो इस बिल में प्रावधान रखे हैं उससे ऐसी नौबत नहीं आयेगी। इससे पहले यहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि इसका कितना लाभ होगा। अगर एक किसान एक ट्रैक्टर लेता है या ट्यूबवैल लगवाता है तो एक एकड़ जमीन बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत होती है। कृषि मंत्री जी ने बताया कि कहीं पर इस कार्य हेतु सिर्फ 2 कनाल ज़मीन गिरवी रखने की ही जरूरत पड़ती है। आज मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि ज़मीन की फिक्स फ्लोर रेट के मुताबिक जो कीमत है उसके मुताबिक हम किसान की ज़मीन गिरवी रखेंगे क्योंकि बहुत से किसानों ने बहुत पहले से ट्रैक्टर इत्यादि का लोन ले रखा है तो उनकी 5 से 8 एकड़ तक वैल्यू के हिसाब से ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। हमने यह निर्णय लिया है कि री-कंसीलियेशन बोर्ड में 31 अगस्त, 2009 तक जो भी किसान दरख्वास्त देगा उस पर दो महीने के अन्दर-अन्दर हम यह फैसला कर देंगे कि जितना उसका लोन है उसकी उतनी ज़मीन रखी जाये और उसकी बाकी की ज़मीन रिलीज कर दी जाये ताकि उसको भी सरकार के इस निर्णय का फायदा मिल सके। इसके अलावा जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं उनसे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को, गरीब आदमियों को, छोटे दुकानदारों को, ग्रामीण दस्तकारों को 25 हज़ार रूपये तथा भूमिहीन मज़दूरों को 35 हज़ार रूपये का ऋण आज 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है । हमने यह फैसला लिया है कि इन कर्ज़दारों को सहायता देने के लिए ब्याज दर में 3 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। इस प्रकार से यह ब्याज दर घटकर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक हो जायेगी। इस स्कीम से 75 हज़ार लोगों को लाभ होगा । इस प्रकार से जो को-आपरेटिव बैंक का लॉंग टर्म लोन है जैसे ट्रैक्टर के लिए लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक लोन देता है, इस समय सहकारी बैंक किसानों को लम्बी अवधि के लोन साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर देते हैं। इस बारे में सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि कृषि एवं गैर कृषि कर्ज पर ब्याज की दर पर 3 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जायेगी बशर्ते कि वे समय पर ऋण की किस्त की अदायगी करते हों । जैसा कि मान साहब ने कहा कि जो गुड पे भारटर्ज हैं उनको कोई रियायत नहीं दी गई है इस प्रकार से सरकार द्वारा उन गुड पे-मास्टर्ज को 3 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रावधान के बाद अब यह कर्ज़ साढ़े 8 प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जायेगा। इससे एक लाख 50 हज़ार किसानों को लाभ होगा और 37 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। इसी प्रकार से जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाईयां लड़ीं वे स्वतंत्रता सेनानी एक-एक करके हमें छोड़कर जा रहे हैं और उनमें से अनेक ऐसे हैं जिनका उनके परिवारों ने विशेष ध्यान नहीं रखा। मुझे कई बुजुर्ग मिलते हैं उनको अपने पोते-पोतियों की बड़ी चिंता रहती है। उनकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों के विवाह के अवसर पर सरकार 51 हज़ार रुपये कन्यादान के रूप में देगी। स्वतंत्रता सेनानियों के पोते और पोतियों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए उसी प्रकार से मासिक वज़ीफा दिया जायेगा जिस प्रकार से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का नाम सम्बंधित गांव के स्कूलों में बोर्ड पर लिखा जायेगा ताकि उस गांव की आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हरियाणा सरकार एक नीति बनायेगी जिसके तहत राज्य के अध्यावसायिक महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों तथा पोतियों को छात्रवृत्ति और फीस की रियायतों का समुचित लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जब हम गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं-कहीं

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पर पटवारखाने बने हुए हैं अगर किसी ने अपने घर में पटवारखाना बनाया हुआ है तो उसका समुचित रख-रखाव नहीं होता। इससे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हरेक पटवारखाने को प्रतिमाह 400 रुपया दिया जायेगा। इसमें 200 रुपया बिजली पानी के लिए और 200 रुपया साफ-सफाई के लिए ताकि जो भी अपने काम के लिए जाये तो उसको साफ-सुथरा माहौल मिले । हमारी सरकार की हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करने की नीति रही है । हमने बुजुर्गों की पैन्शन बढ़ाई है और अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों को मिलने-जुलने, सांझी गतिविधियों एवं प्रोग्राम करने के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गाँव में वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब खोले जायेंगे। उनका गठन किया जायेगा। प्रत्येक क्लब के लिए 15 हजार रुपये की ग्रांट मूढे, पंखे तथा दरियाँ आदि खरीदने के लिए सरकार द्वारा दी जायेगी । डोगे और साफे तो हम पहले ही दे चुके हैं और अब मूढे, पंखे व दरियों के लिए यह ग्रांट दी जा रही है ताकि वे अपना टाईम पास कर सकें । इस क्लब के लिए पंचायत जगह देना सुनिश्चित करेगी और इस क्लब के रख-रखाव की जिम्मेवारी पंचायत की ही होगी। कोई भी पंचायत इस ग्रांट के लिए आवेदन दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जैसे डोलीदार हैं, बोनीदार हैं, बूटीदार हैं, उनकी बार-बार मांग आती है। हरियाणा के बहुत से गाँवों में, गाँव की शामलात जमीन में से या फिर भूमि स्थामियों ने अपने रकबे में से कुछ रकबे को गांव के ही लोगों को कास्त के लिए दिया था । उस जमीन पर कोई 400 साल से कोई 500 साल से खेती कर रहा है । उदाहरण के लिए डोलीदार है, बॉडीदार है, बूटीधार हैं, साझीदार हैं, मुकररदार हैं, चिस्तीदार हैं, मसिकापरू इत्यादि । ऐसी भूमि के बदले में ये लोग गाँव को कुछ खास किस्म की सेवाएं प्रदान करते रहे हैं । यह प्रथा लगभग भूमि बंदोबस्त के समय से चली आ रही है। तब से लेकर उन परिवारों के लोग जिन्हें यह जमीन दी गई थी कास्त करते चले आ रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत ये लोग न तो इन जमीनों को बेच सकते हैं और न ही गिरवी रख सकते हैं। मेरे ध्यान में यह बात लाई गई थी। ये लोग समय-समय पर मुझसे मिलते भी रहे हैं। उनकी मांग है कि इस तरह की भूमियों पर उनको मालिकाना हक दे दिया जाये। मैंने संबंधित विभाग को इस बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के आदेश दे दिये हैं ताकि इन परिवारों को इन जमीनों पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं सिरसा में गया था और कई जगह जाता हूँ तो कई लोग मुझसे बी०पी०एल० के बारे में पूछते हैं। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की संख्या 6 लाख 70 हजार होनी चाहिए थी लेकिन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या 8,58,390 के करीब है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बी०पी०एल० परिवारों को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से, विभिन्न स्कीमों में सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। अब भी सरकार का यह प्रयत्न है कि किसी भी गरीब परिवार का नाम बी०पी०एल० सूची से छूट न जाये। इसलिए सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मुझे खबर मिली है कि कुछ इलीजीबल प्रतिवेदक छूट गये हैं और कुछ ऐसे शामिल हो गये हैं जो नहीं होने चाहिएं थे। उपायुक्त की कमेटी जिले में प्राप्त हो रहे सभी प्रतिवेदनों पर बी०पी०एल० सूची में शामिल करने बारे विचार करेगी तथा अपनी सिफारिश ग्रामीण विकास विभाग को भेजेगी। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बी०पी०एल० परिवारों की सूची में शामिल होने के लिए योग्य पात्र है और उसका नाम बी०पी०एल० सूची में शामिल नहीं किया गया

है अथवा किसी व्यक्ति को शिकायत है कि इन सूचियों में अयोग्य व्यक्तियों के नाम शामिल किये गये हैं तो वह संबंधित उपायुक्त को प्रतिवेदन कर सकता है। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छोड़ा नहीं जायेगा और अपात्र व्यक्ति का नाम बी०पी०एल० सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। (विघ्न) इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विधवाओं की पैन्शन पहले हमने 650 रुपये की थी उसको बढ़ा कर अब हमने 750 रुपये करने का फैसला किया है।

शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया था। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने पिछले कई सालों से शुरू से ही किसान, दलित, वर्कर, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी योजनाएं बनाई हैं। इस वर्तमान सैशन में अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अभूतपूर्व कंसैशंज़ का ऐलान किया है। शॉट टर्म में बैंकों से या कोआपरेटिव बैंकों से किसान जो कर्जा लेता है उसके ब्याज को इन्होंने 7 परसैंट से घटा कर 4 परसैंट कर दिया है। दलितों के लिए उसी ब्याज को इन्होंने तीन प्रतिशत कर दिया है। जो मीडियम टर्म लोन हैं उसके ब्याज को साढ़े ग्यारह परसैंट से घटा कर साढ़े आठ परसैंट करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से विभिन्न तबकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी-अभी एक दर्जन के करीब घोषणाएं की हैं। मैं समझता हूं कि असैम्बली का जो यह वर्तमान सैशन है चाहे यह दो दिन का हो आप इसे एक तरह से किसानों और दलितों के लिए सुविधाओं का सैशन कह सकते हैं क्योंकि इस सैशन में सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी और लाभदायी अगर कोई घोषणाएं हुई हैं या कानून आए हैं तो वे वर्तमान सैशन में ही आए हैं। यह सैशन बेशक छोटा है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क और क्रान्तिकारी सैशन है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारिकवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा के किसान और दलित वर्करों की तरफ से हम उनका अभिनन्दन करवाना चाहेंगे। जो भी समय ये देंगे पूरे हरियाणा के जो गरीब तबके और किसान हैं वे सभी इनका अभिनन्दन करेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, इससे पहले कि आज यह सैशन बर्खास्त हो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा अगर आपका धन्यवाद न करूं, और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद न करूं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इण्डिया के अन्दर दो इंस्टीच्यूशन्ज़ होते हैं दो पार्लियामैंट हाउसिज़ और एक असैम्बली सैशन। ये सही मायनों में डैमोक्रेसी के रिप्रैजेंटेटिव होते हैं। अगर सरकार कमजोर हो जाए तो अपोजीशन हावी हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे हावी नहीं होने दिया और डैमोक्रेसी ठीक ढंग से चली। स्पीकर साहब, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूं कि आपने सैशन में जितना टाईम ओपोजीशन को और पावरपार्टी को दिया है वह आज तक शायद किसी ने नहीं दिया। मैंने इस बात को देखा है क्योंकि मैं चार बार इस असैम्बली में बैठा हूं। मैं सत्तापक्ष में भी बैठा हूं और ओपोजीशन में भी बैठा हूं। न तो यहां चीफ मिनिस्टर साहब ने पैंसिल घूमाई और न ही आपने उसे देखा। हमने तो वह वक्त भी देखा है जब हमें बोलने नहीं दिया जाता था। हम लोग एक-एक महीना सैशन में बैठ कर चले जाते थे लेकिन हमें बोलने की इजाजत नहीं होती थी। बहरहाल आपने जो कुछ भी किया वह सराहनीय है लेकिन मैं समझता हूं कि ओपोजीशन ने वह पार्ट प्ले नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। with due apologies with the opposition मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिवाय वाक आउट करने के और कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद आपने बेहतरीन तरीके और बड़े तहम्मुल से सही ढंग

[श्री धर्मबीर गाबा]

से उनके साथ सलूक करने की कोशिश की। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सैशन में जो कुछ हुआ है यह हरियाणा की हिस्ट्री के अन्दर एक सुनहरी माप है। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि सी०एम० साहब ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों और हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने शहरों के लिए भी बहुत कुछ किया और देहातों के लिए भी बहुत कुछ किया। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं गुड़गांव की तरफ से खासतौर पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने जो कुछ गुड़गांव को दिया है शायद आज तक किसी ने नहीं दिया है। आज गुड़गांव की कारपोरेशन बनी है। 17.00 बजे गुड़गांव की कारपोरेशन के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि यह इण्डिया की सैकेंड लौर्जरट वेल्दीयैस्ट (रिधस्ट) कारपोरेशन है । इस कारपोरेशन को जिस मकसद से सी०एम० साहब ने बनाया है वह यह है कि जो इलाका हम अर्बनाईज करना चाहते हैं उससे पहले हम उसकी ड्विैल्पमैंट कर लें । वहां पर पहले ही सीवर दे दें, पानी दे दें ताकि लोगों को वहां पर आने के बाद कोई दिक्कत न हो । मेरे हिसाब से हरियाणा में गुड़गांव सबसे पहला शहर है जहां सी०एम० साहब के प्रयासों से मैट्रो आई है । मैं एक और खुशी की बात सदन में बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के अन्दर इन्टर मैट्रो शुरू करने जा रहे हैं जो शायद आज तक कहीं पर भी शुरू नहीं हुई है और 11 तारीख को सी०एम० साहब उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं । मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करना चाहता हूं । यह इस सरकार के टैन्योर में हरियाणा की हिस्ट्री के अन्दर एक सुनहरी बात है । इसके साथ ही मैं दोनों पक्षों का भी धन्यवाद करता हूं। अगर मैं यह नहीं करता तो मैं अपने फर्ज से कोताही करता ।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बैच में आए हुए साढ़े चार साल हो गए हैं। इस बैच का शायद यह आखिरी सैशन होगा । मैं आज सदन में सच्चाई कहना चाहता हूं जो शायद मेरे अलावा कोई कह नहीं सकता है। यह कड़वी सच्चाई है। स्पीकर सर, इस सरकार की और मुख्यमंत्री जी की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। इनके लिए हर हल्का एक बराबर है और इन्होंने हर हल्के में ईमानदारी से काम किया है। मैं तो हुड्डा साहब का, मंत्रीगण का और सभी एम०एल०एज० का दिल से आभार प्रकट करता हूं। जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई तो हरियाणा में बहुत ही बिगड़े हालात थे। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से उसको ठीक किया है। (विघ्न) आप मेरी बात तो सुनो। (विघ्न)

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : स्पीकर साहब, अपोजिशन में आप रहे हैं, हुड्डा साहब रहे हैं, उस वक्त अपोजिशन का क्या हाल था वह आपको पता है और यह पुरानी बात है। आज भी सदन में अपोजीशन बैठा है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने अर्जन सिंह के काम किए हैं। जब भी ये मुख्यमंत्री जी के पास गये हैं उन्होंने कभी भी इनको न नहीं की है। अब भी मुख्यमंत्री जी ने जो अनाऊंसमैंटस की हैं, ये बहुत ही सिगेनीफिकैंट अनाऊंसमैंटस हैं।

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, मेरे अकेले के ही काम नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जो भी चला गया उसका काम हुआ है और ये जो सारा दिन यहां पर विरोध करते रहते हैं इनको भी कभी जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब ये न जाना चाहें तो अलग बात है। (विघ्न) मेरे गीत गाने की जो बात है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री बलवन्त सिंह जी को तो सी०एम० साहब का

आभार व्यक्त करना चाहिए कि इनके बिना मांगे और बिना बोले ही सदौरा में इनके बहुत काम किए हैं । (विघ्न) इनकी पार्टी की जो पिछली सरकार थी उस वक्त हमारे यहां पर कोई काम नहीं हुआ था। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि मेरे पड़ौसी को छोड़कर इस सदन में दोबारा से सभी आएं। मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी कमियां सुनना पसंद की हैं चाहे वह कमियां विरोधी पक्ष ने ही क्यों न बताई हों। इन्होंने उन कमियों में सुधार करने की बात करी है। इस सरकार ने जितनी साफ नीयत से सेवा की है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि परमात्मा इनकी लम्बी उम्र करे, हम आएं चाहे न आएं लेकिन मुख्यमंत्री और यह सरकार कंटीन्यू रहनी चाहिए। (विघ्न) एक बात आप सभी सुन लें कि इतनी सच्चाई तो रूलिंग पार्टी वाले भी नहीं कहते होंगे जितनी मैं इनकी पीठ के पीछे करता हूं । (विघ्न) यह बात तो मैं अपनी पार्टी की स्टेज पर भी कह दूं चाहे इस बात का मुझे कुछ भी खामियाजा भुगतना पड़े। (विघ्न) स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में रखा है लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इससे पहले जो सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, सी०एम० साहब जब घोषणा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अब तो हम मर गए कहीं के नहीं रहे। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपने दरियादिल मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, हरिजन यानी सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं ।

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें आपको किसने बतायी हैं ?

श्री नरेश शर्मा : स्पीकर साहब, जब मैं उधर बैठा था तो ये बतला रहे थे और इनकी यह बात मैंने सुन ली। (शोर एवं व्यवधान)

विशेषाधिकार समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा का पुनरारम्भण

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Special Report of the Committee of Privileges will be resumed. Shri K.L. Sharma, MLA, was on his legs. As he is not present in the House at this time, if any other member wants to speak on this Report, he may do so.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Question is —

> That this House having considered the Special Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

राज्य के कुछ क्षेत्रों में सूखा स्थिति

Mr. Speaker : Now, the discussion on under Rule 84 regarding drought situation in some areas of the State will take place.

श्री फूल चंद मुलाना (मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा राज्य के कुछ सूखाग्रस्त एरियाज के बारे में डिस्कशन की जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस बार इंद्र देवता थोड़े से नाराज हो गए। समय पर बारिश नहीं हुई, हालांकि कई जगह पर बहुत अच्छी बारिश भी हुई है। विपक्ष ने सूखे का मुद्दा उठाया है। यह ठीक है कि बारिश न होने की वजह से कई जगह बिजाई में देरी हो गई और कई जगह ज्यादा बारिश नहीं हुई और जीरी की फसल को सूखे का सामना करना पड़ा लेकिन बारिश होने से क्षतिपूर्ति हो गई । अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक तो नहरी पानी की सिंचाई तथा उस पानी के उपयोग हेतु 109 किलोमीटर लम्बी भाखड़ा मेन लाइन का 392 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवा दिया लेकिन दुःख की बात है कि अपने ही प्रान्त के लोग जो किसान हितैषी बनते हैं वे पंजाब के नेताओं के साथ मिलकर चोरी छुपे का खेल खेल रहे हैं । उनके बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट करवा रहे हैं ताकि हांसी बुटाना नहर में पानी न आए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : क्या इस सदन के सारे सदस्य मानते हैं कि सूखा नहीं है, क्या आप सभी मानते हैं ?

श्री बलवन्त सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शेर सुनाकर हमें खुश नहीं कर सकते, प्रदेश की जनता को खुश नहीं कर सकते।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, ये लोग यह बताएं कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यादव जी, आप बैठ जाइए। आपने सूखे पर अपनी बात कही है डिस्कशन चल रही है और गवर्नमैंट उस पर जवाब देगी।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दादूपुर नलवी नहर का निर्माण करवा दिया और उसमें पानी भी छोड़ दिया। जो कार्य पिछले 25-30 साल से पेंडिंग था उसको पूरा कर दिखाया। हरियाणा की जनता को पानी मिले इसलिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उसका उद्घाटन करके उसमें पानी भी छोड़ दिया । अंबाला सिंचाई योजना के नाम से एक और नहर मंजूर कर दी। जवाहर लाल नेहरू फीडर की 2200 क्यूसिक की क्षमता को बढ़ाकर 2500 क्यूसिक किया है। नाबार्ड कार्यों के लिए सिंचाई के लिए मेवात नहर प्रणाली का निर्माण और जलमार्गों की मरम्मत और उनकी सफाई करवाई जिसके बारे में लिखा ही नहीं था। इसके अलावा मानसून ऋतु में पश्चिमी यमुना नहर में पानी का सुधार करवाया। कौशल्या बांध की बात मुद्दत से करते रहे हैं। अब कई सौ करोड़ रुपये की लागत से कौशल्या बांध तैयार हो रहा है।

बाढ़ नियंत्रण पर भी बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी ने की है वह यह है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 1750 करोड़ रुपये की बिजली अभी हाल ही में खरीदकर 8 घंटे लगातार बिजली दी जा रही है और इससे सूखे का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि खेतों में जाकर देखें कि पानी भरा पड़ा है और किसान यह कहने लगे हैं कि इतनी ज्यादा बिजली देंगे तो नीचे का पानी ही खत्म हो जाएगा। गांवों में लाइनों का 14 घंटे सैग्रेगेशन कर दिया जिससे गांवों के लिए अलग और ट्यूबवैल के लिए अलग बिजली दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके कितने अच्छे प्रबंध किए हैं। ये भाई चर्चा किया करते थे कि 22 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। फलां तारीख को देंगे। बिजली के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारी सरकार के पास अपनी बिजली नहीं होगी तब तक हरियाणा के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। बाहर से तो कई करोड़ रुपये की बिजली हम खरीद रहे हैं। यमुनानगर में 600 मेगावाट का बिजली का प्लांट बनकर तैयार हो गया है और बिजली दे रहा है। खेदड़ में 1200 मेगावाट का पावर प्लांट इस साल आ जाएगा और झाड़ली में 2 पावर प्लांट अगले साल आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा पावर प्लांट जिला फतेहाबाद के कुमारिया गांव में 2700 मेगावाट का आएगा। जो न्यूक्लीयर समझौता प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। यह किसकी सोच है, यह मौजूदा सरकार की सोच है। यह इस मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय की सोच है। पहले की सरकार तो किसानों को नारा दिया करती थी कि ऐ किसानों, बिजली के बिल मत भरो। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो न मीटर रहेंगे और न ही मीटर रीडर रहेंगे। बिजली आएगी और बिल नहीं आएंगे। लेकिन जब मांग की गई कि ये टेप सुन लो जिसमें आपने कहा था कि बिजली के बिल मत भरो तो उन्होंने लोगों के ऊपर घोड़े चलवा दिए जिसकी वजह से 9 किसान मारे गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वे बिजली के बिल माफ किए और किसानों की दशा को सुधारा। अध्यक्ष महोदय, आपने सारी दुनिया में कहीं सुना है कि जमीन की इतनी ज्यादा कीमत दे दी गयी हो और उस पर 15 हजार रुपये प्रति साल पट्टा भी दे दिया गया हो। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे मैंने डॉक्टर साहब से एक भैंस खरीदी, पैसा भी दे दिया और फिर यह भी तय हो गया कि उस भैंस के एक थन का दूध भी साथ में देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों की दशा और दिशा बदली है। किसान की जमीन की कीमतें अच्छी दी गई हैं, किसान की पैदावार की कीमत भी अच्छी दी गई है। किसानों के हित में बहुत काम किए गए हैं। जहां तक जीरी की बात है तो इनके समय में एक नारा लगा करता था कि चौटाला तेरे राज में जीरी गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में लेकिन हमारे हुड्डा साहब ने नारा लगवा दिया कि हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में । उन्होंने जीरी का एक्सपोर्ट भी खुलवा दिया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के राज में 3500 रुपये क्विंटल जीरी का रेट किसान को मिला है। किसान के लिए आज जो घोषणाएं की गई हैं वे काबिले तारीफ हैं । अध्यक्ष महोदय, 3 परसैंट ब्याज पर लोन कहीं मिलता है ? उनके द्वारा किसान को 3 परसैंट ब्याज पर लोन देने की जो घोषणा की गई है यह बहुत ही सराहनीय बात है। मुख्यमंत्री महोदय जी समाज के हर वर्ग के लिए चिन्तित हैं। (शोर एवं व्यवधान) पीने के पानी के लिए इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत शिडयुल्ड कास्टस के लोगों को मुफ्त टंकियां दी जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन को बार-बार गुमराह किया जा रहा है कि किसान को 3 परसैंट ब्याज पर लोन दिया गया है जबकि सच्चाई यह है कि 3 परसैंट ब्याज की छूट दी गई है। लोन पर 11 परसैंट ब्याज को 3 परसैंट कम किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूलचंद मुलाना: अध्यक्ष महोदय, 3 परसैंट कम किया। I stand rectify. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने दलितों के लिए क्या किया । दलितों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया उतना काम कोई नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान) दलितों का मसीहा डा0 भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है । उनका नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो तब संघर्ष करो। अध्यक्ष महोदय, हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा बीच में छोड़कर चले जाते थे। इस मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को सोचा और समझा कि गरीब के बच्चे धन के अभाव में शिक्षा को बीच में छोड़कर न चले जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुद्दा तो सूखे का था लेकिन विपक्ष के भाई दलितों पर आ गये । मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दलित परिवार के लड़के के लिए 100 रूपये और लड़की के लिए 150 रुपये हर महीने सरकारी स्कूल्ज में पहली क्लास से दिए जाते हैं और आगे यह पैसा 400 रुपये तक जावेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसमें बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज के बच्चे भी सम्मिलित हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पढ़े लिखे हरिजन बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही ? (शोर एवं व्यवधान) आज बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कृपया सदन में बतायें कि जब इनकी पार्टी की सरकार थी उस समय इन्होंने दलितों के लिए क्या किया था ? (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब की सरकार ने तो दलितों को मुफ्त प्लाट दे दिए, पानी की टंकी दे दी और भी बहुत सी सुविधाएं दी हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनकी सरकार ने तो गरीबों को मजदूरी भी नहीं दी थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, ये बैकलॉग के बारे में भी तो बतायें । (शोर एवं व्यवधान) मैंने पिछले सैशन में भी इस बारे में जिक्र किया था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चिड़ाना साहब, प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, चिड़ाना जी से बैकलोग की परिभाषा तो पूछ लो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, it is a discussion on the drought, water and power only. इस समय सदन में बैकलॉग का जिक्र नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा भीम राव अम्बेडकर की नीतियों पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में गरीब हरिजनों के बच्चों को और बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज के बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को पहली कक्षा से वजीफा देने का काम किया है ताकि पैसे के अभाव में वे बीच में अपनी पढ़ाई न छोड़ें। इसके अतिरिक्त हरिजन परिवारों को और बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज को पीने के पानी की सुविधा देने के लिए हर घर में 200 लीटर की एक-एक टंकी और टूटी लगाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, पानी तो नहीं आ रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी हरिजनों के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, अगर आप पिछले इतिहास में जाकर देखें तो उस समय एक गांव में एक ही कुंआ होता था और उस समय गरीब हरिजन को और बाल्मीकि को पानी नहीं मिलता था। इस समुदाय के लोग अपना घड़ा कूएं पर छोड़कर आ जाते थे यदि किसी ने पानी डाल दिया तो ठीक है और नहीं डाला तो भी ठीक है। पहले एक गांव में एक ही ट्यूबवैल होता था लेकिन हमारी सरकार ने हर गांव में कई-कई ट्यूबवैल लगवा दिए हैं। आज एक हरिजन के घर में भी पीने का पानी उपलब्ध है। हमारी सरकार ने हर गरीब और हरिजन के घर में एक-एक पानी की टंकी और टूंटी लगवाई है। यह बात ठीक है कि पानी का लैवल नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी सरकार ने पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की है।

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपके हल्के में हरिजन बस्तियों में पानी की टंकी लगी हैं या नहीं लगी हैं।

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताये कि पीने के पानी के लिए ये कितनी देर बिजली देते हैं। आज के दिन प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी न होने की वजह से गांवों में पशु भी प्यासे मर रहे हैं। * * *

श्री अध्यक्ष : बहन जी, यह डिस्कशन ड्रॉट से संबंधित है इसलिए आप इससे हटकर जो भी बात कर रही हैं वह रिकार्ड नहीं की जा रही। प्लीज आप बैठें। ड्रॉट के अलावा जो कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंचाई के लिए 8-8 घंटे और पीने के पानी के लिए 13-13 घंटे बिजली दी जा रही है जो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा प्रदेश में सूखे का मुद्दा उठाया गया है। किसान, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चिन्तित हैं और उन्होंने जिस तरीके व गति से उनकी समस्याओं का समाधान किया है उतना आज तक किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने नहीं किया।

Mr. Speaker : Mullana Ji, please conclude because Hon'ble Power Minister will also give his reply.

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़े वर्ग या अन्य किसी के ऊपर जब भी किसी प्रकार के संकट की घड़ी आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सबसे पहले वहां पर सबसे आगे खड़े मिलते हैं। उन्होंने प्रदेश में राज की दशा और दिशा दोनों को बदला है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का वास्तविक रूप में कल्याण किया है। चौकीदार से लेकर बड़े गैर सरकारी पदों पर तैनात लोगों के लिए भत्तों की घोषणा की है। सभी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जहां तक विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली पैंशन का

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री फूलचन्द मुलाना]

सम्बन्ध है इस बारे में आप देखें तो इस सरकार से पहले वाली अनेक सरकारें अपने पूरे कार्यकाल में 50 से 100 रुपये बड़ी मुश्किल से बढ़ाया करती थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विधवाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न वर्गों की पैंशन की राशि में थोड़े से समय में ही 100, 200, 300 से लेकर 500 रुपये तक का इजाफा किया है। इसके अलावा अनेक ऐसे वर्गों की पैंशन शुरू की है जो पैंशन के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास किया है इसी कारण आज हरियाणा की जनता में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की चर्चा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और सरकार को बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की चिन्ता है। जहां तक विपक्ष के साथियों की बात है ये बेचारे तो प्रदेश की जनता द्वारा इस हद तक नकार दिये गये हैं कि इन्हें अपना और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। हमारी सरकार की आगे की दिशा यही है कि प्रदेश का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास किया जाये।

श्री बलवन्त सिंह (सढौरा) (अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने सूखे पर डिस्कशन के दौरान मुझे बोलने के लिए समय दिया। स्पीकर साहब, जिस तरह से सदन के नेता इस बात के लिए वाहवाही लूट रहे हैं कि हम दलित और किसान हितैषी हैं और हमने उनके लिए यह घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले में सूखा है। परमात्मा नाराज है। बारिश नहीं पड़ रही है। खासकर अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जहां पर धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती है वहां के किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से मांग करता हूं कि जिस तरह से यू०पी० और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है उसी तरह से हरियाणा के उन जिलों को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाए जहां पर धान की रोपाई होती है और जहां बारिश नहीं हुई है। आज इन जिलों में किसान बर्बाद हो रहा है। यहां पर किसान की बहुत बुरी हालत है। अगर सरकार किसान हितैषी और हर नागरिक हितैषी बनना चाहती है तो इन किसानों के लिए सरकार को चिंतन करना चाहिए और सरकार को उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को लाभ देना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा के बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन हमारे जिलो में जहां धान की सबसे ज्यादा रोपाई होती है वहां बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। बिजली मंत्री जी ने कहा कि 8 घंटे बिजली आ रही है लेकिन मंत्री जी सच बात यह है कि बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जब परसों मुख्यमंत्री जी सढौरा में गए थे तो उस समय भी बिजली की हालत बहुत खराब थी। दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है। स्पीकर साहब, न वहां पर बिजली है और न वहां पर पानी है। मंत्री जी, नरवाना और कैथल तो आपके पास हैं लेकिन कलायत में बिजली को लेकर 6 घंटे जाम लगा रहा। बिजली और पानी की समस्या आज हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को, हर किसान मजदूर को चिंता में डाल रही है। हम तो सोचते थे कि स्पीकर साहब विदेश गए हैं शायद वहां से बारिश लेकर आएंगे लेकिन बात नहीं बनी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से एक विनती करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बलवन्त सिंह जी, मैं विदेश इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहां पर एक इंटरनेशनल सेमीनार अटैंड करना था कि how to strengthen the parliamentary democracy.

श्री बलवन्त सिंह : सर, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह चाहूंगा कि वे सदन को और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को आश्वस्त करें कि

सूखे के लिए सर्वे करायेंगे और जहां सूखा है वहां किसान, मजदूर को राहत देंगे। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यही अनुरोध करना चाहता था। धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डॉ सीता राम जी सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रदेश में बिजली व पानी की समस्या को लेकर और कम बारिश होने की वजह से पैदा हुई स्थिति की बाबत चर्चा का एक गम्भीर विषय उठाया है। मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष के साथियों ने जिस गम्भीरता और सक्रियता से इस मुद्दे को उठाया था उसी गम्भीरता से ये साथी इस बारे में वास्तविक स्थिति सरकार के ध्यान में लाते लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के माननीय साथियों ने प्रदेश के अढाई करोड़ लोगों के हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उपहास व मज़ाक का विषय बना दिया जैसा कि सदन में आधे घंटे से यह मामला चल रहा है जिसे आप और हम सभी देख रहे हैं। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की समस्त जनता हाउस की कार्यवाही को देख रही है। यह हंसी-मजाक और वाद-विवाद का विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चिड़ाना साहब, आपने एक मुद्दा उठाया है and Hon'ble Minister is giving the reply on that issue. Please listen the reply, which is given from the Government side.

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय साथी अपने आपको किसानों और गरीबों का हितैषी मानने की गलतफहमी का शिकार होकर बिना वजह का शोर मचा रहे हैं। इन्हें अपने कार्यकाल की तरफ भी झांककर देखना चाहिए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से हरिजनों के 200 परिवारों को गांव हरसौला (कैथल) से निकाल दिया था, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था मौजूदा सरकार द्वारा की गई। इसी प्रकार से दुलीना (झज्जर) में हरिजनों को मार दिया और दोषियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, हमारी सरकार आने पर ही दुलीना कांड के दोषियों पर कार्यवाही हुई। ऐसे ही इन्होंने कंडेला (जींद) में किसानों पर गोलियां चलवा दीं। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे।)**

श्री अध्यक्ष : मैं इण्डियन नेशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। मुलाना जी, अब आप भी कृपया बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान) Now, Hon'ble Power Minister will give his reply on this issue. (Voices and Interruptions.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, न तो दलित उत्पीड़न का मुद्दा इस समय सदन में है और न ही उस पर चर्चा हो रही है। डॉ० सीता राम जी सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस सदन के माध्यम से सरकार के लेवल पर जो कमी है उसके बारे में बताया जाये। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर हमारी कमी हमें बताई जायेगी तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी कमी को मानेंगे भी और उसको दुरुस्त भी करेंगे परन्तु यह मज़ाक या वाद-विवाद का मुद्दा नहीं है। विपक्ष के अधिकतर साथी मुझसे उम्र और तजुर्बे में वरिष्ठ हैं मुझे उनसे ऐसे आचरण की उम्मीद कदापि न थी। हरियाणा प्रदेश के करीब ढाई करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, पड़ोस के प्रान्त के

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

लोग भी हमारी तरफ देखते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हमें इस विषय पर होने वाली डिबेट को उसी गम्भीरता से देखते हुए सार्थक तरीके से लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रान्त में बिजली की कमी है और सरकार ने बिजली खरीदने का समय रहते निर्णय नहीं लिया। अध्यक्ष जी, यह भी कहा गया है कि बिजली की पूरी खरीद एडवांस में नहीं की गई जिससे दिक्कत पैदा हुई। मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहूंगा कि जून-जुलाई-अगस्त-सितम्बर वर्ष के ये चार महीने धान की रोपाई के दृष्टिगत सबसे महत्वपूर्ण हैं। जहां धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती है उनमें विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, जीन्द आदि के इलाके शामिल हैं । इनके अलावा रोहतक व हिसार के कुछ हिस्सों में भी धान की रोपाई होती है। ये प्रदेश के वे इलाके हैं जहां पर धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा बाकी हरियाणा में भी थोड़े-थोड़े क्षेत्रों में धान की रोपाई होती है । इस सारी बात को देखते हुए फरवरी, 2009 में ही हमने निविदाएं, टैंडर इश्यू किये थे । हरियाणा के गठन के बाद पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निविदाओं के माध्यम से 4638 मैगावाट बिजली 30 सितम्बर, 2009 तक 1977 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जून, 2009 में 490 मैगावाट, जुलाई, 2009 में 1462 मैगावाट, अगस्त, 2009 में 1312 मैगावाट, सितम्बर, 2009 में 1374 मैगावाट बिजली हमने खरीदी है। कुल मिलाकर 4638 मैगावाट अतिरिक्त बिजली 1977 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से खरीदी है। हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के किसानों से, खेतीहर मजदूरों से एक वायदा किया था कि 1 जुलाई से हम 8 घण्टे किसानों को ट्यूबवैल के लिए बिजली देंगे और 6764 से अधिक गाँवों में घरों के लिए 14 से 16 घण्टे बिजली देंगे। मैं आज आपकी अनुमति से सदन में खड़ा हो कर कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने वे वायदे पूरे किये हैं और हम उस बात पर खरे उतरे हैं। हमने फीडर सैग्रीगेट किये हैं। तकरीबन 85 परसैंट से ज्यादा गाँवों में खेतों का फीडर और घरों का फीडर हम अलग कर चुके हैं। 15 परसैंट गाँव दक्षिण हरियाणा में बचे हैं उनको हम अगले 2 महीने में सैग्रीगेट कर देंगे। जो फीडर सैग्रीगेट हो चुके हैं वहाँ पर 14 से 16 घण्टे घरों में बिजली की सप्लाई और 8 घण्टे ट्यूबवैल्स की सप्लाई बारिश कम होने के बावजूद भी हमने दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मानसून और प्रीमानसून की बारिश इस बार पिछले साल से कम हुई है। अब तक 141.6 मिलीमीटर बारिश हुई है और एवरेज 253.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल 355.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगर मैं प्रतिशत में बताऊं तो पिछले साल के मुकाबले में या नार्मल रेन फाल के मुकाबले में 44.2 प्रतिशत बारिश हरियाणा में कम हुई है। इसके बावजूद हमने हरियाणा में जो धान की कुल रोपाई है उसके लिए एक-एक खूड में धान की रोपाई सुनिश्चित की है। इस बारे में एग्रीकल्चर विभाग के आंकड़े भी बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस समय तक 28.24 लाख हैक्टेयर एरिया में हम रोपाई कर पाये हैं। 31 जुलाई, 2009 तक यानी आज से 3 दिन पहले तक 25.41 लाख हैक्टेयर भूमि के अन्दर हम फसलें बीज पाये हैं। बारिश कम हुई है और अगर बिजली भी न होती तो यह कैसे सम्भव हो सकता था। अगले 15-20 दिन में तकरीबन 3 लाख हैक्टेयर के रोपाई के टारगेट से हम शॉर्ट हैं, हमें उम्मीद है कि अभी धान के साथ-साथ विभिन्न फसलों की रोपाई चालू है, वह भी हम पूरा कर लेंगे। बारिश कम होने के बावजूद हमने सूखे जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी और यह भी सुनिश्चित किया कि किसान को पूरी बिजली मिले। अध्यक्ष महोदय, इसके

साथ-साथ मुझे सदन को यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि यू०पी०ए० की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाँधी और प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने भी हरियाणा की स्थिति को देखा। साथ-साथ पंजाब में हमारे जो भाई हैं चाहे विपक्ष की सरकार है, उनको भी देखा और 100 मैगावाट अतिरिक्त बिजली जो केन्द्रीय पूल की थी जो हमारे हिस्से की नहीं थी, हमें दे दी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय बिजली मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और यू०पी०ए० चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गाँधी जी को पत्र लिखे। प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन करके 100 मैगावाट बिजली केन्द्रीय पूल से हमें दिलवाई है। इसी तरह से पड़ौस के राज्य पंजाब को भी वह बिजली दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपके तथा आपकी अनुमति से सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर हम सारे आंकड़े देखें तो सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी। मेरे पास वर्ष 2000 से लेकर आज तक की बिजली की सप्लाई के सारे आंकड़े मौजूद हैं। ये आंकड़े अपनी कहानी खुद ब्यान करते हैं कि कौन कितनी बिजली सप्लाई किया करता था। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो चार्ट है उसमें देखें तो जून, 2000 के अन्दर साल 2000-01 में पूरे वर्ष के अन्दर ऐवरेज सप्लाई 475 लाख यूनिट पर डे थी जबकि, वर्ष 2002-03 में यह सप्लाई 519 लाख यूनिट पर डे हो गई। वर्ष 2003-04 में इनकी सरकार ने 556 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2004-05 में 578 लाख यूनिट पर डे औसतन बिजली दी। स्पीकर सर, ये इनकी सरकार के वक्त के आंकड़े हैं। मौजूदा सरकार के आते ही वर्ष 2005-06 में पहले साल ही बिजली की सप्लाई में जम्प आया और 578 लाख यूनिट पर डे से 622 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2006-07 में हमने 665 लाख यूनिट पर डे औसतन बिजली दी। वर्ष 2007-08 में हमने 723 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2008-09 में हमने जो बिजली दी वह 735 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन थी और यह जो जून का महीना गया है सब तक हमने औसतन बिजली 806 लाख यूनिट प्रतिदिन दी है और यह बिजली बढ़ कर 1000 और 1100 लाख यूनिट प्रतिदिन इस माह के अन्दर और जाने वाली है। स्पीकर सर, इन लोगों ने जब सरकार छोड़ी तो ये 578 लाख यूनिट प्रति दिन औसतन बिजली देते थे जबकि हमने यह बढ़ा कर दुगुनी से ज्यादा कर दी है। यानी 1000 और 1100 लाख यूनिट बिजली अगर कोई लेकर आया है तो वह कांग्रेस की वर्तमान सरकार, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ले कर आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने इस चालू साल में पिछले साल के मुकाबले में खेती-बाड़ी को अप्रैल में 13.80 प्रतिशत ज्यादा बिजली दी। पिछले साल के मुकाबले मई में 25.81 प्रतिशत बिजली अधिक दी। पिछले साल के मुकाबले जून में 44 प्रतिशत अधिक बिजली दी और जुलाई में 32 प्रतिशत अधिक बिजली दी और इस महीने में 40 परसैंट के करीब और बिजली देने वाले हैं। स्पीकर सर, आंकड़े भी अपनी कहानी खुद कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर यह भी कहा गया कि बिजली के उत्पादन पर सम्पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपकी अनुमति से सदन को बताया है कि देश भर में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो चालू साल में पिछले साल से लेकर वर्ष 2013 तक हर साल बिजली का एक नया कारखाना बिजली उत्पादन शुरू करेगा। 24 हजार करोड़ से अधिक का निवेश बिजली के उत्पादन में और 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश बिजली की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में होगा। माननीय सदस्य ने अपने इलाके की चर्चा की और कहा कि वहां पर आठ घण्टे पूरी बिजली नहीं मिलती। स्पीकर सर, मैं मानता हूं कि कोई-कोई इलाका ऐसा है जहां अभी भी कुछ गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर हम बिजली

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

की सप्लाई आठ घण्टे न दे पा रहे हों। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे पास पूरी बिजली उपलब्ध नहीं है बल्कि बिजली होते हुए भी कई बार वितरण प्रणाली प्रोपर नहीं है इसलिए पूरे आठ घण्टे बिजली नहीं दे पाएंगे। आसापुर में जिसमें चौटाला साहब का गांव भी पड़ता है एक नया बिजली घर लगाने की चर्चा डॉ० सीता राम जी करते हैं। दुर्भाग्य से वहां पर यह बिजली घर नहीं लग पाया लेकिन अकेले सिरसा के अन्दर अगर आप देखेंगे तो परसों मैंने जवाब में आंकड़ों की पूरी लिस्ट भी दी थी। बड़ा व्यापक कार्यक्रम सिरसा के लिए है। 400 के०वी० सब-स्टेशन से ले कर 33 के०वी० सब-स्टेशन तक 60 या 70 बिजली के नये सब-स्टेशन्ज़ अकेले सिरसा जिले के लिए बना रहे हैं। पूरे हरियाणा की यह प्लान है तो यह 14000 करोड़ रुपये की जो राशि हम खर्चेंगे इसके बाद वितरण प्रणाली और सुदृढ़ होगी। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में वर्ष 2008-09 में 600 मेगावाट का उत्पादन शुरू कर दिया है आज उसकी बिजली हरियाणा के किसान, मजदूर, आम ग्रामीण, शहरी और व्यापारी को मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि दिसम्बर, 2009 तक राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट खेदड़ की 600 मैगावाट की पहली इकाई और अप्रैल 2010 तक 600 मैगावाट की दूसरी इकाई बिजली का उत्पादन चालू कर देगी। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि ईश्वर की कृपा से हमारे इंजीनियर्ज के सहयोग से हम 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिन पर हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली उत्पादन से सम्बन्धित पहले जो गाईल स्टोन है, उसको हम क्रास कर जाएंगे। स्पीकर सर, दिसम्बर, 2009 में 600 मैगावाट की पहली ईकाई से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 1500 मैगावाट का इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट जो झांडली - झज्जर में हम लगा रहे हैं, उसका भी 2010-11 में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा । इसमें से 750 मैगावाट बिजली दिल्ली को मिलेगी और 750 मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट जिसको हम झाड़ली (2) भी कहते हैं, झज्जर में लगेगा और यह प्लांट 1320 मैगावाट का है, इस प्लांट की पहली यूनिट से जनरेशन दिसम्बर, 2011 में और दूसरी यूनिट की जनरेशन मई, 2012 में शुरू हो जाएगी। स्पीकर सर, इसमें से 1200 मैगावाट बिजली सिर्फ हरियाणा को ही मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2113 मैगावाट बिजली जो हमने कैश धन बिडिंग के माध्यम से खरीदी है, वह भी हमें मिलेगी जिसमें अडानी ग्रुप की 1424 मैगावाट, पी०टी०सी० ग्रुप की 300 मैगावाट बिजली अक्तूबर, 2011 से लेकर अगस्त, 2012 के बीच में हमें मिलेगी। इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था और मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार से हमें इस बारे में इन-प्रिंसीपल एप्रूवल मिल गई है। जो यमुना नगर में दीन बन्धु छोटूराम थर्मल पॉवर प्लांट 600 मैगावाट का है, वहां पर जमीन उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, रेलवे का ट्रैक उपलब्ध है और कोल की बैंकिंग भी उपलब्ध है, हम उसी जमीन में प्रयास कर रहे हैं कि उसकी कैपैस्टी डबल करके डेढ़ वर्ष के अन्दर 600 मैगावाट का पॉवर प्लांट वहां पर और लगा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे और हम इस बात के लिए गम्भीरता से लगे हुए हैं कि झाड़ली (1) का इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट 1500 मैगावाट का है वहां पर भी हमारे पास जमीन है और उसी जमीन में हम और प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर भी हमारे पास पानी, कोल माईन, बिजली की वितरण प्रणाली और रेलवे के ट्रैक उपलब्ध हैं। हम अगले डेढ़ से दो साल में इस बारे में कोशिश करेंगे, अगर भारत सरकार हमारी मांग स्वीकार करेगी तो एडिशनल कोल कोटा लेकर वहां पर भी 750 मैगावाट से बढ़ाकर

1500 मैगावाट डबल बिजली का उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा चौधरी फूल चन्द मुलाना जी ने भी बताया है, हरियाणा देश के उन तीन प्रान्तों में से एक है जिनमें कुम्हारिया में 2800 मैगावाट का न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगने जा रहा है। उसके लिए हमें एडीशनल लैंड चाहिए थी जो कि हमने एक्वायर कर ली है, वहां पर कुछ और पानी की जरूरत थी वह भी हमने प्रबन्ध कर दिया है। उसका हमने न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन से सर्वे करवा लिया है और एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी उसकी एप्रूवल ले ली है। अब यह फाईल भारत सरकार के पास चली गई है। सर्वप्रथम देश में सिर्फ 3 प्रान्तों में यह न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगेंगे और हरियाणा उनमें से एक है। जब यह प्लांट लगकर तैयार हो जायेगा तो इससे भी हमें बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को दो पत्र लिखे थे और उनसे मिलकर भी आए हैं। फरीदाबाद का जो हमारा थर्मल पॉवर प्लांट है हम उसको बंद करके उसकी जगह वहीं पर उससे दोगुणा कैपेसटी का गैस बेस्ड पॉवर प्लांट दिल्ली की तर्ज पर खोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में जो इन्द्रप्रस्थ पॉवर लिमिटिड है वह अपना प्लांट बवाना में ले जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां भी हम 150 से 300 मैगावाट के बीच अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दो साल के बाद जब वह प्लांट बिजली देगा तो वहां से भी हमें बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, 38 साल के इतिहास में इस प्रान्त में 1587 मैगावाट बिजली पैदा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, हम जो कर रहे हैं उस बारे में मैंने सदन में चर्चा की है। जो हमारे मन में है, जो मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसकी हम अनुमति ले आए हैं, जिसका हमने अनुबन्ध किया है, हमने कोल बेस्ड लिंकेज नहीं ली बल्कि हमने कोल बेस्ड माईन का हरियाणा के लोगों को मालिक बनवाया है। बाकायदा भारत सरकार से अलॉट करवाकर आए हैं और अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की जो दूर-दृष्टि थी, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी सोच थी जो कांग्रेस के साथियों की सोच थी, जो हमारी पार्टी की सोच थी कि हरियाणा को एक स्वावलम्बी प्रदेश बनाना है, आत्म निर्भर बनाना है तो यह उसी का ही परिणाम है। स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने यह कहा कि हरियाणा के अंदर पानी की बहुत कमी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि माननीय इरीगेशन मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं उन्होंने मुझे एक ब्रीफ स्टेटमैंट दी है जिससे स्पष्ट है कि भाखड़ा सिस्टम में जो मेन लाईन है उससे पिछले साल के मुकाबले उन्होंने ज्यादा पानी दिया है। स्पीकर सर, मै आपकी अनुमति से इसका केवल एक पैरा पढ़कर सुनाना चाहूंगा । as stated above, in spite of these constraints, the supplies in Bhakhra Main Line have been kept at normal level. In fact, from 1st January, 2009 to 30th July, 2009, 20.32 lacs cusecs water per day have been supplied from Bhakhra as compared to 15.57 lacs cusecs water per day during the corresponding period in 2008, पिछले साल के मुकाबले 10 लाख क्यूसिक फालतू पानी भाखड़ा सिस्टम से हमारी सरकार ने दिया है। even in the months of June and July, the total supply has been 5.85 lacs cusecs water per day as compared to 4.88 lacs cusecs per day in 2008. Speaker Sir, from 1st January, 2009 to 31st July, 2009, the water supply has been all time high due to better co-ordination with BBMB. अध्यक्ष महोदय, यमुना कमाण्ड एरिया में यमुना में पानी का फ्लो कम रहा है। इसमें दिक्कत रही है, हम यह मानते हैं परन्तु हमने उसकी भरपाई किसान को पूरी बिजली देकर की है। स्पीकर साहब, मैं आपकी अनुमति से अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल यही कहूंगा कि अगर कोई सरकार, किसान, व्यापारी, गरीब मजदूर और आम शहरी के हकों के लेकर सजग है तो वह एक अच्छी सरकार कही जाएगी। हमने

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

भी सभी कदम उठाए हैं। अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी की जो हमारी बिजली की रिक्वायरमैंट होगी उसको आज ही हम खरीद रहे हैं। स्पीकर साहब, पंजाब में बी०जे०पी० की सांझा सरकार है और हिमाचल में उसकी अपनी सरकार है लेकिन वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। गुजरात में भी बी०जे०पी० की सरकार है लेकिन वहां की सरकार भी हिमाचल से बिजली नहीं खरीद पायी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उस पार्टी की सरकार है लेकिन वह भी हिमाचल से बिजली नहीं खरीद पायी है लेकिन हम इस बारे में सजग हैं और आगे भी सजग रहेंगे। हमने 6 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट तक हिमाचल से बिजली खरीदी है। सर, मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमने 13-13, 14-14 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदकर हरियाणा के किसानों को दी है इसलिए विपक्ष के साथियों का यह कहना कि हरियाणा में सूखे जैसी स्थिति है और वहां पर पूरा पानी और बिजली नहीं है, सरासर गलत है। हरियाणा सरकार ने सबके लिए कारगर कदम उठाए हैं और हम अपने काबिल साथियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि फिर भी अगर कहीं पर कमी है तो हमें इनका रचनात्मक सहयोग और समर्थन चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप लोकदल के कार्यकर्ताओं को कलाधत में भेज दें और कह दें कि पुलिस की जिप्सी जला दीजिए, पेड़ काट दीजिए। लेकिन इससे हरियाणा चलने वाला नहीं है हरियाणा चलेगा एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से। अगर इनके नेता कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोगों की लाशों के ऊपर से वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव होगा सबके सहयोग से इसलिए मैं केवल यह कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हमें अपने इन काबिल साथियों का समर्थन और सहयोग भी चाहिए। हरियाणा की सरकार भी सजग है और हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर कहीं पर दिक्कत है तो वह न आए और पूरा पानी और बिजली हरियाणा के लोगों को उपलब्ध हो। धन्यवाद स्पीकर साहब।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी बहनों की ओर से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी बेसहारा विधवा बहनों के लिए विधवा पैंशन 650 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये करने की अनाउंसमैंट की है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा इसके साथ-साथ अब हमारी इन विधवा बहनों को उनके दो छोटे बच्चों को 200-200 रुपये भी मिलेंगे। इस तरह से अब हमारी विधवा बहनों को 1150 रुपये मिलेंगे। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय/मुख्य मंत्री द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, as we all know, perhaps this is the last Session of the present Assembly and before the House is adjourned sine-die, I would like to thank all of you for extending me your fullest co-operation for smooth and efficient conducting of the proceedings of the House. I tried my level best to give more and more time to all the Members irrespective of the party affiliations and also encouraged the new Members to raise the matters of public importance in the House effectively. I have no words to express my gratitude to the Hon'ble Chief Minister who was kind enough to extend his gracious help in all my legislative and administrative functioning. The Hon'ble Ministers were also co-operative all the time. I complement the media persons who were engaged in connection with the proceedings of the House as well as

covering the developmental activities of the State in these years. I am also thankful to all the Government Officers who were always co-operative to me. I further thank the officials of Haryana Vidhan Sabha who worked day and night during the Session Days. I extend my heartily thanks again to all of you.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा , हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए, इस पद की और सदन की गरिमा बढ़ाई है। आपने सभी सदस्यों को बहुत कोऑपरेट किया। जो माहौल इस सदन में रहा है उसके लिए पूरे सदन के सभी सदस्यगण आपका आभार व्यक्त करते हैं और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो नयी गरिमाएं आपने बनाई हैं, यह सदन उनको कंटीन्यू करेगा। आपने विपक्ष को भी पूरा समय अपनी बात रखने के लिए दिया। सबको आपने बोलने का पूरा-पूरा मौका दिया। सत्तापक्ष और विपक्ष सबको आपने बोलने में बराबर हिस्सेदारी दी और बहुत सुचारू रूप से सदन को चलाया। आपकी असैम्बली के सभी कर्मचारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, इन सभी का भी पूरा सहयोग हमें मिला है। आपका पूरा वर्चस्व रहा है और एक किस्म से आपने सभी के हित की बात की है उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

17.50 hrs. **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine-die.

(The Sabha then *adjourned sine die.)

46558—H.V.S.—H.G.P., Chd.